

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लायज कार्पोरेशन लि., रायपुर

शाखा Salt/NOIT

विषय M/s. Komoh Salt Works.

फाईल नं. वर्ष 1911/15 पृष्ठ क्रं. 249

विषय:- नमक रैक परिवहन आदेश विषयक।

विषयांतर्गत मेसर्स रमेश साल्ट ट्रेडर्स, हलवद (गुजरात) माह 2014 हेतु दिया गया प्रदाय आदेश के विरुद्ध प्रदायकर्ता द्वारा प्रदाय की जाने वाली आयोजीनयुक्त अमृत नमक बिलासपुर एवं सरगुजा संभाग के लिए एक रैक बिलासपुर एवं एक रैक रायगढ़ (खरसिया) रैक पाईट पर प्राप्त होने वाले अमृत नमक को निम्नानुसार जिलों में प्रदाय किया जाना है :-

			(मात्रा मे.टन. में)
क्र.	रैक पाईट	जिले का नाम	मात्रा
1	बिलासपुर	बिलासपुर	1500.00
2		जाजगीर	300.00
3		कोरबा	300.00
4		मुंगेली	600.00
कुल योग			2700.00
1	(रायगढ़)	रायगढ़	2000.00
2	खरसिया	जाजगीर	400.00
3		जशपुर	300.00
कुल योग			2700.00

उपरोक्त सारणी में दी गई मात्रा को यथावत् जिलों में प्रदाय करने हेतु एवं रैक आने के पूर्व संबंधित जिला प्रबंधकों से संपर्क कर जिला प्रबंधकों द्वारा की गई मांग अनुसार संबंधित जिलों के प्रदाय केन्द्रों में प्रदाय किया जाना सुनिश्चित कराने तथा उपरोक्त परिवहन आदेश के अतिरिक्त किसी जिले में कम, ज्यादा अथवा नया जिले में प्रेषित करने पर मुख्यालय को अवगत कराने हेतु प्रदायकर्ता को प्रेषित की जाने वाली पत्र नस्ती पर अवलोकन हेतु प्रस्तुत।

मार्गदर्शक
(हस्ताक्षर)

मई 14 के लिए आवंटित
रैक लोडिंग हो रही है

05-06-14

अतः बिलेवर आवंटित मात्रा के
परिवहन आदेश अंतिमोद्वारण।

हस्ताक्षर

अनुमोदित।

26

05-06-14

M (S)

जश

05-06-14

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाइज कॉर्पोरेशन लि., रायपुर

शाखा साल्ट

विषय अमृत नमक रैक परिवहन आदेश

फाइल नं. 12 वर्ष 14 पृष्ठ क्रं. 01

गत पृष्ठ
विषय :- अमृत नमक रैक परिवहन आदेश के संबंध में ।

—*—

कार्यालयीन नोटशीट पृ0क्रमांक-48 का अवलोकन करना चाहेंगे । जिसमें माह जून 2014 के लिये 03 रैक अमृत नमक प्रदाय करने हेतु नमक सप्लायर मेसर्स रमेश साल्ट ट्रेडर्स हलवद गुजरात को आदेशित किया गया था ।

सहायक नमक आयुक्त, जयपुर के पत्र क्र/मि.स.(11)आपूर्ति/2013/7000 दिनांक 26 मई 2014 के द्वारा माह जून 2014 हेतु उनके फर्म को 02 रैक आबंटित किया गया है ।

अतः सहायक नमक आयुक्त जयपुर द्वारा माह जून 2014 हेतु किये गये 02 रैक आबंटित करने हेतु कार्यालयीन पत्र क्रमांक मुख्यालय के पत्र क्रमांक/NOIT/नमक/2014-15/212 दिनांक 05.06.14 को दिये गये प्रदाय आदेश में निम्नानुसार संशोधित करते हुये निम्न रैक पाईट पर पत्र जारी दिनांक से 30 दिवस के पूर्व रैक प्रदाय करने हेतु नमक प्रदायकर्ता को संशोधित प्रदाय आदेश किया जाना है ।

क्रमांक	रैक पाईट का नाम	मात्रा (टन में)
01	विश्रामपुर	2600
02	जांजगीर	2600

कृपया उपरोक्तानुसार नस्ती अवलोकनार्थ प्रस्तुत है ।

प्रबंधक (नमक)

अनुमोदनार्थ

09/06/14

म.स.

अनुमोदनार्थ

09-06-14

म.स.

ज.स.

10.6.14

जोष - 22/10.6.14

09/06/14

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सुप्लायज कार्पोरेशन लि., रायपुर

शाखा हवलदार

विषय परिवहन आदेश में संशोधन आदेश

फाईल नं. 2 वर्ष 14/15 पृष्ठ क्रं. 52

120/23.6.14

विषय : खरसिया (रायगढ़) रैक से परिवहन आदेश के संबंध में ।

नोटशीट पृष्ठ क्रमांक-49 का अवलोकन करना चाहेंगे । जांजगीर में नमक की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये नोटशीट पृष्ठक्रमांक 49 पर अनुमोदित परिवहन आदेश में निम्नानुसार आंशिक परिवर्तन की आवश्यकता है ।

जिला	पूर्व में आदेश मात्रा (मे0टन)	आंशिक संशोधन मात्रा (मे0टन)
रायगढ़	2000.00	1989.00
जांजगीर चांपा	400.00	550.00
जशपुर	300.00	161.00
योग :-	2700.00	2700.00

कृपया अनुमोदन देना चाहेंगे ।

उपलेखाधिकारी (क्लेम)

कृपया उपरोक्त टीए का अवलोकन करना चाहेंगे ।
दिनांक 05.06.14 को जारी परिवहन आदेश में आंशिक संशोधन का अनुमोदन हेतु नीचे अवलोकनार्थ प्रस्तुत ।

Mangaraj

20/06/14

20/6/14

A. कृपया अनुमोदन

20/6

अनुमोदित

23/6

M(FDJ)

23/6/14

23/6

1579/23.6.14

छत्तीसगढ़ स्टेट सोल सप्लायर्स कॉर्पोरेशन लि., रायपुर

शाखा ०००१ सुई

विषय बिलासपुर रैंक के प्रदाय आदेश में आंशिक संशोधन बाबत

फाईल नं. वर्ष १५/१५ पृष्ठ क्रं. (५५)

NO/7/239/24.6.14
 ०००१ सुई
 २४.६.१४

गत पृष्ठ

विषय :- बिलासपुर रैंक के प्रदाय आदेश में आंशिक संशोधन बाबत ।

नोटशीट पृष्ठ क्रमांक-49 का अवलोकन करना चाहेंगे । जशपुर, मुंगेली, नमक की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये नोटशीट पृष्ठ क्रमांक-49 पर अनुमोदित प्रदाय आदेश में आपके निर्देशानुसार निम्नानुसार आंशिक परिवर्तन की आवश्यकता है:-

जिला	पूर्व में आदेश मात्रा (मे0टन)	आंशिक संशोधन मात्रा (मे0टन)
बिलासपुर	1500.00	1350.00
जांजगीर	300.00	355.00
कोरबा	300.00	300.00
मुंगेली	600.00	541.00
जशपुर	0.00	134.00
सरगुजा	0.00	10.00
योग :-	2700.00	2700.00

कृपया नस्ती अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।

उपलेख

जिलों की आवश्यकतानुसार बिलासपुर रैंक के प्रदाय आदेश में आंशिक परिवर्तन आदेश में संशोधन देकर नस्ती अवलोकनार्थ प्रस्तुत

Manager (PDS)

24/6/14

24/6/14

अ. कृपया उपरोक्त नोटशीट में संशोधन के लिए प्रतिक्रिया दें।

No (FD)

M/PDS

संशोधित आदेश प्राप्त
प्रति संलग्न।

24/6

24.6.14

D440 को प्रेषित
24/6

24/6

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लायज कॉर्पोरेशन लि., रायपुर

शाखा PDS

विषय अमृत नमक परिवहन आदेश

फाईल नं. 14-15 पृष्ठ क्रं. 57

विषय :- नमक रैक परिवहन आदेश विषयक।

विषयांतर्गत पत्र क्रं./NOIT/नमक रैक/14-15/212 दिनांक 05.06.2014 माध्यम से मेसर्स रमेश साल्ट ट्रेडर्स, हलवद (गुजरात) को माह जून 2014 हेतु आयोडीनयुक्त अमृत नमक एक रैक विश्रामपुर रैक पाइंट पर प्रदाय किया जाना है। प्राप्त होने वाले अमृत नमक रैक पाइंट से निम्नानुसार जिला में प्रदाय किया जाना है:-

कं.	रैक पाइंट	जिले का नाम	मात्रा (मात्रा मे.टन में)
1	विश्रामपुर	सूरजपुर	1600
		बलरापुर	300
		जशपुर	300
		कोरिया	200
		सरगुजा	300
		योग-	2700

विषय :- नमक रैक परिवहन आदेश विषयक।

विषयांतर्गत पत्र क्रं./ NOIT /नमक रैक/14-15/211 दिनांक 05.06.2014 माध्यम से मेसर्स सूरज आयोडाईज्ड कंपनी, पातड़ी (गुजरात) को माह जून 2014 हेतु आयोडीनयुक्त अमृत नमक एक रैक दुर्ग रैक पाइंट पर प्रदाय किया जाना है। प्राप्त होने वाले अमृत नमक रैक पाइंट से निम्नानुसार जिला में प्रदाय किया जाना है:-

कं.	रैक पाइंट	जिले का नाम	मात्रा (मात्रा मे.टन में)
1	दुर्ग	बालोद	400
		कांकर	200
		बेमेतरा	400
		दुर्ग	1700
		योग-	2700

कृपया उपरोक्तानुसार अनुमोदन देना चाहेंगे।

Manager (PDS)

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

MD

अनुमोदित।

M(PDS)

Dueto

31/7/14

3/7

3/7

3/7

कृ.पृ.उ.

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लि., रायपुर

शाखा २०८१, सुल्ल

विषय त.ड.अ.अ.वि.से. नमक सप्लाय में परिवर्धन

फाईल नं. वर्ष १५/१५ पृष्ठ क्रं. (५५)

विषय :- 250 मे0टन अमृत नमक का सड़क परिवहन आदेश देने बाबत ।

—*—

रायपुर, बिलासपुर एवं सरगुजा संभाग के नमक प्रदायकर्ता मेसर्स रमेश साल्ट ट्रेडर्स, हलवद गुजरात के पत्र दिनांक 09.07.14 का अवलोकन करना चाहेंगे प्रति ध्वज-अ पर संलग्न है ।

पत्र के माध्यम से हलवद से जिला कोरिया के लिये 250 मे0टन अमृत नमक का सड़क मार्ग से परिवहन कराने हेतु प्रदाय आदेश देने निवेदन किया गया है ।

समक्ष निर्देशानुसार उपरोक्तानुसार हलवद से जिला दुर्ग में 250 मे0टन अमृत नमक प्रदाय करने हेतु परिवहन आदेश तैयार कर नस्ती अवलोकनार्थ प्रस्तुत है ।

उलेखाधिकारी (क्लेम)

250 MT नमक सड़क मार्ग से प्रदाय करने हेतु प्रदायकर्ता द्वारा निवेदन किया गया है अतः नस्ती आवश्यक अनुमति हेतु अवलोकनार्थ ।

Manager (CDS)

09/07/14

प्रदाय

A अनुमति अनुमति

09/07/14

अनुमति

M(CDS)

09/07/14

09/07/14

62
M.C./2262/9.7.14
09.07.14

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लायज कार्पोरेशन लि., रायपुर

शाखा 0001/salt

विषय अमृत नमक रैक परिवहन आदेश

फाईल नं. वर्ष 14/15 पृष्ठ क्रं. 80

गत पृष्ठ

विषय :- अमृत नमक रैक परिवहन आदेश के संबंध में ।

माह जून 14 हेतु जांजगीर रैक पाइंट पर 01 रैक दिये गये परिवहन आदेश को तथा माह जुलाई 2014 हेतु 02 रैक दिये जा रहे परिवहन आदेश को अन्य जिलों में 30 दिवस के भीतर लाकर आवश्यकतानुसार निम्नानुसार मात्रा को प्रदाय किये जाने हेतु निर्देशानुसार प्रदायकर्ता मेसर्स रमेश साल्ट ट्रेडर्स हलवद गुजरात को परिवहन आदेश दिया जाना है ।

क्रमांक	रैक पाइंट का नाम	जिला	मात्रा (टन में)	माह हेतु कोटा
01	जांजगीर	जांजगीर	2300	जून 2014 के कोटा
		कोरबा	400	
		योग :-	2700	
02	रायगढ़	रायगढ़	2200	जुलाई 2014 के कोटा
		जशपुर	500	
		योग :-	2700	
03	बिलासपुर	बिलासपुर	1700	जुलाई 2014 के कोटा
		कोरबा	500	
		भुवनेश्वरी	500	
		योग :-	2700	

02. रैक लोडिंग के पूर्व उप नमक आयुक्त, जयपुर के नमक की गुणवत्ता रेण्डम सेम्पलिंग से कराने हेतु 01 किलो के पैकेट एवं 50 किलो वजन के मानक नमक का रैक लोडिंग कराने हेतु जिला प्रबंधक रायगढ़/बिलासपुर को निर्देशित किया जा रहा है ।

कृपया उपरोक्तानुसार भेजा जाने वाले पत्र के प्रारूप नस्ती पर अवलोकनार्थ ।

सहा.लेखाधिकारी (क्लेम)

14/7/14

गुणवत्ता अपरोक्तानुसार नमक प्रत्येक रैक के लिए जून में रैक के लिये मात्रा 2300-400 टन (2) रैक प्रदायकर्ता को लाकर आवश्यकतानुसार निम्नानुसार मात्रा को प्रदाय करने हेतु निर्देशित किया जा रहा है ।

अथवा (on leave)

A प्रमाण अतिरिक्त 14/7/14

म (PDS) जावक 492 & 443/15.7.14

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लायज कार्पोरेशन लि., रायपुर

शाखा २००१/६०११

विषय से. से. सा. ट. रे. व. ह. ल. व. गु. रा. र.

फाईल नं. वर्ष १४/१५ पृष्ठ क्रं. ६५

२००१/६०११/२२-८-१५

विषय :- अमृत नमक रैक परिवहन/प्रदाय आदेश के संबंध में ।

निगम मुख्यालय का पत्र क्रमांक/साविप्र/नमक/2014-15/652 दिनांक 08.08.2014 के द्वारा माह अगस्त 14 के कोटा हेतु 01 रैक अमृत नमक विश्रामपुर रैक पाइंट पर लाने हेतु प्रदायकर्ता फर्म रमेश साल्ट ट्रेडर्स, हलवद गुजरात को आदेशित किया गया है ।

अतः विश्रामपुर रैक पाइंट से प्राप्त होने वाली अमृत नमक को अन्य जिलों में परिवहन कराने हेतु आपके निर्देशानुसार निम्नानुसार मात्रा का प्रदाय नमक प्रदायकर्ता को दिया जाना है :-

क्रमांक	रैक पाइंट का नाम	जिला	मात्रा (टन में)	माह हेतु कोटा
01	विश्रामपुर	बलरामपुर	400	अगस्त 14 के कोटा
		जशपुर	200	
		कोरिया	300	
		सरगुजा	900	
		सूरजपुर	900	
		योग :-	2700	

उपरोक्तानुसार नस्ती अवलोकनार्थ एवं आगामी कार्यवाही हेतु प्रस्तुत ।

सहा.लेखाधिकारी (क्लेम)

२००१/६०११/२२-८-१५

उपरोक्तानुसार नस्ती अवलोकनार्थ एवं आगामी कार्यवाही हेतु प्रस्तुत ।
फाईल नं. २००१/६०११/२२-८-१५

M/PDS

M/S

M(PDS)

अतिरिक्त

अथवा A अनुसूची अनुमोदित देना-संदर्भ

अनुमोदित

२२/८

२२/८

२२/८

जावरु ड. ७३७/२३१९/१५

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाय्ज कार्पोरेशन लि., रायपुर

शाखा POSS/SELT

विषय समस्याएं देवकी हलचल सुजवाली

फाईल नं. वर्ष 14/15 पृष्ठ क्रं. (66)

गत पृष्ठ

विषय :- अमृत नमक रैक परिवहन/प्रदाय आदेश के संबंध में ।

कार्यालयीन नोटशीट पृ0क्रमांक 64 का अवलोकन करना चाहेंगे । नभक प्रदायकर्ता मेसर्स रमेश साल्ट ट्रेडर्स हलवद गुजरात को माह अगस्त 2014 में एक रैंक जांजगीर रैंक पाइंट पर नभक लाने हेतु रैंक परिवहन आदेश दिया गया था ।

जिलों में अमृत नमक की मांग को देखते हुये एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली में भण्डारण समय पर भण्डारण कराने हेतु उक्त जांजगीर रैक परिवहन में आपके निर्देशानुसार संशोधन करते हुये जांजगीर रैक/बिलासपुर रैक किया जाना है । अर्थात् जांजगीर रैक में 1000 मे०टन एवं बिलासपुर रैक में 1700 मे०टन का रैक परिवहन आदेश दिया जाना है ।

उक्त रैक पाइंटों पर प्राप्त नमक को आवश्यकतानुसार अन्य जिलों में परिवहन कराने हेतु प्रदाय आदेश दिया जाना है :-

क्रमांक	रैक पाइंट का नाम	जिला	मात्रा (टन में)	माह हेतु कोटा
01	जजिगीर	जाजगीर	800	अगस्त 14 के कोटा
		कोरबा	200	
			1000	
02	बिलासपुर	बिलासपुर	900	
		कोरबा	300	
		मुंगेली	500	
		योग :-	1700	

अनसार नस्ती अवलोकनार्थ एवं आगामी

सहा.लेखाधिकारी (परा)

ગુપ્ત જોઈને ઉલ્કાજી have point (અલ્કાજી) કે જે
 સુધારી સારી થયા ગયા છે એ જાણીને એક દુધ
 ગમે (જે) અલ્કાજી જે રંગમાં દુધ ઉલ્કાજી/કાળા જે પેશ મેલ
 Rame માં રાખી જે ઉપલબ્ધતા મળી જાય છે. જે પાત્ર ૫

१०५
 १०५
 १०५

उपय. A' अनुसूचना 1

~~MLO~~ ~~MCADS~~

BAW

তারিখ ১৫-৭-১৫/২৪/১৫

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लायज कॉर्पोरेशन लि., रायपुर

शाखा PSB/Salt

विषय रमेश साल्ट ट्रेडर्स, हलवद (बिलासपुर)

फाईल नं. वर्ष 14/15 पृष्ठ क्रं 63

विषय :- अमृत नमक रैक परिवहन आदेश के संबंध में ।

विषयांतर्गत मुख्यालय के पत्र क्रमांक/साविप्र/नमक/2014-15/654 दिनांक 08.08.2014 के द्वारा माह सितम्बर 2014 हेतु 03 रैक प्रदायकर्ता फर्म मेसर्स रमेश साल्ट ट्रेडर्स, हलवद गुजरात को आबंटित करने हेतु नमक आयुक्त जयपुर राजस्थान को लेख कर प्रदायकर्ता को पृष्ठांकित किया गया था ।

माह सितम्बर 2014 में प्राप्त होने वाली रैक को आपके निर्देशानुसार निम्नानुसार रैक पाइंट पर पत्र जारी दिनांक से 30 दिवस के भीतर प्रदाय करने हेतु उक्त प्रदायकर्ता फर्म को निर्देशित किया जाना है ।

क्रमांक	रैक पाइंट का नाम	मात्रा (मेटन)	कोटा
1.	बिलासपुर	2700.00	सितम्बर 2014 के कोटा
2.	विश्रामपुर	2700.00	-तदैव-
3.	अकलतरा/खरशिया	2700.00	-तदैव-

2- माह सितम्बर 2014 में प्रदायकर्ता द्वारा प्रदाय किये जाने हेतु तैयार अमृत नमक को रैक लोडिंग के पूर्व गुणवत्ता की परीक्षण कराने हेतु जिला बिलासपुर के किसी अधिकारी/कर्मचारी को प्रवास पर भेजा जाना है ।

कृपया उपरोक्तानुसार दो पत्र तैयार कर प्रारूप नस्ती पर अवलोकनार्थ प्रस्तुत है ।

सहायक लेखाधिकारी (क्लेम)

धिए 24-14 के 03 अमृत नमक नमक आयुक्त के निर्देश के आधार पर नमक प्रदायकर्ता M/s. Ramesh salt traders के 3 रैक उपलब्ध रहे पत्र प्रदाय करने के अवकाश प्राप्त ।

महेश्वरी
7/10/15
कृपया 'A' अनुसार अनुमति देना चाहेंगे।
अनुमोदित।
21/9/14

महेश्वरी
महेश्वरी
जयपुर 827, 828/39/14

875
3-9-14

3310/3-9-14

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लायज कॉर्पोरेशन लि., रायपुर

शाखा PDS/SCU

विषय बिल्ला साहू ट्रेडर्स हलवद गुजरात

फाईल नं. वर्ष 14/15 पृष्ठ क्रं. (68)

6/9/14 3386/69-14

युक्त पत्र

विषय :- अमृत नमक रैक परिवहन/प्रदाय आदेश के संबंध में ।
संदर्भ :- निगम मुख्यालय का पत्र क्रमांक/साविप्र/नमक/2014-15/827
दिनांक 03.09.14

निगम मुख्यालय के पत्र क्रमांक/साविप्र/नमक/2014-15/827 दिनांक 03.09.2014 के द्वारा माह सितम्बर 2014 के लिये 01 रैक अमृत नमक बिलासपुर रैक पाइंट पर लाने हेतु आदेशित किया गया था ।

अतः आपके निर्देशानुसार बिलासपुर रैक से प्राप्त नमक को अधिनस्थ अन्य जिलों में निम्नानुसार मात्रा का परिवहन/प्रदाय कराने हेतु प्रदायकर्ता मेसर्स रमेश साल्ट ट्रेडर्स हलवद गुजरात को प्रदाय आदेश दिया जाना है :-

क्र०	रैक पाइंट का नाम	जिला	मात्रा (टन में)	माह हेतु कोटा
01	बिलासपुर	बिलासपुर	1700	सितम्बर 2014
		कोरबा	500	
		मुंगेली	500	
		योग :-	2700	

उपरोक्तानुसार नस्ती अवलोकनार्थ प्रस्तुत है ।

सहायक लेख/धिकारी (क्लेम)

6/9/14

प्रत्यक्ष बिलासपुर रैक पाइंट पर मात्र रैक को नमक मात्रा के अन्तर्गत अमृत नमक प्रदाय हेतु आदेशित किया जाता है। अन्य जिलों में प्रदाय नस्ती अमृत नमक प्रदाय हेतु आदेशित किया जाता है।

M/PDS

6/9/14

क्यापू अमृत नमक प्रदाय हेतु आदेशित किया जाता है।

अनुमोदित/ 6/9/14

M(PDS)

6/9/14

7.7.14 3386/69-14 06/09/14

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लायज कॉर्पोरेशन लि., रायपुर

शाखा २००९/२०१०

विषय रमेश साहू ट्रेडर्स हलवद गुजरात

फाईल नं. वर्ष १५/१५ पृष्ठ क्रं. (६९)

विषय :- अमृत नमक रैक परिवहन/प्रदाय आदेश के संबंध में ।

मुख्यालय के पत्र क्रमांक/साविप्र/नमक/२०१४-१५/८२७ दिनांक ०३.०९.२०१४ माह सितम्बर २०१४ के लिये ०१ रैक अमृत नमक विश्रामपुर रैक पाइंट पर लाने हेतु प्रदायकर्ता फर्म मेसर्स रमेश साहू ट्रेडर्स, हलवद गुजरात को आदेशित किया गया था ।

विश्रामपुर रैक से प्राप्त नमक को उनके आस-पास के अन्य जिलों में निम्नानुसार मात्रा का परिवहन करने हेतु निर्देशानुसार प्रदायकर्ता फर्म को प्रदाय आदेश किया जाना है :-

क्रमांक	रैक पाइंट का नाम	जिला	मात्रा (टन में)	माह हेतु कोटा
०१	विश्रामपुर	बलरामपुर	४००	सितम्बर २०१४
		जशपुर	४००	
		कोरिया	४००	
		सरगुजा	७००	
		सूरजपुर	८००	
		योग :-	२७००	

कृपया उपरोक्तानुसार नस्ती अवलोकनार्थ ।

सहायक लेखाधिकारी (क्लेम)

विश्रामपुर रैक पर अमृत नमक को प्राप्त करने के लिये ०१ रैक अमृत नमक विश्रामपुर रैक पाइंट पर लाने हेतु प्रदायकर्ता फर्म मेसर्स रमेश साहू ट्रेडर्स, हलवद गुजरात को आदेशित किया गया था ।

अनुमोदित

अनुमोदित

अनुमोदित

M (S)

जावड रु. ९३३/१८-९-१५

कृप.उ.

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लायज कॉर्पोरेशन लि., रायपुर

शाखा 0001

विषय नवम्बर/दिसम्बर हेतु रैक आबंटन (विशेष)

फाईल नं. वर्ष 14/15 पृष्ठ क्रं. 01

1006/22.09.14

गत पृष्ठ

विषय :- छत्तीसगढ़ राज्य के लिये सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु आयोडीनयुक्त अमृत नमक का रैक आबंटन करने बाबत ।

राज्य शासन द्वारा अमृत नमक का आबंटन माह अक्टूबर 2014 में लगभग 125 मे0टन दिया गया है जिसके आधार मानते हुये छ0ग0राज्य के सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अमृत नमक की आवश्यकता हेतु 2700 मे0टन प्रत्येक माह की आवश्यकता होगी है ।

अतः सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना के अन्तर्गत छ0ग0 में खाद्य विभाग के आबंटन को देखते हुये माह नवम्बर/दिसम्बर 2014 हेतु निम्नानुसार प्रदायकर्ता फर्म को रैक आबंटन करने हेतु नमक आयुक्त, भारत सरकार, झालना डोंगरी, जयपुर राजस्थान को लेख किया जा रहा है :-

क्र0	प्रदायकर्ता फर्म का नाम	माह	स्थान	रैक संख्या
1	मेसर्स सूरज आयोडाईज्ड कंपनी, खारागोडा गुजरात	माह नवम्बर 14	खारागोडा	03
		माह दिसम्बर 14	खारागोडा	03
2	मेसर्स रमेश साल्ट ट्रेडर्स, हलवद गुजरात	माह नवम्बर 14		03
		माह दिसम्बर 14	हलवद	03
योग :-				12

कृपया उपरोक्तानुसार नस्ती अवलोकनार्थ एवं आगामी कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है ।

सहा0लेखाधिकारी (क्लेम)

प्रति, Salt Commission, भारत सरकार के शा. व. 3
Deer 2014 के लिए 03-03 रैक हेतु अगला रैक 01 रैक अंतिम
रैक हेतु कार्यवाही का नतीजा प्रेषित

M/PS

रैक हेतु कार्यवाही A अनुसार उत्तराव साल्ट कमिशनर
जयपुर के भेजे श्री अनुमति देना चाहिये

M/D

अनुमोदित

M(PS)

22/9

MO/3673/22.9.14
22.9.14

1145 ह. 964/24/9/14

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लायज कॉर्पोरेशन लि., रायपुर

शाखा 0085412

विषय रमेश साहू डेप्टी हल्डर गुजराट

फाईल नं. वर्ष 14/15 पृष्ठ क्रं. (1)

1029
25.9.14

विषय :- अग्रिम उदाय आवेदन बाबत

विषयानुसार माह नवम्बर 2014 हेतु एक
रुपये अग्रिम नमूदा जोगीर बैंक पांस्ट पर बाने हेतु
दिनांक 03.09.2014 को उदाय डी.एस. रमेश साहू
डेप्टी हल्डर गुजराट को निर्देशित किया गया था।

अतः निर्देशानुसार जोगीर बैंक से उदाय
रुपये पाया गया जो राज्य जिले के पारिवहन कार्यालय
उदाय आवेदन दिया जाता है, विवरण निम्नसार है:-

क्र. सं.	बैंक	जिला	मात्रा (रु.)	कीय
1.	जोगीर	जोगीर	1800	विशेष 14
2.	—	कोरवा	600	—
3.	—	मुंगेली	300	—
कुल			2700	

उपरोक्तानुसार नयी नमूदागत।

अतः (क्लॉक)

11/3747/25.9.14
25.9.14

कृपया Attention Name पर पर ध्यान दें
जो रु. माता के उपलब्धता को के अदायक बन जाते हैं।

नमो अग्रिम

M/2014

अथवा A अग्रिम अनुमोदन देना - पारित
25/9/14

अनुमोदित

M/2014

अग्रिम

25/9

कृपया

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाइज कॉर्पोरेशन लि., रायपुर

शाखा २२२/२५६

विषय रमेश साहू ट्रेडर्स हलवद गुजरात

फाईल नं. वर्ष १५/१५ पृष्ठ क्रं. १३

विषय :- अमृत नमक रैक परिवहन/प्रदाय आदेश के संबंध में ।

मुख्यालय का पत्र क्र./साविप्र/नमक/२०१४-१५/९९९ दिनांक ०१.१०.२०१४ के द्वारा माह अक्टूबर २०१४ के लिये ०२ रैक अमृत नमक बिलासपुर तथा विश्रामपुर रैक पाइंट पर लाने हेतु प्रदायकर्ता फर्म मेसर्स रमेश साहू ट्रेडर्स हलवद गुजरात को निर्देशित किया गया था ।

अतः उक्त रैक पाइंटों से प्राप्त नमक को उनके अधिनस्थ अन्य जिलों में निम्नानुसार मात्रा का परिवहन/प्रदाय करान हेतु उक्त प्रदायकर्ता फर्म को निर्देशित किया जाना है ।

क्रमांक	रैक पाइंट का नाम	जिला	मात्रा (टन में)	माह हेतु कोटा
01	बिलासपुर	बिलासपुर	1500	अक्टूबर २०१४
		कोरबा	700	
		मुंगेली	500	
		योग :-	2700	
02	विश्रामपुर	बलरामपुर	400	
		जशपुर	500	
		कोरिया	300	
		सरगुजा	500	
		सूरजपुर	1000	
		योग :-	2700	

कृपया उपरोक्तानुसार नस्ती अवलोकनार्थ प्रस्तुत ।

सहायक लेखाधिकारी (क्लेम)

M/s. Ramesh Sahu Traders Haldwadi के माह ०५-१०-१५ के

② रैक अमृत नमक रैक के माह ०५-१०-१५ के लिये प्रदायकर्ता फर्म मेसर्स रमेश साहू ट्रेडर्स हलवद गुजरात को निर्देशित किया गया था ।

M/s.

रमेश साहू ट्रेडर्स हलवद गुजरात

अनुमोदित ।

मो.

मो.

MO/3885/7.10.14
7.10.14

M/s.

मो.

मो. १०/१५

कृ.प.व.

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लायज कॉर्पोरेशन लि., रायपुर

शाखा पोस्टल

विषय रमेश साल्ट ट्रेडर्स हलवद गुजरात

फाइल नं. वर्ष 14/15 पृष्ठ क्रं. 24

1104
9.10.14

गत पृष्ठ
विषय :-

सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के लिये आयोडीनयुक्त अमृत नमक का अतिरिक्त रैक आबंटित करने बाबत ।

—*—

विषयान्तर्गत बिलासपुर एवं सरगुजा संभाग में अमृत नमक की आवश्यकता को देखते हुये सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना के अन्तर्गत नमक वितरण हेतु माह अक्टूबर से दिसम्बर 2014 के लिये निम्न प्रदायकर्ता फर्म को 3 अतिरिक्त रैक आबंटन करने हेतु आपके निर्देशानुसार नमक आयुक्त, भारत सरकार, झालना डोंगरी, जयपुर राजस्थान को लेख किया जा रहा है ।

क्र०	प्रदायकर्ता फर्म का नाम	माह	स्थान	अतिरिक्त रैक संख्या
1	मेसर्स रमेश साल्ट ट्रेडर्स, हलवद गुजरात	माह अक्टूबर 14	हलवद	01
		माह नवम्बर 14	हलवद	01
		माह दिसम्बर 14	हलवद	01
योग :-				03 अतिरिक्त रैक

A-

कृपया पत्र के प्रारूप अवलोकनार्थ प्रस्तुत ।

सहायक लेखाधिकारी (क्लेम)

महेश्वर (PDS)

'A' कृपया अनुमोदित

29/10/14

3933/9.10.14
09.10.14

M

M (PDS)

0

अनुमोदित

29/10

29/10/14

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लायज कॉर्पोरेशन लि., रायपुर

शाखा PDS/SAH

विषय म. रमेश साल्ट ट्रेडर्स हलवद (गुजरात)

फाईल नं. वर्ष 2014-15 पृष्ठ क्रं. 75

विषय :- अमृत नमक रैक परिवहन आदेश के संबंध में ।

निगम मुख्यालय के पत्र क्रमांक 964/24.09.2014 के द्वारा नमक आयुक्त, जयपुर (राजस्थान) को माह नवम्बर हेतु 03 रैक प्रदायकर्ता फर्म मेसर्स रमेश साल्ट ट्रेडर्स, हलवद (गुजरात) को आबंटित करने हेतु लेख किया गया था। नमक आयुक्त द्वारा आबंटित रैक को आपके निर्देशानुसार वर्तमान में 02 रैक पाइंट पर पत्र जारी दिनांक से 30 दिवस के भीतर प्रदाय करने हेतु प्रदायकर्ता को निर्देशित किया जाना है।

क्रमांक	रैक पाइंट का नाम	मात्रा (मेटन)
1	रायगढ़ (खरसीया)	2700.00
2	जांजगीर (अकलतरा)	2700.00

02. रैक लोडिंग के पूर्व प्रदायकर्ता द्वारा तैयार किये गये नमक की गुणवत्ता परीक्षण कराने तथा सही गुणवत्ता का प्रदाय कराने हेतु जिला प्रबंधक जांजगीर को जिले के किसी अधिकारी/कर्मचारी को प्रवास पर भेजने हेतु निर्देशित किया जा रहा है।

कृपया उपरोक्तानुसार प्रेषित किये जाने वाले पत्रों के प्रारूप नस्ती पर अवलोकनार्थ प्रस्तुत है ।

AAO (C/SAH)
म. रमेश साल्ट ट्रेडर्स (PDS)

05/11/14

म. रमेश साल्ट ट्रेडर्स (PDS)

MB

अनुमोदित।

05/11/14

M(PDS)

05/11/14

05/11/14

0

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाइज कॉर्पोरेशन लि., रायपुर

शाखा 0208/1011/14

विषय अमेडा वार्ड रेड्स हलवद गुजरात

फाईल नं. वर्ष 14/15 पृष्ठ क्रं. 1

गत पृष्ठ

विषय :- अमृत नमक रैक परिवहन/प्रदाय आदेश के संबंध में ।

मुख्यालय के पत्र के क्रमांक/साविप्र/नमक/2014-15/1269 दिनांक 05.11.14 के द्वारा नवम्बर 2014 के कोटा हेतु 02 रैक अमृत नमक रायगढ़ (खरसिया) त जांजगीर (अकलतरा) रैक पाइंट पर लाने हेतु प्रदायकर्ता को निर्देशित किया गया है ।

उक्त रैक पाइंटों से प्राप्त नमक को उनके अधिनस्थ अन्य जिलों में निम्नानुसार मात्रा का परिवहन कराने हेतु नमक प्रदायकर्ता मेसर्स रमेश साल्ट ट्रेडर्स हलवद गुजरात को प्रदाय आदेश दिया जाना है :-

क्रमांक	रैक पाइंट का नाम	जिला	मात्रा (टन में)	माह हेतु कोटा
01	रायगढ़ (खरसिया)	रायगढ़	2000	नवम्बर 2014
		जशपुर	700	
		योग :-	2700	
02	जांजगीर (अकलतरा)	बिलासपुर	500	
		जांजगीर	1700	
		कोरबा	300	
		मुंगेली	200	
		योग :-	2700	

उपरोक्तानुसार दिये जाने वाले प्रदाय आदेश के प्रारूप नस्ती पर अवलोकनार्थ ।

सहायक लेखाधिकारी (क्लेम)

10/11/14

10/11/14

10/11/14

10/11/14

40

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लायज कार्पोरेशन लि., रायपुर

शाखा (PS) Salt

विषय M/s. Ramji Salt Works

फाईल नं. वर्ष 14/15 पृष्ठ क्रं. 29

विषय :- अमृत नमक रैक प्रदाय हेतु रेल्वेभाड़ा में वृद्धि होने के कारण क्रय दर में वृद्धि बाबत ।

—•—•—

कार्यालयीन नोटशीट पृष्ठ क्रमांक 77-78 का अवलोकन करना चाहेंगे । जिसके प्रबंध संचालक महोदय द्वारा दी गई अनुमोदन के अनुसार प्रदायकर्ता मेसर्स रमेश साल्ट ट्रेडर्स, हलवद गुजरात को उनके स्वीकृत निविदा दर में ₹372.61 प्रति क्विंटल में माह अक्टूबर 2014 से प्रदाय की जाने वाली नमक रैक देयकों में रेल्वेभाड़ा में वृद्धि के फलस्वरूप ₹19.58 प्रति क्विंटल जोड़कर कुल ₹ 392.19 प्रति क्विंटल की स्वीकृति दिये जाने के संबंध में संबंधित प्रदायकर्ता को प्रेषित किये जाने वाले पत्र के प्रारूप नस्ती पर अवलोकनार्थ प्रस्तुत ।

सहायक लेखाधिकारी (क्लेम)

[Signature]
01/12/14

कुछ दिनों में नमक रैक प्रदाय हेतु रेल्वेभाड़ा में वृद्धि होने के कारण क्रय दर में वृद्धि बाबत । जिसके प्रबंध संचालक महोदय द्वारा दी गई अनुमोदन के अनुसार प्रदायकर्ता मेसर्स रमेश साल्ट ट्रेडर्स, हलवद गुजरात को उनके स्वीकृत निविदा दर में ₹372.61 प्रति क्विंटल में माह अक्टूबर 2014 से प्रदाय की जाने वाली नमक रैक देयकों में रेल्वेभाड़ा में वृद्धि के फलस्वरूप ₹19.58 प्रति क्विंटल जोड़कर कुल ₹ 392.19 प्रति क्विंटल की स्वीकृति दिये जाने के संबंध में संबंधित प्रदायकर्ता को प्रेषित किये जाने वाले पत्र के प्रारूप नस्ती पर अवलोकनार्थ प्रस्तुत ।

[Signature]
M/PS

[Signature]
01/12/14

म. 77-78 पर उदय-संचालक महोदय
द्वारा दिए गए अनुमोदन अनुसार
प्रदाय हेतु रेल्वेभाड़ा में वृद्धि बाबत ।
21/11/14

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लायज कांफारशन लि., रायपुर

शाखा रायपुर

विषय रायपुर रैक पर रायपुर

फाईल नं. वर्ष 1414 पृष्ठ क्रं. 10

गत पृष्ठ

विषय :- अमृत नमक रैक परिवहन/प्रदाय आदेश के संबंध में ।

मुख्यालय के पत्र क्रमांक/1410 दिनांक 25.11.14 के माध्यम से माह दिसम्बर 2014 के लिये 02 रैक अमृत नमक बिलासपुर एवं विश्रामपुर रैक पाइंट पर लाने हेतु नमक प्रदायकर्ता मेसर्स रमेश साल्ट ट्रेडर्स हलवद गुजरात को आदेश दिया गया था ।

जिलों में नमक की आवश्यकता को देखते हुये निर्देशानुसार माह दिसम्बर 2014 को जिलों से प्राप्त होने वाले नमक को उनके अधिनस्थ अन्य परिवहन/प्रदाय किये जाने हेतु उक्त नमक प्रदायकर्ता को प्रदाय

क्रमांक	रैक पाइंट का नाम	जिला	मात्रा (टन में)	माह हेतु कोटा
01	बिलासपुर	बिलासपुर	1600	दिसम्बर 2014
		जांजगीर	300	
		कोरबा	300	
		मुंगेली	500	
		योग :-	2700	
02	विश्रामपुर	बलरामपुर	400	
		जशपुर	600	
		कोरिया	300	
		सूरजपुर	700	
		सरगुजा	700	
		योग :-	2700	

कृपया उपरोक्तानुसार दिये जाने वाले परिवहन/प्रदाय आदेश के प्रारूप नस्ती पर अवलोकनार्थ ।

सहायक लेखाधिकारी (क्लेम)

मुख्यालय रायपुर से माह दिसम्बर 2014 के लिये नमक प्रदाय आदेश के प्रारूप नस्ती पर अवलोकनार्थ ।

7/12/14

रूप A अनुसार किमुदीन केन चारेगी

प्र

अनुमोदित

जा

M(12/14)

3/12

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लिमिटेड

"हितवाद परिसर" अवंति विहार तेलीबांधा, मुख्यालय रायपुर

क्रमांक/साविप्र/नमक/2014-15/1494
प्रति,

/रायपुर, दिनांक :- 05/12/14

मेसर्स रमेश साल्ट ट्रेडर्स,
हलवद, गुजरात

विषय :- अमृत नमक रैक परिवहन/प्रदाय आदेश के संबंध में ।
संदर्भ :- मुख्यालय का पत्र क्र./साविप्र/नमक/2014-15/1410 दिनांक 25.11.14

संदर्भित पत्र के माध्यम से माह दिसम्बर 2014 के लिये 02 रैक अमृत नमक बिलासपुर एवं विश्रामपुर रैक पाइंट पर लाने हेतु आदेशित किया गया था ।

माह दिसम्बर 2014 कोटा के बिलासपुर एवं विश्रामपुर रैक पाइंटों से प्राप्त होने वाले नमक को उनके अधिनस्थ अन्य जिलों में निम्नानुसार मात्रा का परिवहन/प्रदाय किया जाना सुनिश्चित करें :-

क्रमांक	रैक पाइंट का नाम	जिला	मात्रा (टन में)	माह हेतु कोटा
01	बिलासपुर	बिलासपुर	1600	दिसम्बर 2014
		जांजगीर	300	
		कोरबा	300	
		मुंगेली	500	
		योग :-	2700	
02	विश्रामपुर	बलरामपुर	400	
		जशपुर	600	
		कोरिया	300	
		सूरजपुर	700	
		सरगुजा	700	
		योग :-	2700	

नोट :- उपरोक्त सारणी में दी गई मात्रा को यथावत जिलों में प्रदाय करें । रैक आने के पूर्व संबंधित जिला प्रबंधकों से संपर्क कर संबंधित जिलों के प्रदायकेन्द्रों में प्रदाय किया जाना सुनिश्चित करें ।

(प्रबंध संचालक महोदय द्वारा अनुमोदित)

पृ0क्र0/साविप्र/नमक/2014-15/1494
प्रतिलिपि :-

प्रबंधक (साविप्र)
/रायपुर, दिनांक :- 05/12/14

- नोडल अधिकारी (आई.टी.) छ0ग0स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लिमिटेड मुख्यालय, रायपुर को ओर सूचनार्थ ।
- जिला प्रबंधक, छ0ग0 स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लिमिटेड बिलासपुर/जांजगीर/कोरबा/मुंगेली/बलरामपुर/जशपुर/कोरिया/सरगुजा/सूरजपुर की ओर सूचनार्थ ।

प्रबंधक (साविप्र)

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लायज कार्पोरेशन लिमिटेड

“हितवाद परिसर” अवंति विहार तेलीबांधा, मुख्यालय रायपुर

क्रमांक/साविप्र/नमक/2014-15/
प्रति,

/रायपुर, दिनांक :- 11/11/14

मेसर्स रमेश साल्ट ट्रेडर्स,
हलवद, गुजरात

विषय :- अमृत नमक रैक परिवहन/प्रदाय आदेश के संबंध में ।

संदर्भ :- मुख्यालय का पत्र क्र./साविप्र/नमक/2014-15/1269 दिनांक 05.11.14

संदर्भित पत्र के माध्यम से माह नवम्बर 2014 के लिये 02 रैक अमृत नमक रायगढ़ (खरसिया) तथा जांजगीर (अकलतरा) रैक पाइंट पर लाने हेतु आदेशित किया गया था ।

अतः उक्त रैक पाइंटों से प्राप्त नमक को उनके अधिनस्थ अन्य जिलों में निम्नानुसार मात्रा का परिवहन/प्रदाय किया जाना सुनिश्चित करें :-

क्रमांक	रैक पाइंट का नाम	जिला	मात्रा (टन में)	माह हेतु कोटा
01	रायगढ़ (खरसिया)	रायगढ़	2000	नवम्बर 2014
		जशपुर	700	
		योग :-	2700	
02	जांजगीर (अकलतरा)	बिलासपुर	500	
		जांजगीर	1700	
		कोरबा	300	
		मुंगेली	200	
		योग :-	2700	

नोट :- उपरोक्त सारणी में दी गई मात्रा को यथावत जिलों में प्रदाय करें । रैक आने के पूर्व संबंधित जिला प्रबंधकों से संपर्क कर संबंधित जिलों के प्रदायकेन्द्रों में प्रदाय किया जाना सुनिश्चित करें ।

(प्रबंध संचालक महोदय द्वारा अनुमोदित)

पृ0क्र0/साविप्र/नमक/2014-15/
प्रतिलिपि :-

- नोडल अधिकारी (आई.टी.) छ0ग0स्टेट सिविल सप्लायज कार्पोरेशन लिमिटेड मुख्यालय, रायपुर को ओर सूचनार्थ ।
- जिला प्रबंधक, छ0ग0 स्टेट सिविल सप्लायज कार्पोरेशन लिमि0 रायगढ़/जशपुर/बिलासपुर/जांजगीर/कोरबा/मुंगेली की ओर सूचनार्थ ।

प्रबंधक (साविप्र)

/रायपुर, दिनांक :- 11/11/14

प्रबंधक (साविप्र)

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लायज कार्पोरेशन लिमिटेड

“हितवाद परिसर” अवन्ति विहार तेलीबांधा, मुख्यालय रायपुर

क्रमांक/साविप्र/नमक/2014-15/1028
प्रति,

/रायपुर, दिनांक :- 8.10.14

मेसर्स रमेश साल्ट ट्रेडर्स,
हलवद, गुजरात

विषय :- अमृत नमक रैक परिवहन/प्रदाय आदेश के संबंध में ।

संदर्भ :- मुख्यालय का पत्र क्र./साविप्र/नमक/2014-15/999 दिनांक 01.10.14

संदर्भित पत्र के माध्यम से माह अक्टूबर 2014 के लिये 02 रैक अमृत नमक बिलासपुर तथा विश्रामपुर रैक पाइंट पर लाने हेतु आदेशित किया गया था ।

अतः उक्त रैक पाइंटों से प्राप्त नमक को उनके अधिनस्थ अन्य जिलों में निम्नानुसार मात्रा का परिवहन/प्रदाय किया जाना सुनिश्चित करें :-

क्रमांक	रैक पाइंट का नाम	जिला	मात्रा (टन में)	माह हेतु कोटा
01	बिलासपुर	बिलासपुर	1500	अक्टूबर 2014
		कोरबा	700	
		मुंगेली	500	
		योग :-	2700	
02	विश्रामपुर	बलरामपुर	400	
		जशपुर	500	
		कोरिया	300	
		सरगुजा	500	
		सूरजपुर	1000	
		योग :-	2700	

नोट :- उपरोक्त सारणी में दी गई मात्रा को यथावत जिलों में प्रदाय करें । रैक आने के पूर्व संबंधित जिला प्रबंधकों से संपर्क कर संबंधित जिलों के प्रदायकेन्द्रों में प्रदाय किया जाना सुनिश्चित करें ।

(प्रबंध संचालक महोदय द्वारा अनुमोदित)

hall
(एस0एस0भट्ट)
प्रबंधक (साविप्र)पृ0क्र0/साविप्र/नमक /2014-15/1028A
प्रतिलिपि :-

/रायपुर, दिनांक :- 8.10.14

- नोडल अधिकारी (आई.टी.) छ0ग0स्टेट सिविल सप्लायज कार्पोरेशन लिमिटेड मुख्यालय, रायपुर को ओर सूचनार्थ ।
- जिला प्रबंधक, छ0ग0 स्टेट सिविल सप्लायज कार्पोरेशन लिमि0 बिलासपुर/कोरबा/मुंगेली/बलरामपुर/जशपुर/कोरिया/सरगुजा/सूरजपुर की ओर सूचनार्थ ।

hall
प्रबंधक (साविप्र)

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लिमिटेड

“हितवाद परिसर” अवंति विहार तेलीबांधा, मुख्यालय रायपुर

क्रमांक/साविप्र/नमक/2014-15/976

/रायपुर, दिनांक 25/09/2014

प्रति,

मेसर्स रमेश साल्ट ट्रेडर्स,
हलवद, गुजरातविषय :-
संदर्भ :-

अमृत नमक रैक परिवहन/प्रदाय आदेश के संबंध में ।

मुख्यालय का पत्र क्र./साविप्र/नमक/2014-15/828 दिनांक 03.09.14

संदर्भित पत्र के माध्यम से माह सितम्बर 2014 के लिये 01 रैक अमृत नमक जांजगीर रैक पाइंट पर लाने हेतु आदेशित किया गया था ।

अतः जांजगीर रैक से प्राप्त नमक को अधिनस्थ अन्य जिलों में निम्नानुसार मात्रा का परिवहन/प्रदाय किया जाना सुनिश्चित करें :-

क्रमांक	रैक पाइंट का नाम	जिला	मात्रा (टन में)	माह हेतु कोटा
01	जांजगीर	जांजगीर	1800	सितम्बर 2014
	(अड्डा)	कोरबा	600	
		मुंगेली	300	
		योग :-	2700	

नोट :- उपरोक्त सारणी में दी गई मात्रा को यथावत जिलों में प्रदाय करें । रैक आने के पूर्व संबंधित जिला प्रबंधकों से संपर्क कर संबंधित जिलों के प्रदायकेन्द्रों में प्रदाय किया जाना सुनिश्चित करें ।

(प्रबंध संचालक सहोदय द्वारा अनुमोदित)

(एस0एस0भट्ट)
प्रबंधक (साविप्र)

पृ0क्र0/साविप्र/नमक/2014-15/976

/रायपुर, दिनांक 25/09/2014

प्रतिलिपि :-

- 01 नोडल अधिकारी (आई.टी.) छ0ग0 स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लिमिटेड मुख्यालय, रायपुर को और सूचनार्थ ।
- 02 जिला प्रबंधक, छ0ग0 स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लिमि0 जांजगीर/कोरबा/मुंगेली की ओर सूचनार्थ ।

(एस0एस0भट्ट)
प्रबंधक (साविप्र)

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लिमिटेड

“हितवाद परिसर” अवंति विहार तेलीबांधा, मुख्यालय रायपुर

क्रमांक/साविप्र/नमक/2014-15/933
प्रति,

/रायपुर, दिनांक 18/09/2014

मेसर्स रमेश साल्ट ट्रेडर्स,
हलवद, गुजरात

विषय :- अमृत नमक रैक परिवहन/प्रदाय आदेश के संबंध में ।

संदर्भ :- मुख्यालय का पत्र क्र./साविप्र/नमक/2014-15/827 दिनांक 03.09.14

संदर्भित पत्र के माध्यम से माह सितम्बर 2014 के लिये 01 रैक अमृत नमक विश्रामपुर रैक पाइंट पर लाने हेतु आदेशित किया गया था ।

अतः विश्रामपुर रैक से प्राप्त नमक को अधिनस्थ अन्य जिलों में निम्नानुसार मात्रा का परिवहन/प्रदाय किया जाना सुनिश्चित करें :-

क्रमांक	रैक पाइंट का नाम	जिला	मात्रा (टन में)	माह हेतु कोटा
01	विश्रामपुर	बलरामपुर	400	सितम्बर 2014
		जशपुर	400	
		कोरिया	400	
		सरगुजा	700	
		सूरजपुर	800	
		योग :-	2700	

नोट :- उपरोक्त सारणी में दी गई मात्रा को यथावत जिलों में प्रदाय करें । रैक आने के पूर्व संबंधित जिला प्रबंधकों से संपर्क कर संबंधित जिलों के प्रदायकेंद्रों में प्रदाय किया जाना सुनिश्चित करें । उपरोक्त परिवहन/प्रदाय आदेश के अतिरिक्त किसी जिले में कम, ज्यादा अथवा नया जिले में प्रेषित करने पर मुख्यालय को अवगत करावें ।

(प्रबंध संचालक महोदय द्वारा अनुमोदित)

(एस0एस0भट्ट)
प्रबंधक (साविप्र)

पृ0क्र0/साविप्र/नमक/2014-15/933 A /रायपुर, दिनांक 18/09/2014

प्रतिलिपि :-

- 01 नोडल अधिकारी (आई.टी.) छ0ग0स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लिमिटेड मुख्यालय, रायपुर को ओर सूचनार्थ ।
- 02 जिला प्रबंधक, छ0ग0 स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लिमि0 बलरामपुर/जशपुर/कोरिया/सरगुजा/सूरजपुर की ओर सूचनार्थ ।

(एस0एस0भट्ट)
प्रबंधक (साविप्र)

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लायज कार्पोरेशन लिमिटेड

"हितवाद परिसर" अवंति विहार तेलीबांधा, मुख्यालय रायपुर

क्रमांक/साविप्र/नमक/2014-15/852

/रायपुर, दिनांक 06/09/2014

प्रति,

मेसर्स रमेश साल्ट ट्रेडर्स,
हलवद, गुजरात

विषय :- अमृत नमक रैक परिवहन/प्रदाय आदेश के संबंध में।

संदर्भ :- निगम मुख्यालय का पत्र क्रमांक/साविप्र/नमक/2014-15/827 दिनांक 03.09.14

संदर्भित पत्र के माध्यम से माह सितम्बर 2014 के लिये 01 रैक अमृत नमक बिलासपुर रैक पाइंट पर लाने हेतु आदेशित किया गया था।

अतः बिलासपुर रैक से प्राप्त नमक को अधिनस्थ अन्य जिलों में निम्नानुसार मात्रा का परिवहन/प्रदाय किया जाना सुनिश्चित करें :-

क्रमांक	रैक पाइंट का नाम	जिला	मात्रा (टन में)	माह हेतु कोटा
01	बिलासपुर	बिलासपुर	1700	सितम्बर 2014
		कोरबा	500	
		मुंगेली	500	
		योग :-	2700	

नोट :- उपरोक्त सारणी में दी गई मात्रा को यथावत जिलों में प्रदाय करें। रैक आने के पूर्व संबंधित जिला प्रबंधकों से संपर्क कर संबंधित जिलों के प्रदायकेन्द्रों में प्रदाय किया जाना सुनिश्चित करें। उपरोक्त परिवहन/प्रदाय आदेश के अतिरिक्त किसी जिले में कम, ज्यादा अथवा नया जिले में प्रेषित करने पर मुख्यालय को अवगत करावें।
(प्रबंध संचालक महोदय द्वारा अनुमोदित)

Full
(एस0एस0भट्ट)
प्रबंधक (साविप्र)

पृ0क्र0/साविप्र/नमक/2014-15/852A

/रायपुर, दिनांक 06/09/2014

प्रतिलिपि :-

- नोडल अधिकारी (आई.टी.) छ0ग0स्टेट सिविल सप्लायज कार्पोरेशन लिमिटेड मुख्यालय, रायपुर को ओर सूचनार्थ।
- जिला प्रबंधक, छ0ग0 स्टेट सिविल सप्लायज कार्पोरेशन लिमि0 कोरबा / बिलासपुर/मुंगेली की ओर सूचनार्थ।

Full
प्रबंधक (साविप्र)

[illegible]

367

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लिमिटेड

“हितवाद परिसर” अवंति विहार तेलीबांधा, मुख्यालय रायपुर

क्रमांक / साविप्र / नमक / 2014-15 / 788 / रायपुर, दिनांक 28/08/2014
प्रति,

मेसर्स रमेश साल्ट ट्रेडर्स,
हलवद, गुजरात

विषय :- अमृत नमक रैक परिवहन/प्रदाय आदेश के संबंध में ।
संदर्भ :- निगम मुख्यालय का पत्र क्रमांक/साविप्र/नमक/2014-15/652 दिनांक 08.08.14

संदर्भित पत्र के माध्यम से माह अगस्त 2014 के लिये 01 रैक अमृत नमक जांजगीर रैक पाइंट पर लाने हेतु आदेशित किया गया था ।

जिलों में नमक की आवश्यकता को देखते हुये उक्त दिये गये रैक परिवहन को संशोधित करते हुये जांजगीर/बिलासपुर रैक में नमक लाने हेतु आदेशित किया जाता है ।

जांजगीर/बिलासपुर रैक से प्राप्त नमक को अन्य जिलों में निम्नानुसार मात्रा का परिवहन/प्रदाय किया जाना सुनिश्चित करें :-

क्रमांक	रैक पाइंट का नाम	जिला	मात्रा (टन में)	माह हेतु कोटा
01	जांजगीर	जांजगीर	800	अगस्त 14 के कोटा
		कोरबा	200	
	योग :-		1000	
02	बिलासपुर	बिलासपुर	900	
		कोरबा	300	
		मुंगेली	500	
	योग :-		1700	

नोट :- उपरोक्त सारणी में दी गई मात्रा को यथावत जिलों में प्रदाय करें । रैक आने के पूर्व संबंधित जिला प्रबंधकों से संपर्क कर संबंधित जिलों के प्रदायकेन्द्रों में प्रदाय किया जाना सुनिश्चित करें । उपरोक्त परिवहन/प्रदाय आदेश के अतिरिक्त किसी जिले में कम, ज्यादा अथवा नया जिले में प्रेषित करने पर मुख्यालय को अवगत करावें ।
(प्रबंध संचालक महोदय द्वारा अनुमोदित)

(एस0एस0भट्ट)
प्रबंधक (साविप्र)

पृ0क्र0 / साविप्र / नमक / 2014-15 / 788A / रायपुर, दिनांक 28/08/2014
प्रतिलिपि :-

01. नोडल अधिकारी (आई.टी.) छ0ग0स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लिमिटेड मुख्यालय, रायपुर को ओर सूचनार्थ ।
02. जिला प्रबंधक, छ0ग0 स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लिमि0 जांजगीर/ कोरबा / बिलासपुर/मुंगेली की ओर सूचनार्थ ।

(एस0एस0भट्ट)
प्रबंधक (साविप्र)

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लायज कार्पोरेशन लिमिटेड

“हितवाद परिसर” अवंति विहार तेलीबांधा, मुख्यालय रायपुर

क्रमांक / साविप्र / नमक / 2014-15 / 737 / रायपुर, दिनांक 23/08/2014
प्रति,मेसर्स रमेश साल्ट ट्रेडर्स,
हलवद,
गुजरात

विषय :- अमृत नमक रैक परिवहन/प्रदाय आदेश के संबंध में ।

संदर्भ :- निगम मुख्यालय का पत्र क्रमांक/साविप्र/नमक/2014-15/652 दिनांक 08.08.14

संदर्भित पत्र के माध्यम से माह अगस्त 2014 के लिये 01 रैक अमृत नमक रैक पाइंट पर लाने हेतु आदेशित किया गया था ।

अतः जमीर रैक पाइंट से प्राप्त होने वाली नमक को आवश्यकतानुसार अन्य जिलों में निम्नानुसार मात्रा को प्रदाय किया जाना सुनिश्चित करें :-

क्रमांक	रैक पाइंट का नाम	जिला	मात्रा (टन में)	माह हेतु कोटा
01	विजयपुर	बलरामपुर	400	अगस्त 14 के कोटा
	विजयपुर	जशपुर	200	
		कोरिया	300	
		सरगुजा	900	
		सूरजपुर	900	
		योग :-	2700	

नोट :- उपरोक्त सारणी में दी गई मात्रा को यथावत जिलों में प्रदाय करें । रैक आने के पूर्व संबंधित जिला प्रबंधकों से संपर्क कर संबंधित जिलों के प्रदायकेन्द्रों में प्रदाय किया जाना सुनिश्चित करें । उपरोक्त परिवहन/प्रदाय आदेश के अतिरिक्त किसी जिले में कम, ज्यादा अथवा नया जिले में प्रेषित करने पर मुख्यालय को अवगत करावें ।
(प्रबंध संचालक महोदय द्वारा अनुमोदित)

hall
(एस0एस0भट्ट)

प्रबंधक (साविप्र)

पृ0क्र0 / साविप्र / नमक / 2014-15 / 737A / रायपुर, दिनांक 23/08/2014
प्रतिलिपि :-

- नोडल अधिकारी (आई.टी.) छ0ग0स्टेट सिविल सप्लायज कार्पोरेशन लिमिटेड मुख्यालय, रायपुर को ओर सूचनार्थ ।
- जिला प्रबंधक, छ0ग0 स्टेट सिविल सप्लायज कार्पोरेशन लिमि0 बलरामपुर/जशपुर/कोरिया/सरगुजा/सूरजपुर की ओर सूचनार्थ ।

hall
प्रबंधक (साविप्र)

23-8-2014
23-8-14

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लायज कार्पोरेशन लिमिटेड

"हितवाद परिसर" अवंति विहार तेलीबांधा, मुख्यालय रायपुर

क्रमांक/साविप्र/नमक/2014-15/ 651 /रायपुर, दिनांक 08/08/2014

प्रति,

मेसर्स सूरज आयोडाईज्ड कंपनी,
खारागोड़ा, गुजरात

विषय -
संदर्भ -1.

अमृत नमक रैक परिवहन आदेश के संबंध में ।

निगम मुख्यालय का पत्र क्रमांक/2014-15/535 दिनांक 23.07.2014

संदर्भित पत्र का अवलोकन करें । पत्र के माध्यम से माह अगस्त 2014 के लिये 01 रैक अतिरिक्त आबंटित करने हेतु नमक आयुक्त, जयपुर को लेख किया गया था । अतः माह अगस्त के प्राप्त होने वाली अतिरिक्त रैक को भाटापारा एवं तिल्दा रैक पाइंट पर प्राप्त कर आवश्यकतानुसार निम्नानुसार मात्रा प्रदाय किया जाना सुनिश्चित करें :-

क्रमांक	रैक पाइंट का नाम	जिला	मात्रा (टन में)	माह हेतु कोटा
01	भाटापारा-तिल्दा	भाटापारा	1200	अगस्त 14 के अतिरिक्त कोटा
		बेमेतरा	400	
		रायपुर	1100	
		योग :-	2700	
02	दुर्ग	जिलेवार परिवहन आदेश पृथक से जारी किया जावेगा ।		अगस्त 14 के कोटा
03	राजनांदगाँव			

नोट :-1. उपरोक्त सारणी में दी गई मात्रा को यथावत जिलों में प्रदाय करें । रैक आने के पूर्व संबंधित जिला प्रबंधकों से संपर्क कर जिला प्रबंधकों द्वारा की गई मांग अनुसार संबंधित जिलों के प्रदायकेन्द्रों में प्रदाय किया जाना सुनिश्चित करें । उपरोक्त परिवहन आदेश के अतिरिक्त किसी जिले में कम, ज्यादा अथवा नया जिले में प्रेषित करने पर मुख्यालय को अवगत करावें ।

2. उपरोक्त रैक पाइंट पर नमक रैक पत्र जारी दिनांक से 30 दिवस के भीतर में प्रदाय किया जाना सुनिश्चित करें ।
(प्रबंध संचालक महोदय द्वारा अनुमोदित)

(एस0एस0म0ट)
प्रबंधक (साविप्र)

पु0क्र0/साविप्र/नमक/2014-15/651-1/रायपुर, दिनांक 08/08/2014

प्रतिलिपि :-

- नोडल अधिकारी (आई.टी.) छ0ग0स्टेट सिविल सप्लायज कार्पोरेशन लिमिटेड मुख्यालय, रायपुर को ओर सूचनार्थ ।
- जिला प्रबंधक, छ0ग0 स्टेट सिविल सप्लायज कार्पोरेशन लिमि0 बलौदाबाजार /बेमेतरा/रायपुर/दुर्ग/राजनांदगाँव की ओर सूचनार्थ ।

प्रबंधक (साविप्र)

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लिमिटेड मुख्यालय रायपुर

मुख्यालय द्वारा जारी रैक सप्लाइज आदेश विवरण

दिनांक:- 08/08/2014

सप्लाइज विवरण क्रमांक

SA0820140001

ट्रेडर	सूरज आयोडाइज्ड कंपनी खारागोडा (Bastar-Rajpur Sambhag)
रैक प्वाइंट	बलौदा बाजार-भाटापारा
मुख्यालय आदेश मात्रा	27000.00
समाग्री	अमृत नमक
मुख्यालय आदेश क्रमांक	PDS/SALT/2014-15/651 (BHATAPARA)
मुख्यालय आदेश दिनांक	08/08/2014
दर	376.21

हस्ताक्षर
एस.एस.भट्ट
प्रबंधक(पीडीएस)

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लिमिटेड

"हितवाद परिसर" अवंति विहार तेलीबांधा, मुख्यालय रायपुर

क्रमांक/साविप्र/नमक रैक परि./2014-15/492/रायपुर, दिनांक 15/07/2014
प्रति,मेसर्स रमेश साल्ट ट्रेडर्स,
हलवद, (गुजरात)

विषय :- अमृत नमक रैक परिवहन आदेश के संबंध में ।

संदर्भ :- निगम मुख्यालय का पत्र क्रमांक/NOIT/नमक रैक/2014-15/212
दिनांक 05.06.2014

संदर्भित पत्र के माध्यम से माह जून 14 हेतु जांजगीर रैक पाइंट पर 01 रैक दिये गये परिवहन आदेश को तथा माह जुलाई 2014 हेतु 02 रैक दिये जा रहे परिवहन आदेश को अन्य जिलों में आवश्यकतानुसार निम्नानुसार मात्रा को प्रदाय किया जाना सुनिश्चित करें :-

क्रमांक	रैक पाइंट का नाम	जिला	मात्रा (टन में)	माह हेतु कोटा
01	जांजगीर	जांजगीर	2300	जून 2014 के कोटा
		कोरबा	400	
		योग :-	2700	
02	रायगढ़	रायगढ़	2200	जुलाई 2014 के कोटा
		जशपुर	500	
		योग :-	2700	
03	बिलासपुर	बिलासपुर	1700	जुलाई 2014 के कोटा
		कोरबा	500	
		मुंगेली	500	
		योग :-	2700	

नोट :-01. उपरोक्त रैक पाइंट पर 30 दिवस के भीतर रैक लावें । रैक आने के पूर्व तालिका में दर्शित जिलों के जिला प्रबंधकों से संपर्क कर प्रदायकेन्द्रों में नमक प्रदाय करें ।

02. उपरोक्त रैक पाइंट निगम के आवश्यकतानुसार परिवर्तनीय होगी ।

03. रैक पाइंट पर गुणवत्ता की जाँच हेतु निगम के अधिकारी/कर्मचारी हलवद प्रवास पर भेजा जाना है । उक्त रैक पाइंट पर नमक तैयार होते ही तत्काल मुख्यालय को पत्र के माध्यम से अवगत कराना सुनिश्चित करें ।

04. निविदा शर्तों में उल्लेखित मानक गुणवत्ता एवं वजन के बोरों एवं पैकेट का अमृत नमक प्रदाय करें ।

(प्रबंध संचालक महोदय द्वारा अनुमोदित)

full
(एस0एस0भट्ट)
प्रबंधक (साविप्र)

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लायज कापरिशन लिमिटेड मुख्यालय रायपुर

201

मुख्यालय द्वारा जारी रैक सप्लायज आदेश विवरण

दिनांक:- 10/07/2014

रैक विवरण क्रमांक

SA0720140003

रैक	मेसर्स रमेश साल्ट ट्रेडर्स((Sarguja-Bilaspur Sambhag)
वहन	Truck
व्यापक आदेश मात्रा	2500.00
माग्री	अमृत नमक
व्यापक आदेश क्रमांक	PDS/NAMAK/2014-15/454 (KORIA)
व्यापक आदेश दिनांक	09/07/2014
	372.61

हस्ताक्षर
एस.एस.भट्ट
प्रबंधक(पीडीएस)

(6)

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लायज कार्पोरेशन लिमिटेड
“हितवाद परिसर” अवंति विहार, तेलीबांधा, मुख्यालय रायपुर

क्र./पीडीएस/2014-15/416

रायपुर, दिनांक : 3/7/14

प्रति,

मेसर्स रमेश साल्ट ट्रेडर्स,
हलवद (गुजरात)

विषय :- नमक रैक परिवहन आदेश विषयक।

संदर्भ :- आपका पत्र क्र./NOT/नमक रैक/14-15/212 दिनांक 05.06.2014

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करना चाहेंगे। पत्र के माध्यम से आपको माह जून 2014 हेतु आयोडीनयुक्त अमृत नमक सूरजपुर जिले में एक रैक विश्रामपुर रैक पाइंट पर प्राप्त होने वाले अमृत नमक को निम्नानुसार जिलों में प्रदाय किया जाना सुनिश्चित करें :-

(मात्रा मेटन में)

क्र.	रैक पाइंट	जिले का नाम	मात्रा
1	विश्रामपुर	सूरजपुर	1600
		बलरामपुर	300 ✓
		जशपुर	300
		कोरिया	200
		सरगुजा	300

उपरोक्त सारणी में दी गई मात्रा को यथावत् जिलों में प्रदाय करें। रैक आने के पूर्व संबंधित जिला प्रबंधकों से संपर्क कर जिला प्रबंधकों द्वारा की गई मांग अनुसार संबंधित जिलों के प्रदाय केन्द्रों में प्रदाय किया जाना सुनिश्चित करें। उपरोक्त परिवहन आदेश के अतिरिक्त किसी जिले में कम, ज्यादा अथवा नया जिले में प्रेषित करने पर मुख्यालय को अवगत करावें।

(प्रबंधक संचालक महोदय द्वारा अनुमोदित)

पृ. क्र./पीडीएस/2014-15/416A

प्रतिलिपि:-

1. जिला प्रबंधक, छ.ग. स्टेट सिविल सप्लायज कार्पोरेशन लिमिटेड सूरजपुर, बलरामपुर, जशपुर, कोरिया एवं सरगुजा को निर्देशित किया जाता है कि नमक रैक मात्रा के अनुसार गोदामों में भंडारित करने हेतु व्यवस्था करें।

प्रबंधक (नमक)

रायपुर, दिनांक : 3/7/14

प्रबंधक (नमक)

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाइज कॉर्पोरेशन लिमिटेड मुख्यालय रायपुर

2/3

मुख्यालय द्वारा जारी रैक सप्लाइज आदेश विवरण

दिनांक:- 03/07/2014

सप्लाइज विवरण क्रमांक

SA0720140001

ट्रेडर	मेसर्स रमेश साल्ट ट्रेडर्स((Sarguja-Bilaspur Sambhag)
रैक प्वाइंट	विश्रामपुर(जिला-सुरजपुर)
मुख्यालय आदेश मात्रा	27000.00
समाग्री	अमृत नमक
मुख्यालय आदेश क्रमांक	Pds/14-15/416 dated 03.07.14 / No#211/05.06.14
मुख्यालय आदेश दिनांक	03/07/2014
दर	372.61

हस्ताक्षर
एस.एस.भट्ट
प्रबंधक(पीडीएस)

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लायज कार्पोरेशन लिमिटेड
हितवाद परिसर, अवंति विहार, मुख्यालय रायपुर

489

क्र./साविप्र/नमक रैक/2013-14/ 115
प्रति,

रायपुर दिनांक 25/06/14

मेसर्स रमेश साल्ट ट्रेडर्स,
हितवाद
(गुजरात)

विषय:- नमक रैक परिवहन आदेश विषयक।

विषयांतर्गत माह मई 2014 आयोजीनयुक्त अमृत नमक बिलासपुर एवं सरगुजा संभाग के लिए एक रैक बिलासपुर एवं एक रैक रायगढ़ (खरसिया) रैक पाईट पर प्राप्त होने वाले अमृत नमक को निम्नानुसार जिलों में प्रदाय किया जाना सुनिश्चित करें:-

(मात्रा मेटन. में)			
क्र.	रैक पाईट	जिले का नाम	मात्रा
1	बिलासपुर	बिलासपुर	1500.00
2		जाजगीर	300.00
3		कोरबा	300.00
4		मुंगेली	600.00
कुल योग			2700.00
1	(खरसिया) खरसिया	रायगढ़	2000.00
2		जाजगीर	400.00
3		जशपुर	300.00
कुल योग			2700.00

उपरोक्त सारणी में दी गई मात्रा को यथावत् जिलों में प्रदाय करें। रैक आने के पूर्व संबंधित जिला प्रबंधकों से संपर्क कर जिला प्रबंधकों द्वारा की गई मांग अनुसार संबंधित जिलों के प्रदाय केंद्रों में प्रदाय किया जाना सुनिश्चित करें। उपरोक्त परिवहन आदेश के अतिरिक्त किसी जिले में कम, ज्यादा अथवा नया जिले में प्रेषित करने पर मुख्यालय को अवगत करावें।
(प्रबंधक संचालक, महोदय द्वारा अनुमोदित)

पृ. क्र./साविप्र/नमक रैक/2013-14/ 115-116
प्रतिलिपि :-

01. जिला प्रबंधक, छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लायज कार्पोरेशन बिलासपुर, जांजगीर, कोरबा, मुंगेली, रायगढ़, जशपुर को निर्देशित किया जाता है कि नमक रैक मात्रा के अनुसार गोदामों में भण्डारित करने हेतु व्यवस्था करें।

प्रबंधक (नमक)

रायपुर दिनांक 25/06/14

प्रबंधक (नमक)

25/06/14

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लिमिटेड
“हितवाद परिसर” अवति विहार तेलीबांधा, मुख्यालय रायपुर

क्रमांक/NOIT/नमक रैक/2014-15/212

रायपुर, दिनांक 25/06/14

प्रति,

मेसर्स रमेश साल्ट ट्रेडर्स,
हलवद
(गुजरात)

विषय :- अमृत नमक रैक परिवहन आदेश के संबंध में ।
संदर्भ :- मुख्यालय के पत्र क्रमांक/साविप्र/अमृत नमक/2013-14/81 दिनांक 16.04.14

मुख्यालय के संदर्भित पत्र का अवलोकन करें । पत्र अनुसार माह जून 2014 के लिए 03 रैक आबंटन हेतु नमक आयुक्त भारत सरकार को पत्र प्रेषित किया गया था । उक्त पत्र के अनुसार निम्नानुसार रैक पाईट पर अमृत नमक रैक पत्र जारी दिनांक से 30 दिवस के पूर्व प्रदाय करना सुनिश्चित करें ।

क्रमांक	रैक पाईट का नाम	मात्रा (टन में)
01	बिलासपुर	2600
02	विश्रामपुर	2600 ✓
03	जाजगीर	2600

नोट :- 01. रैक आने के पूर्व मुख्यालय को अनिवार्य रूप से अवगत करावें ताकि आवश्यकतानुसार संबंधित जिलों में नमक प्रदाय करने हेतु पृथक से परिवहन आदेश दिया जावेगा ।

02. उपरोक्त रैक पाईट निगम के आवश्यकतानुसार परिवर्तनीय होगी ।

03. रैक पाईट पर गुणवत्ता की जाँच हेतु निगम के अधिकारी/कर्मचारी हलवद प्रवास पर भेजा जाना है । उक्त रैक पाईट पर नमक तैयार होते ही तत्काल मुख्यालय को पत्र के माध्यम से अवगत कराना सुनिश्चित करें ।

04. निविदा शर्तों में उल्लेखित मानक गुणवत्ता एवं वजन के बोरो एवं पैकेट का अमृत नमक प्रदाय करें ।

(प्रबंध संचालक सहोदय द्वारा अनुमोदित)

पृ0क्र0/NOIT/नमक रैक/2014-15/212-14

रायपुर, दिनांक 25/06/14

प्रतिलिपि :-

जिला प्रबंधक, छ0ग0 स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लिमि0 बिलासपुर/
सूरजपुर/जाजगीर की ओर सूचनार्थ ।

प्रबंधक (नमक)

१७५

रमेश साल्ट ट्रेडर्स, हल्वाद (गुजरात)
मो.93011-93876

क्रमांक /

दिनांक : 24.6.14

प्रति,

प्रबंध संचालक

छ0ग0 स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन

हितवाद परिसर, अवंति विहार, रायपुर

विषय :- अमृत नमक प्रदाय के समय ट्रक चालान जारी करने, प्रदाय केन्द्र स्तर पर स्टॉक पहुंचाने के उपरांत उसकी पुष्टि, पावती एवं अंतिम रूप से देयक तैयार करने में होने वाली कठिनाईयों के संबंध में।

महोदय,

निवेदन है कि हमारे द्वारा बिलासपुर एवं सरगुजा संभाग में अमृत नमक प्रदाय का कार्य किया जा रहा है। नमक के ट्रक रवाना करते समय इसका ट्रक चालान हमारे द्वारा जारी किया जाता था तथा प्रदाय केन्द्र पर पहुंचने पर केन्द्र प्रभारी द्वारा प्राप्ति की पुष्टि करने के उपरांत पूर्ण विवरण कंप्यूटर में दर्ज किया जाता था। इसी आधार पर प्राप्ति की पुष्टि होने के उपरांत हमारे द्वारा कंप्यूटरीकृत देयक तैयार कर भुगतान के लिए प्रस्तुत किया जाता था। इसमें हमें अत्यधिक सुविधा थी तथा हमें भुगतान प्राप्ति आसानी से हो जाती थी।

उल्लेखनीय है कि विगत कुछ माह से पूर्व की व्यवस्था में परिवर्तन करते हुए निगम मुख्यालय से यह निर्देश जारी किये गये हैं कि संबंधित जिला प्रबंधक के प्रतिनिधि ट्रक रवाना होते समय ट्रक चालान जारी करेंगे तथा निर्धारित प्रदाय केन्द्र पर ट्रक पहुंचने के बाद गोदाम प्रभारी द्वारा उसकी पावती दी जाएगी लेकिन इसकी पुष्टि 3 दिवस के भीतर संबंधित सहायक प्रबंधक द्वारा किये जाने के उपरांत ही कंप्यूटर में प्रविष्ट होती है। कंप्यूटर में प्रविष्टि होने के उपरांत ही अंतिम रूप से हमारे द्वारा देयक तैयार कराया जाता है। इस प्रक्रिया में लगभग एक सप्ताह का समय लग जाता है क्योंकि समय पर पुष्टि केन्द्र स्तर पर नहीं होती है। निगम मुख्यालय के आई.टी. कक्ष द्वारा आये दिन सिस्टम में परिवर्तन बिना सूचना के कर दिया जाता है। 10 प्रतिशत देयक के भुगतान के समय WHR रसीद तथा प्रपत्र 13-अ की अनिवार्यता रखी जाती है जो हमारे द्वारा संपादित अनुबंध में कहीं भी उल्लेख नहीं है। इसी तरह निविदा शर्तों एवं नियमों तथा अनुबंध से हटकर WHR रसीद तथा प्रपत्र 13-अ की मांग की जाती है जिसके कारण हमारे 10 प्रतिशत देयक लंबी अवधि तक बिना भुगतान के लंबित रहते हैं और हमें ब्याज के रूप में वित्तीय हानि होती है।

अतः निवेदन है कि हमें वित्तीय हानि से बचाने के लिए पूर्वानुसार निम्न व्यवस्था करने का कष्ट करेंगे-

1906
24.6.14

M. Salt)

MD

24.6.14

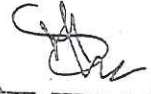
Schell

24/6

रेक पाइंट से नमक रवाना होते समय हमारे द्वारा ट्रक चालान जारी करने की अनुमति दी जाए। प्रदाय केन्द्र प्रभारी द्वारा पावती देने के बाद तत्काल जिला प्रबंधक द्वारा पावती दी जाए तथा इसी आधार पर देयक का 90 प्रतिशत राशि का भुगतान 2 दिवस के भीतर किया जाए एवं शेष 10 प्रतिशत राशि के लिए अंतिम रूप से मुख्यालय स्तर से जिला प्रबंधकों से पुष्टि प्राप्त कर ली जाए। इसके उपरान्त हमारे 10 प्रतिशत देयक का भुगतान कर दिया जाए। ऐसी व्यवस्था से हम निश्चित ही और अधिक क्षमता से कार्य कर सकेंगे।

कृपया उपरोक्त कठिनाइयों का निराकरण करने का कष्ट करेंगे इसके लिए हम आभारी रहेंगे।

भवदीय


रमेश साल्ट ट्रेडर्स
हल्द्वद

मेसर्स रमेश साल्ट ट्रेडर्स हलवद, गुजरात

मो. 9425205790, 9301193876

दिनांक :- 23/06/2014

प्रति,

प्रबंध संचालक
छोगोस्टेट सिविल सप्लायज कार्पोरेशन लिमिटेड
मुख्यालय, रायपुर

विषय :- रैक परिवहन आदेश के समयावधि में वृद्धि करने बाबत ।
महोदय,

निवेदन है कि आपके द्वारा माह जून 2014 के लिये अमृत नमक 01 रैक जांजगीर एवं 01 रैक विश्रामपुर में अमृत नमक की कुल 02 रैक लाने हेतु आदेशित किया गया है ।



महोदय हमारी फर्म द्वारा उपरोक्तानुसार रैक पाइंट में नमक लाने हेतु माल तैयार कर लिया गया है जिसकी गुणवत्ता की जांच कराने हेतु जिला प्रबंधक जांजगीर के किसी अधिकारी/कर्मचारी को प्रवास पर जाने हेतु दिनांक 17/06/2014 को आपके द्वारा निर्देशित किया गया है । परंतु आज पर्यन्त तक गुणवत्ता की जांच कराने हेतु किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही आपके द्वारा नहीं किया गया है जिससे हमारी फर्म को नमक लाने हेतु दिये गये समयावधि में विलंब हो रहा है ।

अतः फर्म को दिये गये समयावधि में 10 दिवस की वृद्धि करने का कष्ट करेंगे ।

M(salt)

23.6.14

रमेश

23/6

भवदीय

मेसर्स रमेश साल्ट ट्रेडर्स,
हलवद (गुजरात)

RAMESH SALT TRADERS

STATION ROAD HALAD GUJRAT

Mo. 9425205790-9301193876

सेवा में,
श्रीमान प्रबन्धक,
छ.ग. स्टेट सिविल सप्लायज कॉर्पोरेशन,
रायपुर (छ.ग.)

दिनांक 16.6.2014

विषय : हलवद अमृत नमक की गुणवत्ता की जाँच हेतु अधिकारी भेजने बावत्।

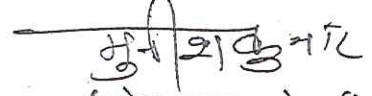
महोदय,

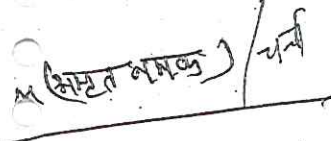
उपरोक्त विषय के अंतर्गत एक रक हलवद से विश्रामपुर एवं अकलतरा के लिए तैयार है। आपसे निवेदन है कि नमक की गुणवत्ता की जाँच कराने हेतु अधिकारी को भेजने की व्यवस्था करे। जिससे की नमक की रक समय पर आ सके।

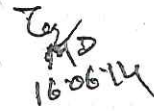


धन्यवाद

भवदीय


(रमेश साल्ट ट्रेडर्स)
मोबाइल नं.94252-05790




16.06.14

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लायज कार्पोरेशन लिमिटेड

हितवाद परिसर, अवंति विहार, मुख्यालय रायपुर

/साविप्र/नमक रैक/2013-14/215

रायपुर दिनांक 05/06/14

नेसर्स रमेश साल्ट ट्रेडर्स,
हलवद
(गुजरात)

विषय:- नमक रैक परिवहन आदेश विषयक।

विषयांतर्गत माह.मई.2014 आयोजीनयुक्त अमृत नमक बिलासपुर एवं सरगुजा संभाग के लिए एक रैक बिलासपुर एवं एक रैक रायगढ़ (खरसिया) रैक पाईट पर प्राप्त होने वाले अमृत नमक को निम्नानुसार जिलों में प्रदाय किया जाना सुनिश्चित करें :-

(मात्रा मे.टन. में)

क्र.	रैक पाईट	जिले का नाम	मात्रा
1	बिलासपुर	बिलासपुर	1500.00
2		जांजगीर	300.00
3		कोरबा	300.00
4		मुंगेली	600.00
कुल योग			2700.00
1	(खरसिया) खरसिया	रायगढ़	2000.00
2		जांजगीर	400.00
3		जशपुर	300.00
कुल योग			2700.00

उपरोक्त सारणी में दी गई मात्रा को यथावत् जिलों में प्रदाय करें। रैक आने के पूर्व संबंधित जिला प्रबंधकों से संपर्क कर जिला प्रबंधकों द्वारा की गई मांग अनुसार संबंधित जिलों के प्रदाय केन्द्रों में प्रदाय किया जाना सुनिश्चित करें। उपरोक्त परिवहन आदेश के अतिरिक्त किसी जिले में कम, ज्यादा अथवा नया जिले में प्रेषित करने पर मुख्यालय को अवगत करावें।

(प्रबंधक संचालक, महोदय द्वारा अनुमोदित)

/साविप्र/नमक रैक/2013-14/215-17

प्रतिलिपि :-

01. जिला प्रबंधक, छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लायज कार्पोरेशन बिलासपुर, जांजगीर, कोरबा, मुंगेली, रायगढ़, जशपुर को निर्देशित किया जाता है कि नमक रैक मात्रा के अनुसार गोदामों में भण्डारित करने हेतु व्यवस्था करें।

प्रबंधक (नमक)

रायपुर दिनांक 05/06/14

प्रबंधक (नमक)

रमेश साल्ट ट्रेड्स हल्द, गुजरात

29

प्रति,

9.5.14

प्रबंध संचालक
छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाय कार्पो. लि.
मुख्यालय रायपुर (छ.ग.)

विषय:- रैक के माध्यम से आने वाले अमृत नमक की डिलीवरी के संबंध में।

महोदय,

निवेदन है कि मेरे द्वारा रैक के माध्यम से बिलासपुर एवं सरगुजा संभाग के लिए अमृत नमक लाया जा रहा है एवं इसकी डिलीवरी जिला स्तर से तथा आवश्यकता होने पर जिला प्रबंधक की सहमति से प्रदाय केन्द्रों पर मेरे द्वारा पहुंचाया जा रहा है। नमक का उक्त रैक आपके मुख्यालय के साल्ट कमिश्नर को भेजे गए प्रोग्राम तथा साल्ट कमिश्नर द्वारा आबंटित रैक के अनुसार मेरे द्वारा लाया जाता है। नमक का पैकिंग मैनुअल होता है तथा एक रैक में लगभग 26.00 लाख पैकेट होता है नमक की गुणवत्ता की जांच साल्ट कमिश्नर के अधिकारियों द्वारा की जाती है और सही गुणवत्ता के नमक होने पर उनके द्वारा रैक की लोडिंग की अनुमति दी जाती है।

निविदा शर्तों के अनुसार रैक लोडिंग प्वाइंट में निगम के अधिकारी जाकर नमक की गुणवत्ता की जांच साल्ट कमिश्नर से कराकर सही गुणवत्ता के नमक होने पर ही रैक की लोडिंग कराई जाती है, एवं इसी आधार पर रैक रवाना होती है। अतः प्राप्ति के आधार पर रैक प्वाइंट में जिला मुख्यालय अथवा केन्द्र स्तर पर नमक की गुणवत्ता की पुनः जांच कराने की आवश्यकता नहीं रह जाती है, मुझे यह ज्ञात हुआ है कि निगम द्वारा निविदा शर्तों के विपरीत जाकर जिला स्तर पर यह व्यवस्था किया गया है कि जिला प्रबंधक एवं केन्द्र प्रभारी नमक की गुणवत्ता की जांच करे, ऐसी स्थिति में चूंकि भारत सरकार के साल्ट कमिश्नर के विभाग द्वारा गुणवत्ता की जांच कराई जाती है एवं अनलोडिंग स्थल में प्रयोगशाला नहीं होने से सही ढंग से गुणवत्ता की जांच नहीं होगी एवं भारत सरकार के विश्लेषण रिपोर्ट के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही होगी जो नियमानुसार उचित नहीं होगा। अतः निगम का कार्य प्रभावित होगा।

यह भी निवेदन है कि नमक की कीमत अत्यन्त कम रहती है मुख्य राशि इसमें पैकेजिंग, हम्माली, रेल्वे रैक, एल.आर.टी. की चार्ज के आधार पर रहती है ऐसी स्थिति में इस नमक को विक्रय करने में कठिनाई आयेगी एवं स्थानीय बाजार में भी इसका विक्रय इसलिए नहीं किया जा सकेगा क्योंकि इसकी ब्रांडिंग नागरिक आपूर्ति निगम के अमृत नमक के नाम से



(क) नि. सह (क) (ध्य)
छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाय कार्पो. लि.
जावक क्र. 07 दिनांक 13/5/14

MD

17/5

120

गुजरात

है। अतः निवेदन है कि नमक की गुणवत्ता की जांच लोडिंग प्वाइंट स्तर पर ही कराने का कष्ट करें ताकि नमक की अनलोडिंग स्तर में कोई कठिनाई न आवे।

चूंकि एक रैक में 26.00 लाख पैकेट रहते हैं मैन्यूअल पैकिंग के कारण कभी-कभी किसी पैकेट में नमक कम अधिक होने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन हमारे द्वारा गन्तव्य स्थान में नमक पहुंचाने के पश्चात् वजन के आधार पर भुगतान लिया जाता है, इसमें निगम का कोई हानि न हो अतः वजन के आधार पर हमारे द्वारा नमक की आपूर्ति की जाती है। विगत 3-4 वर्ष पूर्व नमक के वजन को लेकर कठिनाई आयी एवं तत्समय तत्कालीन प्रबंध संचालक महोदय द्वारा यह व्यवस्था दी गई थी कि तौल के आधार पर नमक की जो वास्तविक मात्रा होगी उसका ही भुगतान प्रदायकर्ता को किया जायेगा। ~~नमक~~ के आधार पर भुगतान मान्य नहीं होगा। इस तरह उपभोक्ताओं को भी तौल कर ही नमक प्रदाय किया जायेगा और यह सुनिश्चित कर उपभोक्ताओं को निर्धारित मात्रा में नमक प्राप्त होगा। आज की स्थिति में पूर्व की प्रक्रिया में कोई परिवर्तन किया जाता है तो उचित होगा कि निविदा दस्तावेजों में आवश्यक सुधार कराकर नई निविदा जारी किया जाये ताकि अनुबंध एवं शर्तों का उल्लंघन न हो।

मैं निविदा शर्तों के अनुसार कार्य करने में तत्पर हूँ एवं शर्तों के विपरीत शर्तों का उल्लंघन करते हुए कार्य करने के लिए हत्तोसाहित नहीं करने का कष्ट करें तथा राज्य में नमक की नियमित आपूर्ति होगी एवं सरकारी कार्य प्रभावित न हो इस संबंध में कृपया निर्णय लेकर दोनों पक्षों के बीच चर्चा रखे। उपरोक्त निविदा के शर्त के अनुसार संशोधित निर्देश जारी करने का कष्ट करें।

प्रतिनिधि

१. माननीय अध्यक्ष महोदय,
की ओर सादर सूचनाएँ
एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

वास्ते

मुनीष शाह

मुनीष शाह

रमेश साल्ट ट्रेड्स हल्वाद,

गुजरात

रमेश साल्ट ट्रेडर्स, हल्द्वद

क्रमांक /

दिनांक : 19/5/014

प्रति,

प्रबंध संचालक महोदय
छ0ग0 स्टेट सिविल सप्लायज कार्पोरेशन
हितवाद परिसर, अवन्ति विहार, रायपुर

विषय :- अमृत नमक क्रय कर प्रदाय करने के संबंध में।

संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक / NOIT / नमक रैक / 2014-15 / 131 दिनांक 16.05.2014

आपके संदर्भित पत्र के संबंध में निवेदन है कि हमारी संयंत्र की क्षमता जो पूर्व में 25,000 मे0टन वार्षिक थी उसमें हमने वृद्धि कराकर क्षमता 50,000 मे0टन करा ली है। इस संबंध में नमक आयुक्त द्वारा जारी आदेश की प्रति संलग्न है।

हमारे द्वारा आपकी आवश्यकतानुसार शेष 49,000 मे0टन नमक इसी संयंत्र से करा ली जाएगी। हमारे द्वारा यह योजना बनाई गई है कि श्रमिकों से 1 शिफ्ट के स्थान पर 2 शिफ्ट में कार्य कराया जाएगा, साथ ही आवश्यकतानुसार नमक निर्माण की क्षमता में भी वृद्धि करा लिया जाएगा। हम विश्वास दिलाते हैं कि आपके द्वारा दिए गए परिवहन कार्यक्रम अनुसार संपूर्ण मात्रा का नमक हमारे द्वारा तैयार कराकर आपूर्ति की जाएगी। नमक की कमी नहीं हो पाएगी।

भवदीय

रुनीश कुमार
रमेश साल्ट ट्रेडर्स
हल्द्वद

1042
19.5.14
(अमृत नमक)
R

286

भारत सरकार
कार्यालय उप नमक आयुक्त
ऑनन्ता कॉमर्शियल सेन्टर, बी.ब्लॉक, 4थ फ्लोर,
आश्रम रोड, अहमदाबाद-380014

फोन : 07927543687
फैक्स : 07927540116

ईमेल : comsaltahm@datzone.in

फाईल सं-31(4)आई.एस./90/ 2553

दिनांक : 5/05/2014

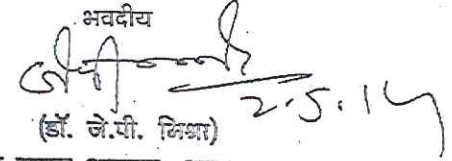
सेवा में,
मैसर्स रमेश सॉल्ट ट्रेडर्स,
(नमक निरीक्षक, हलवद मार्फत)

विषय : आयोडीनीकरण संयंत्र की उत्पादन की क्षमता बढ़ाने के बारे में।

महोदय,

कृपया आपके पत्र दिनांक 22-04-2014 का अवलोकन करें।

उपरोक्त पत्र में किये गये अनुरोध को देखते हुए आपके आयोडीनीकरण संयंत्र की उत्पादन की क्षमता 35000 टन से बढ़ाकर 50000 टन प्रति वर्ष इस शर्त पर की जाती है कि आप मानक स्तर का आयोडीनयुक्त नमक का उत्पादन करेंगे और गुणवत्ता नियंत्रण का सख्ती से पालन करेंगे। मूल अनुमति की सभी शर्तें यथावत रहेगी और किसी भी शर्त के भंग होने पर आपको दी गयी आयोडीन नमक उत्पादन की अनुमति को निरस्त कर दिया जायेगा।

भवदीय

(डॉ. जे.पी. मिश्रा)

प्रभारी उप नमक आयुक्त, अहमदाबाद।

प्रतिलिपि सहायक नमक आयुक्त, गांधीधाम।

प्रतिलिपि नमक अधीक्षक, धांगघा।

प्रतिलिपि नमक निरीक्षक, हलवद।

प्रतिलिपि नमक आयुक्त, जयपुर।

भारत सरकार
कार्यालय उप नमक आयुक्त
अजन्ता कार्मशाला सेन्टर,
बी-ब्लॉक, चौथा तल, आश्रम रोड,
अहमदाबाद-३८० ०१४.

टेलिग्राम : DESALTCOM
ई-मेल : consult.ahm@dataone.in

टेलिफोन : (079) 27543687
फैक्स : (079) 27540116

फाईल संख्या: 31(4)आई.एस/90/ 255-2
सेवा में,
मैसर्स रमेश सॉल्ट ट्रेडर्स, (युनिट-II)
(नमक निरीक्षक, हलवद मार्फत)
महोदय,

दिनांक: 5/05/2014

विषय: मैसर्स रमेश सॉल्ट ट्रेडर्स को अस्थाई रूप से 11 महीनों के लिए आयोडीनयुक्त
नमक उत्पादक के रूप में मान्यता प्रदान करने के संदर्भ में।

आपके पत्र दिनांक शून्य के संदर्भ में लेख है कि आपने मैसर्स वैजनाथ
सॉल्ट ट्रेडर्स का संयंत्र और प्लांट नं 105, जी.आई.डी.सी., हलवद दिनांक 29-4-14
से 28-03-2015 तक 11 महीनों के लिये किराये पर लिया है, इसलिए आपको हलवद
में ड्रिप-फीड पद्धति द्वारा "अमृत ब्रांड" (छत्तीसगढ़ सिविल सप्लाय कार्पोरेशन लि.) के
लिये आयोडीनयुक्त नमक उत्पादक के रूप में मान्यता अस्थाई रूप से 11 महीनों के लिये
वार्षिक क्षमता प्रदान की जाती है।

मैसर्स वैजनाथ सॉल्ट ट्रेडर्स की मान्यता की सभी शर्तें मैसर्स रमेश सॉल्ट
ट्रेडर्स को लागू होगी और गुणवत्ता की सम्पूर्ण जिम्मेदारी मैसर्स रमेश सॉल्ट ट्रेडर्स की
होगी और उस अवधि में मैसर्स वैजनाथ सॉल्ट ट्रेडर्स स्वयं के नमक का आयोडीनीकरण
नहीं करेंगे। इस मान्यता को रमेश सॉल्ट ट्रेडर्स, युनिट-II माना जायेगा।

यह मान्यता संलग्न शर्तों पर आधारित है।

भवदीय,
उप नमक आयुक्त, अहमदाबाद।

प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. सहायक नमक आयुक्त, गांधीधाम।
2. नमक अधीक्षक, भ्रांगभ्रा।
3. नमक निरीक्षक, हलवद को उनके पत्र क्र.सं. 8/2/आ/करोस/2013/207
दिनांक 01.5.14 के संदर्भ में।
4. प्रतिलिपि नमक आयुक्त, जयपुर को सूचनार्थ।
4. मैसर्स वैजनाथ सॉल्ट ट्रेडर्स, हलवद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु
प्रेषित है। (नमक निरीक्षक, हलवद मार्फत)

(२)

मैसर्स रमेश सॉल्ट देडर्स, (युनिट-II) के आयोडीनीकरण प्लान्ट के पक्ष में जारी मान्यता की शर्तों :-

१. प्लान्ट में आयोडीनीकरण हेतु प्रयोग में लाये जाने वाले नमक की गुणवत्ता भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 तथा उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों में निर्धारित स्तर के अनुसार होगी तथा आयोडाइज्ड किये गये नमक में उत्पादन स्तर पर कम से कम ३०.पी.पी.एम. आयोडीन रखा जाएगा ।

२. प्लान्ट के नज़दीक सामान्य नमक एवं आयोडीनयुक्त नमक के परीक्षण के लिए प्रयोगशाला स्थापित की जायेगी जिसे रसायनिक विश्लेषण का ज्ञान रखनवाले उपयुक्त योग्यता प्राप्त रसायनज्ञ द्वारा संचालित किया जायेगा ।

३. प्लान्ट पर प्रत्येक कन्साइनमेंट/बैच में उत्पादित आयोडीनयुक्त नमक का विश्लेषण करके उसकी गुणवत्ता से सम्बन्धित पूरा रिकार्ड रखा जायेगा और यह रिकार्ड नमक विभाग के अधिकृत अधिकारियों द्वारा निरीक्षण हेतु उपलब्ध कराया जायेगा ।

४. नमक विभाग की नमक परीक्षण प्रयोगशालाओं में विश्लेषण हेतु नमक विभाग आप के प्लान्ट से सामान्य नमक तथा आयोडीनयुक्त नमक तथा आपके द्वारा प्रयोग में लाये जाने वाले पोटेशियम आयोडेट के नमूने समय-समय पर एकत्रित करेगा ।

५. आयोडीनयुक्त नमक ५ कि.ग्रा. के गुणांक में एच.डी.पी.ई. थैलों में पैक किया जाये/बर्शते वजन ५० कि.ग्रा. से अधिक न हो । इसके अतिरिक्त उपभोक्ता पैकट १ कि.ग्रा./५०० ग्रा. वजन में एल.डी.पी.ई. थैलों में किया जाये । सभी पैकिट्स पर कुल कीमत {सभी कर सहित} भी दर्शानी होगी। इस पैकिटों पर :-

निम्नलिखित लिजेन्ड हँसते हुए सूर्य का लोगो लगाना होगा ।

आयोडीनयुक्त नमक	
उत्पादन कर्ता	_____
उत्पादन/पैकिंग की तारीख	_____
बैच क्रमांक	_____
पैकिंग के समय आयोडीन की मात्रा	_____
कुल वजन	_____

सावधानी: कृपया ठन्डे एवं सूखे स्थान पर रखें ।

d:\d drive data\ibm-documents\niddep\permission for production to traders.pim5

६. प्लान्टधारी को नमक विभाग द्वारा अनुमोदित पोटेशियम आयोडेट उत्पादकों से ही पोटेशियम आयोडेट खरीदने का प्रबन्ध स्वयं करना होगा।

७. आयोडाइजेशन प्लान्ट नमक आयुक्त, जयपुर या उनके द्वारा अधिकृत किसी भी अन्य अधिकारी द्वारा निरीक्षण के लिए सदैव खुला रहेगा तथा उक्त अधिकारी द्वारा प्लान्ट प्रयोगशाला तथा रिकार्ड के रख-रखाव, प्लान्ट स्थल की स्वच्छता प्लान्ट को उसका पूर्ण क्षमता के अनुसार चलाने तथा प्रयुक्त किये गये सामान्य नमक एवं निर्मित आयोडीनयुक्त नमक का गुणवत्ता के सम्बन्ध में दिये गये सभी निर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा।

८. प्लान्ट/प्लान्टधारी के नाम पर कोई रेल वैगन कोटा आवंटित नहीं किया जायेगा।

९. आयोडीनीकरण हेतु केवल करकच {बिना पिसा हुआ/पिसा हुआ/पाउडर} या पोड़ा {पिसा हुआ पाउडर} नमक का ही उपयोग किया जायेगा। हालांकि पोड़ा नमक का आयोडीनीकरण सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित नीति के अनुसार किया जा सकेगा। किसी भी हालत में बड़ागरा नमक की आयोडीनीकरण हेतु प्रयोग में नहीं लाया जायेगा।

१०. प्लान्ट को आयोडाइज्ड नमक के उत्पादन एवं वितरण तथा खरीदे गये एवं प्रयुक्त किये गये पोटेशियम आयोडेट का विवरण नमक विभाग के स्थानीय अधिकारी को प्रति माह प्रेषित करना होगा।

११. यदि आप मोबाइल प्लान्ट स्थापित कर रहे हैं तो ऐसा प्लान्ट केवल हलाकद लोडिंग स्टेशन की परीधी में ही चलाया जायेगा।

१२. यदि किसी भी समय यह पाया गया कि प्लान्ट द्वारा उत्पादित आयोडीनयुक्त नमक की गुणवत्ता निर्धारित स्तर की नहीं है अथवा उपरोक्त में से किसी भी शर्त का उल्लंघन किया गया है तो उप नमक आयुक्त, अहमदाबाद को उपरोक्त मान्यता तुरन्त प्रभाव से वापिस ले लेने/निरस्त करने का अधिकार होगा।

१३. आपको भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण से लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा।


उप नमक आयुक्त, अहमदाबाद।

रमेश साल्ट ट्रेडर्स,

हलवद (गुजरात)
मोबाईल नं. - 94252 05790

२१

क्रमांक
प्रति,

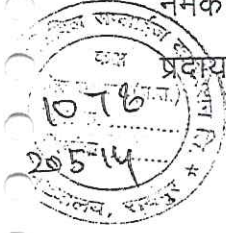
दिनांक 20.05.2014

प्रबंध संचालक,
छ.ग. स्टेट सिविल सप्लायज कार्पोरेशन लिमिटेड,
मुख्यालय रायपुर

विषय:- अमृत नमक प्रदाय के संबंध में।

---:00:---

निवेदन है कि हमारे द्वारा सरगुजा एवं बिलासपुर संभाग में नमक प्रदाय किया जा रहा है। आज दिनांक 20.05.2014 को आपके समक्ष हुई चर्चा अनुसार हम भविष्य में यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदाय किया जाने वाला नमक का पैकिंग निर्धारित वजन का हो एवं नमक प्रदाय में हम किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं देंगे व हमारे द्वारा समयावधि में नमक प्रदाय किया जावेगा।



M (अमृत नमक)

✓

वास्ते
रमेश साल्ट ट्रेडर्स
हलवद (गुजरात)
मुनीश कुमार

RAMESH SALT TRADERS

STATION ROAD HALAVD GUJRAT

Mo. 9425205790-9301193876

कर्मोंक /

दिनांक 20.5.2014

प्रति,

प्रबन्ध संचालक महोदय,
छ0ग0 स्टेट सिविल सप्ललाईज कॉर्पोरेशन,
हितवाद परिसर, अवंति विहार, रायपुर

विषय :-

नमक संयंत्र की क्षमता में वृद्धि करने के बावत् ।

महोदय,

निविदा के समय हमारे संयंत्र की क्षमता 25,000 मे0टन वार्षिक थी उसमें हमने वृद्धि
कराकर क्षमता 50,000 मे0टन करा ली है।



धन्यवाद

भवदीय

रमेश साहू
(रमेश साल्ट ट्रेडर्स)

मोबाइल नं.94252-05790

M (असहमत नाक)

more to Ramesh S.

120
मेसर्स सूरज आयोडाईज्ड कंपनी, पातड़ी, गुजरात

मो. 9425205790, 9301193876

प्रति,

प्रबंधक (साविप्र)

छ0ग0स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पो0लिमि0

मुख्यालय, रायपुर

विषय :- रैक लोडिंग के पूर्व गुणवत्ता परीक्षण की जांच कराने
हेतु प्रतिनिधि भेजने बाबत
महोदय,

निवेदन है कि हमारे द्वारा माह मार्च 2014 हेतु 01 रैक
खारागोडा से राजनांदगाँव तथा 01 रैक खारागोडा से रायपुर के लिये रैक
लाने हेतु अमृत नमक तैयार किया गया है ।

कृपया रैक लोडिंग के पूर्व नमक आयुक्त से गुणवत्ता परीक्षण
के संबंध में जांच कराने हेतु निगम का प्रतिनिधि भेजने का कष्ट करेंगे ।

भवदीय

S. Chak
Pl. P. P. P.
19/3/14

मुनीशकुमार
मेसर्स सूरज आयोडाईज्ड कंपनी,
पातड़ी (गुजरात)

189/636

छत्तीसगढ़ शासन
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, रायपुर

क्रमांक 1234/खाद्य/2010/
प्रति,

रायपुर, दिनांक 21/04/2010

22

समस्त कलेक्टर
छत्तीसगढ़

विषय:- आयोडिनयुक्त अमृत नमक की गुणवत्ता सुनिश्चित करने संबंधी ।

संदर्भ:- शासन का पत्र क्रमांक/2049/खाद्य/आ.न./10-1/दिनांक 30 मार्च 2010

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। उक्त पत्र द्वारा आयोडिनयुक्त अमृत नमक की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के संबंध में निर्देश प्रसारित किये गये थे। उक्त निर्देश के प्रथम बिन्दु पर निम्नानुसार निर्देश दिये गये हैं -

"प्रदायकर्ता से नमक की रैक प्राप्त होने पर संबंधित जिले के खाद्य अधिकारी एवं नागरिक आपूर्ति निगम के जिला प्रबंधक द्वारा रेण्डम सेम्पलिंग कर नमक के तीन सेम्पल पृथक-पृथक तैयार कर, सील पैक कर, दो पैकेट निगम मुख्यालय भेजा जायेगा, जहां से एक पैकेट संबंधित उप-सहायक साल्ट कमीशनर, जहां से रैक लोडिंग होती है उन्हे नमूने के परीक्षण के लिये भेजा जायेगा एवं परीक्षण के उपरान्त नमक की गुणवत्ता रिपोर्ट निगम मुख्यालय द्वारा एक माह के अंदर प्राप्त की जावेगी।"

उक्त व्यवस्था में संशोधन करते हुये निम्न निर्देश दिये जाते हैं - "प्रदायकर्ता से नमक की रैक प्राप्त करने के पूर्व नागरिक आपूर्ति निगम के मुख्यालय द्वारा अधिकृत अधिकारी/कर्मचारी नमक रैक लोडिंग पाइंट पर स्थित प्रदायकर्ता फर्म के कारखाने में पहुंचकर नमक की गुणवत्ता देखेंगे तथा रैक पर लोडिंग करने के पूर्व संबंधित उप-नमक आयुक्त के चल प्रयोगशाला के अधिकारियों से नमक की गुणवत्ता की जांच कराकर आवश्यक प्रमाण पत्र, गुणवत्ता रिपोर्ट प्राप्त करेंगे तथा निर्धारित मापदण्ड के ही नमक की लोडिंग रैक में कराया जावेगा।"

अतः ऐसी स्थिति में जिलों में नमक की रैक प्राप्त होने पर रैक पाइंट पर परीक्षण की आवश्यकता नहीं रहेगी। परिपत्र में दिये गये अन्य निर्देश यथावत रहेंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

उप-सचिव

छत्तीसगढ़ शासन,
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप-संर. विभाग
मंत्रालय, रायपुर

Dy 40

Full 244

क्रमांक/आ.न./10-1/1235/20

रायपुर, दिनांक 21/04/2010

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित -

1. प्रबंध संचालक, नागरिक आपूर्ति निगम, मुख्यालय रायपुर । नमक प्रदायकर्ता से प्राप्त होने वाले नमक रैक का परीक्षण निगम के अधिकारी/कर्मचारियों को रैक लोडिंग पाइंट वाले स्थान पर भेज कर रैक लोडिंग के पूर्व उपरोक्तानुसार परीक्षण कराना सुनिश्चित करें ।
2. समस्त संभागायुक्त, छत्तीसगढ़ ।
3. आयुक्त, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, संचालनालय, रायपुर ।
4. समस्त खाद्य नियंत्रक/खाद्य अधिकारी, छत्तीसगढ़ ।

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन,
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप. संर. विभाग
मंत्रालय, रायपुर

128

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लिमिटेड

हितवाद परिसर, अवन्ति विहार तेलीबांध, मुख्यालय रायपुर

क्रमांक/अमृत नमक/2013-4/2031
प्रति,

रायपुर दिनांक : 11/02/2014

जिला प्रबंधक,
छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लिमिटेड
जिला- रायगढ़

विषय : आयोडिनयुक्त अमृत नमक की लोडिंग पूर्व उप-नमक आयुक्त से परीक्षण कराने तथा सही गुणवत्ता का नमक प्रदाय हेतु निगम प्रतिनिधि भेजने बाबत।

—00—

विषयान्तर्गत नमक प्रदायकर्ता मेसर्स रमेश साल्ट सप्लाइज कंपनी गुजरात, द्वारा दी गई जानकारी अनुसार आयोडिनयुक्त अमृत नमक के 02 रैक नमक रैक जिला रायगढ़ रैक पाइंट खरसिया 01 रैक एवं जिला सूरजपुर रैक पाइंट विश्रामपुर 01 रैक प्रेषित किया जाना है। रैक हेतु आयोडिनयुक्त अमृत नमक के लोडिंग के पूर्व उप-नमक आयुक्त से परीक्षण कराना तथा सही गुणवत्ता का नमक प्रदाय करने हेतु आपके जिले से किसी अधिकारी/कर्मचारी को नमक लोड कराने हेतु हलवद एवं खारागोड़ा (गुजरात) प्रवास पर भेजकर प्रदायकर्ता द्वारा तैयार किये गये नमक की गुणवत्ता देखें तथा सैंपल प्राप्त कराकर संबंधित उप-नमक आयुक्त से जांच कराने के उपरान्त नमक की गुणवत्ता सही पाई जाने के पश्चात् ही निर्धारित मापदंड के नमक की रैक लोडिंग करावें। सैंपल तथा सैंपल रिपोर्ट की एक प्रति मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित करें।

(प्रबंध संचालक महोदय द्वारा अनुमोदित)

Hall
(एस.एस. भट्ट)
प्रबंधक (सावित्र)

क्रमांक/अमृत नमक/2013-4/
प्रतिलिपि :-

रायपुर दिनांक : /02/2014

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मंत्रालय रायपुर की ओर सूचनार्थ।
2. संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय रायपुर की ओर सूचनार्थ।
3. उपनमक आयुक्त, भारत सरकार नमक आयुक्त कार्यालय, लवन भवन, 2-7, लवन मार्ग, झालना डोंगरी, जयपुर (राजस्थान) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. मेसर्स सूरज साल्ट आयोडाइज्ड कंपनी, पातडी गुजरात, संबंधित जिला प्रबंधक से संपर्क कर आपके द्वारा तैयार किये गये नमक की जांच हेतु आवश्यक व्यवस्था करे एवं इस कार्यालय को भी अवगत कराये।
5. जिला प्रबंधक, छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पो. लिमि. सूरजपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

11/2

Received
Suman Singh

Hall
प्रबंधक (सावित्र)

(०१)

रमेश साल्ट ट्रेडर्स स्टेश रोड़, हलवद (गुजरात)

मो.नं. 9826827500

दिनांक : 28/12/2013

प्रति,

प्रबंध संचालक
छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लायज कार्पोरेशन लि०,
मुख्यालय-रायपुर।

विषय:- अमृत नमक अनुबंध के संबंध में।

संदर्भ:- आपका पत्र क्र./सा.वि.प्र./अमृत नमक/13-14/347 रायपुर दिनांक 24.12.2013

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से अमृत नमक क्रय हेतु बिलासपुर एवं सरगुजा संभाग के लिए दिनांक 13.12.2013 को ई-निविदा में प्राप्त न्यूनतम दर के आधार पर स्वीकृति आदेश दिया गया है। उक्त स्वीकृति आदेश में राशि रु. 1.00 करोड़ बैंक गैरेंटी के साथ 100 रु. के नान ज्यूडिसियल स्टैम्प पेपर में 07 दिवस के अन्दर अनुबंध निष्पादन करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया था।

प्राप्त पत्र के संबंध में आपसे निवेदन है कि बैंक गैरेंटी राशि रु. 1.00 करोड़ के लिए बैंक से लिए जाने में कम से कम 15 दिनों का समय लगता है एवं अमृत नमक प्रदाय किये जाने में पालिथिन प्रिंट कराने में तथा नमक पैकेट तैयार करने में 01 माह का समय लगता है।

हमारे फर्म द्वारा 100 रु. के नान ज्यूडिसियल स्टैम्प पेपर पर स्वहस्ताक्षर कर आपकी ओर इस पत्र के साथ संलग्न करन प्रेषित किया जा रहा है।

अतः आपसे निवेदन है कि बैंक गैरेंटी प्रस्तुत करने हेतु 15 दिनों का समय देने का कष्ट करेंगे।

पूरा धन नमक

भवदीय

मुनीश कुमार
रमेश साल्ट ट्रेडर्स
गुजरात



छत्तीसगढ़ CHHATTISGARH

F 090255

अनुबंध-पत्र

(100/- रुपये मूल्य के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर)

चूंकि छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लिमिटेड मेरे/हमारे द्वारा दिनांक 13.12.2013 को प्रबंध संचालक, छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर को प्रस्तुत मुहरबंद निविदा के प्रत्युत्तर में कार्पोरेशन के सभी 10 जिले में स्थित स्थानीय गोदामों में आयरन एवं आयोडीनयुक्त नमक स्टोकिंग करने तथा समस्त करों सहित तक की दरें हेतु संविदा स्वीकृत करने के लिए सहमत है। अतः मैं / हम (यहां संविदाकार के पूरे नाम और पते का उल्लेख करें) मेसर्स श्री. राजेश कुमार शुक्ला जो कि एक पंजीयत निर्माता/भागीदारी फर्म/स्वामित्व (प्रोपराइटरशिप फर्म/कंपनी है और जिसके भागीदार/स्वामी) श्री श्री. राजेश कुमार शुक्ला पुत्र श्री श्री. राजेश कुमार शुक्ला निवासी रायपुर एवं फर्म का पंजीकृत पता रायपुर - छत्तीसगढ़ जिसे इसमें इसको आगे निविदाकार/नमक निर्माता कहा गया है एवं प्रबंध संचालक, छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लिमिटेड रायपुर (जिसे इसमें इसको आगे कार्पोरेशन कहा गया है) के बीच आज दिनांक 09.01.2014 को यह करार निष्पादित करता हूँ / करते हैं और इसके द्वारा इस बात की पुष्टि करता हूँ/करते हैं कि मैंने / हमने छत्तीसगढ़ स्थिति विभिन्न

श्री. राजेश कुमार शुक्ला

Shel
Manager (P. D. S.)
C G State Civil Supplies Corpn. Ltd.
Head Office - Raipur

निर्धारित प्रदाय केन्द्रों / गोदामों में आयरन एवं आयोडीनयुक्त नमक प्रदाय करने हेतु संविदाकार की नियुक्ति के संबंध में छ.ग. स्टेट सिविल सप्लायज कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा आमंत्रित निविदा क्रमांक22..... दिनांक12.12.2013..... तथा संविदा की सामान्य शर्तों और उसके अनुबंधों, निर्देशों तथा परिशिष्टों का परीक्षण कर लिया गया है और उन्हें समझ लिया है, और उनसे आबद्ध रहने का करार करता हूँ/करते हैं। मैं/हम, मेरे/हमारे द्वारा प्रबंध संचालक, छ.ग. स्टेट सिविल सप्लायज कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर को प्रस्तुत निविदा के अनुमोदन के परिणामस्वरूप प्रस्ताव पत्र क्रमांक 343/समझ.क.स. दिनांक 16.7.2013 में जो इस करार का एक भाग है, मैं/हम उक्त कार्पोरेशन को यह आश्वासन देता हूँ / देते हैं कि मैं / हम उक्त कार्य को इस संविदा की अवधि पर्यन्त सभी अवस्थाओं पर मेरी/हमारी सर्वोत्तम योग्यता से करूंगा/ करेंगे।

बिलासपुर एवं सरगुजा संभाग हेतु स्वीकृत दर ₹ 372.61/- प्रति क्विंटल

यह करार दिनांक 09.01.2014 से 31.12.2014 तक के लिये या उस दिनांक तक, जिस तक यह संविदा बढ़ाई जाये, लागू रहेगा।

महेश माधोकर शुक्ला

(संविदाकार)

वह हैसियत, जिसमें वह हस्ताक्षर कर रहा है

साक्षी :-

1. Ashwabhay K. Dhadhachari
Tyarkar, Main Bazar
PO. Pachai, DBT S. Nagar
(G.M.)

2. मुनीश कुमार ई. श्री कोठुकाशहा
महेश कालोनी श्री नगर रोड
गुफियाली रायपुर

Manager (P. D. S.)

C.G. कार्पोरेशन लिमिटेड

अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

साक्षी :-

1. श्री
श्री
श्री

Shreelek
10.01.14
श्री
H.O. Raipur



छत्तीसगढ़ CHHATTISGARH

F 192845

BANK GUARANTEE NO. 1465986000029 FOR RS. 51,00,000/- (Rupees Fifty One Lakh Only)

GUARANTEE VALID FROM 10-03-2014 TO 31-12-2014.

This deed of guarantee executed by Karnataka Bank Ltd having its head office at Kankanadi, Mangalore, Karnataka State and amongst other places a branch at Raipur (herein-after referred to as 'the Bank') in favour of Chhattisgarh State Civil Supplies Corporation Ltd. Hitwad Parisar, Raipur C.G. (herein-after as 'The Beneficiary') for an amount not exceeding Rs. 51,00,000/- (Rupees Fifty One Lakh only) at the request of M/S Ramesh Salt Traders, Halvad, Gujarat. The guarantee is issued subject to the condition that the liability of the bank is limited to a maximum of Rs. 51,00,000/- (Rupees Fifty One Lakh only) and the guarantee shall remain in force up to 31-12-2014 and cannot be invoked otherwise than by a written commitment or claim under this guarantee served on the Bank on or before 31-12-2014 by the beneficiary subject to as aforesaid.

The beneficiary Chhattisgarh State Civil Supplies Corporation Ltd. has appointed M/S Ramesh Salt Traders as salt suppliers (herein-after called as 'the Suppliers') on 10-03-2014. For the fulfillment of the terms and conditions contained in the agreement between the beneficiary and the Supplier and whereas in accordance with the terms & conditions of the guarantee agreement the Supplier has agreed to furnish a bank guarantee in lieu of cash security deposit to the beneficiary valid for a period up to 31-12-2014.

For THE KARNATAKA BANK LTD

Manager / Officer

1 | Page

P.V.N.R. Koteswara Rao
OFFICER
ST. No. 6460 PA No. 2903

For Karnataka Bank Ltd.

Chief Manager
Raipur Branch

VINAY KALONKAR
CHIEF MANAGER
PA No. 2032



छत्तीसगढ़ CHHATTISGARH

F 192847

BANK GUARANTEE NO. 1465986000029

(FOR RS. 51,00,000/- Rupees Fifty One Lakh Only)

GUARANTEE VALID FROM 10-03-2014 TO 31-12-2014.

NOW THEREFORE THIS DEED OF GUARANTEE WITNESSETH AS FOLLOWS:-

1. In consideration of the beneficiary agreeing to accept the Bank Guarantee in lieu of cash security deposit, the Bank hereby irrevocably guarantees that the Supplier will duly comply with his obligations during the guarantee period in accordance with the agreement between the beneficiary and the Supplier and the general terms & conditions forming part of the said agreement, failing which the Bank undertakes unconditionally to pay the beneficiary on demand, such amount or amounts of loss or damage suffered by the beneficiary as the Bank may be called upon to pay not exceeding in aggregate a sum of Rs. 51,00,000/- (Rupees Fifty One Lakh only).
2. Notwithstanding anything contained herein the decision of the beneficiary in regard to the effect whether the Supplier has made any such default in performing contractual obligations during the guarantee period and amount to which the beneficiary is entitled on account of such default will be final and binding on the Bank and the Bank undertake not to question the decision of beneficiary to establish the claim under this guarantee and the Bank shall pay the demanded amount without any objection on receipt of original Bank Guarantee.
3. The amount claimed by the beneficiary from the Bank on account of default in performing contractual obligation by the Supplier shall be paid by the Bank not withstanding any dispute between the beneficiary and the Supplier arising out of such contractual obligations whether or not pending before any court or Arbitrator.

2 | Page

FOR THE KARNATAKA BANK LTD.

Manager / Officer

P.V.N.R. Koteswara Rao

OFFICER

ST. No. 8

For Karnataka Bank Ltd.

Chief Manager
Raipur Branch

CHAY KALGUTKAR
CHIEF MANAGER
PA No.- 2032



छत्तीसगढ़ CHHATTISGARH

K 613773

BANK GUARANTEE No. 1465986000029

FOR RS. 51,00,000/- (Rupees Fifty One Lakh Only)

GUARANTEE VALID FROM 10-03-2014 TO 31-12-2014.

4. In order to enforce the provisions of this guarantee against the Bank it shall not be necessary for the beneficiary to proceed against the Supplier or the Bank.
5. The Bank hereby guarantee to the beneficiary the due performance and compliance by the Supplier of the terms and conditions of the said agreement and the Bank hereby undertakes that the guarantee shall be kept valid and binding on itself from the time the guarantee is given till expiry of performance period, i.e., up to 31-12-2014. The Bank also undertakes to extend the period of such guarantee on the request of the beneficiary if at all it may be necessary to extend this guarantee beyond the said period of guarantee.
6. The Guarantee shall not be terminable by notice or by any change in the constitution of the Bank or the Supplier or by any other reason whatsoever and the liability of the Bank herein, shall not be impaired or discharged by any extension of time or variation or alteration of the terms and condition of the said agreement made, given conceded or agreed with or without the knowledge or consent of the Bank.
7. The Guarantee shall not be revocable under any circumstances unless a written permission in this regard is received by the Bank from the beneficiary.
8. The Bank also agrees that guarantee contained herein shall be irrevocable and shall not be revoked by the Bank even by giving notice to the beneficiary.

Page

For THE KARNATAKA BANK LTD.
Manager / Officer

DESK MANAGER
OFFICE
ST.No: 6460 PA No: 299

For Karnataka Bank Ltd.

Chief Manager
Raipur Branch

VINEY KALGUTKAR
CHIEF MANAGER
PA No- 2032

BANK GUARANTEE No. 14659B000029 FOR RS. 51,00,000/- (Rupees Fifty One Lakh only)
GUARANTEE VALID FROM 10-03-2014 TO 31-12-2014

9. On account of non-fulfillment of the contractual obligations of the Supplier under the said agreement which in fact it is not obligatory on the part of the beneficiary to establish under the terms of the guarantee, the Bank shall on simple demand from the beneficiary pay the said sum of Rs.51,00,000/- (Rupees Fifty One Lakh only) as indicated in Clause 1 above without demur and without requiring the beneficiary to invoke any legal remedy that may be available to him to compel the Bank to pay the same on receipt of original Bank Guarantee. The decision of the beneficiary that any sum has become payable under the guarantee shall be final and binding on the Bank.
10. The Bank undertakes that this guarantee shall not be affected in case the beneficiary takes any security from the Supplier or any other person, firm or company on its behalf or by dissolution, insolvency, reconstitution or death of the Supplier.
11. This guarantee shall be in addition to any other guarantee or securities whatsoever that the beneficiary may now or at any time and any way have in relation to the Supplier's obligation, liabilities under and / or in connection with the said agreement the beneficiary shall have full authority to take recourse or to enforce this guarantee in preference to other security at its own discretion and the guarantee shall also not be affected by the failure on the part of the beneficiary in enforcing any other security as said above in relation to the said agreement.
12. This guarantee shall not be affected by change in the constitution, reconstitution, amalgamation, liquidation, winding up, dissolution or insolvency of the beneficiary but shall in all respects and for all purposes be binding and operative until payment of all moneys payable to the Beneficiary in terms thereof.
13. Notwithstanding anything contained hereinbefore, the Bank Guarantee shall be valid up to 31-12-2014 and liability of the Bank in respect of this Guarantee is restricted to Rs.51,00,000/- (Rupees Fifty One Lakh only) and shall remain in force till 31-12-2014 and unless an action for claim is made on the Bank by the Beneficiary in writing within six months from the date of expiry of the said Guarantee period, all the rights under the same guarantee will be forfeited and the Bank shall be relieved and discharges from all the liabilities hereunder.
14. The confirmation of this Bank Guarantee is available at , The Assistant General Manager, The Karnataka Bank Ltd, Regional Office, Office No. 111, 1st Floor, Diamond Prestige, No. 41-A, A J C Bose Road, Kolkata - 700017

IN WITNESS WHEREOF, THE BANK HAS SUBSCRIBED AND SET ITS NAME AND SEAL HEREUNDER:-

FOR THE KARNATAKA BANK LTD.
Manager / Officer

4 | Page

P.V.M.E. Koteswara Rao
OFFICER
ST. No: 6460 PA No: 2903

For Karnataka Bank Ltd.

VINAY K. GOUTHAR
Chief Manager
(Authorized Signatory of the Bank)

VINAY K. GOUTHAR
CHIEF MANAGER
PA No- 1032



Karnataka Bank Ltd.

Raipur Branch,
Taank Business Complex Jail Road Fafadih
Chowk Raipur 492 001 (C.G)

Phone : 0771-2880021 (Telefax))
0771-2521550
Mobile : +91 98 931 079 93
E-mail : raipur@kktbank.com

Date: 09-01-2014

M/s Chhattisgarh State Civil Supply Corporation Ltd,
H.O. Raipur.

Dear Sir,

Your Ref: Amrut Namak/2013-14/347 dtd 24/12/2013

With reference to the above, we have to inform that, we are enclosing herewith a Bank Guarantee for Rs 60.00 Lac (Rs sixty Lakhs only) on behalf of our customer M/s Ramesh Salt Traders.

Further, our customer has requested for issue of BG to the tune of Rs 1.00 Cr, for the said tender, which will be considered at our R.O., and will be issued for balance amount , soon after sanction by our R.O., within 45 to 60 days. We have issued BG for Rs 60.00 Lac , as per our branch delegated powers.

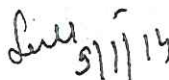
This is for your kind information.

Thanking you.

Yours faithfully,


Chief Manager.


D. A. S.


D. A. S.



छत्तीसगढ़ CHHATTISGARH

Ben No - 14657 Ben 000005

Ben Amount - Rs. 60,00,000/- (Rupees Sixty Lakh Only) F 428650

Ben issue date - 09-01-2014. Ben expired date - 08-01-2015

BANK GUARANTEE NO.

FOR RS. 60,00,000/- (Rupees Sixty Lakh Only)

GUARANTEE VALID FROM 09-01-2014 TO 08-01-2015

This deed of guarantee executed by Karnataka Bank Ltd having its head office at Kankanadi, Mangalore, Karnataka State and amongst other places a branch at Raipur (herein-after referred to as 'The Bank') in favour of Chhattisgarh State Civil Supplies Corporation Ltd. Hitwad Parisar, Raipur C.G. (herein-after as "The Beneficiary") for an amount not exceeding Rs. 60,00,000/- (Rupees Sixty Lakh only) at the request of M/S Ramesh Salt Traders, Halvad, Gujarat. The guarantee is issued subject to the condition that the liability of the bank is limited to a maximum of Rs. 60,00,000/- (Rupees Sixty Lakh only) and the guarantee shall remain in force up to 08-01-2015 and cannot be invoked otherwise than by a written commitment or claim under this guarantee served on the Bank on or before 08-01-2015 by the beneficiary subject to as aforesaid.

The beneficiary Chhattisgarh State Civil Supplies Corporation Ltd. has appointed M/S M/S Ramesh Salt Traders as salt suppliers (herein-after called as 'the Suppliers') on 09-01-2014. For the fulfillment of the terms and conditions contained in the agreement between the beneficiary and the Supplier and whereas in accordance with the terms & conditions of the guarantee agreement the Supplier has agreed to furnish a bank guarantee in lieu of cash security deposit to the beneficiary valid for a period of 12 Months.

NOW THEREFORE THIS DEED OF GUARANTEE WITNESSETH AS FOLLOWS:-

1. In consideration of the beneficiary agreeing to accept the Bank Guarantee in lieu of cash security deposit, the Bank hereby irrevocably guarantees that the Supplier will duly comply with his

1. For the KARNATAKA BANK LTD.

For Karnataka Bank Ltd.

Manager/Officer

Chattisgarh Branch Raipur 491 009

BISWONATH DASH
OFFICER

ST. No. - 7663, PA No. - 3719

Page 1 of 3

Chief Manager
Raipur Branch

VINAY KALGUTKAR
CHIEF MANAGER
PA No. - 2032

B.No. - 1459 BC1000005
BC Amount - Rs 60,00,000/- (Rupees Sixty Lakh only)
Performance Date - 09-01-2014 BC exp. date - 08-01-2015



obligations during the guarantee period in accordance with the agreement between the beneficiary and the Supplier and the general terms & conditions forming part of the said agreement, failing which the Bank undertakes unconditionally to pay the beneficiary on demand, such amount or amounts of loss or damage suffered by the beneficiary as the Bank may be called upon to pay not exceeding in aggregate a sum of Rs. 60,00,000/- (Rupees Sixty Lakh only).

2. Notwithstanding anything contained herein the decision of the beneficiary in regard to the effect whether the Supplier has made any such default in performing contractual obligations during the guarantee period and amount to which the beneficiary is entitled on account of such default will be final and binding on the Bank and the Bank undertake not to question the decision of beneficiary to establish the claim under this guarantee and the Bank shall pay the demanded amount without any objection.
3. The amount claimed by the beneficiary from the Bank on account of default in performing contractual obligation by the Supplier shall be paid by the Bank not withstanding any dispute between the beneficiary and the Supplier arising out of such contractual obligations whether or not pending before any court or Arbitrator.
4. In order to enforce the provisions of this guarantee against the Bank it shall not be necessary for the beneficiary to proceed against the Supplier or the Bank.
5. The Bank hereby guarantee to the beneficiary the due performance and compliance by the Supplier of the terms and conditions of the said agreement and the Bank hereby undertakes that the guarantee shall be kept valid and binding on itself from the time the guarantee is given till expiry of performance period, i.e., up to 08-01-2015. The Bank also undertakes to extend the period of such guarantee on the request of the beneficiary if at all it may be necessary to extend this guarantee beyond the said period of guarantee.
6. The Guarantee shall not be terminable by notice or by any change in the constitution of the Bank or the Supplier or by any other reason whatsoever and the liability of the Bank herein, shall not be impaired or discharged by any extension of time or variation or alteration of the terms and condition of the said agreement made, given conceded or agreed with or without the knowledge or consent of the Bank.
7. The Guarantee shall not be revocable under any circumstances unless a written permission in this regard is received by the Bank from the beneficiary.
8. The Bank also agrees that guarantee contained herein shall be irrevocable and shall not be revoked by the Bank even by giving notice to the beneficiary.
9. On account of non-fulfillment of the contractual obligations of the Supplier under the said agreement which in fact it is not obligatory on the part of the beneficiary to establish under the terms of the guarantee, the Bank shall on simple demand from the beneficiary pay the said sum of Rs.60,00,000/- (Rupees Sixty Lakh only) as indicated in Clause 1 above without demur and without requiring the beneficiary to invoke any legal remedy that may be available to him to compel the Bank to pay the same. The decision of the beneficiary that any sum has become payable under the guarantee shall be final and binding on the Bank.

FOR THE KARNATAKA BANK LTD.
2 | Page

Manager/Officer
RAIPUR - 492 004

BISWONATH DASH
OFFICER
ST. No. - 7663, PA No. - 3719

FOR KARNATAKA BANK LTD.

Chief Manager
Raipur Branch

VINAY KILGUTLAK
CHIEF MANAGER
PA No. 2032

Page 2 of 3

Ben No - 14657 BU000005
Ben amount - Rs. 60,00,000/- (Rupees Sixty Lakhs only)
Ben issue date - 09-01-2014. Ben expiry date - 08-01-2015



10. The Bank undertakes that this guarantee shall not be affected in case the beneficiary takes any security from the Supplier or any other person, firm or company on its behalf or by dissolution, insolvency, reconstitution or death of the Supplier.
11. This guarantee shall be in addition to any other guarantee or securities whatsoever that the beneficiary may now or at any time and any way have in relation to the Supplier's obligation, liabilities under and / or in connection with the said agreement the beneficiary shall have full authority to take recourse or to enforce this guarantee in preference to other security at its own discretion and the guarantee shall also not be affected by the failure on the part of the beneficiary in enforcing any other security as said above in relation to the said agreement.
12. This guarantee shall not be affected by change in the constitution, reconstitution, amalgamation, liquidation, winding up, dissolution or insolvency of the beneficiary but shall in all respects and for all purposes be binding and operative until payment of all moneys payable to the Beneficiary in terms thereof.
13. Notwithstanding anything contained hereinbefore, the Bank Guarantee shall be valid up to 08-01-2015 and liability of the Bank in respect of this Guarantee is restricted to Rs.60,00,000/- (Rupees Sixty Lakh only) and shall remain in force till 08-01-2015 and unless an action for claim is made on the Bank by the Beneficiary in writing within six months from the date of expiry of the said Guarantee period, all the rights under the same guarantee will be forfeited and the Bank shall be relieved and discharges from all the liabilities hereunder.
14. The confirmation of this Bank Guarantee is available at , The asst. General Manager, The Karnataka Bank Ltd, Regional Office, Office No. 111, 1st Floor, Diamond Prestige, No. 41-A, A J C Bose Road, Kolkata - 700017

IN WITNESS WHEREOF, THE BANK HAS SUBSCRIBED AND SET ITS NAME AND SEAL HEREUNDER:-

For Karnataka Bank Ltd.

(Authorised Signatory of the Bank)

VINAY KALGUTKAR
CHIEF MANAGER
PA No. - 2002

For THE KARNATAKA BANK LTD.

Manager Officer
Faradith Chowk, Rajouri - 292 003

BISWONATH DASH
OFFICER
ST. No. - 7553, PA No. - 3719

Page 3 of 3.

पृष्ठ नं. २२ (बिलासपुर एवं सरगुजा संघ)
निविदाकार :- रमेश साहू ट्रेडर्स, इल-१५,

III

प्रथम/द्वितीय प्रति
निविदा फॉर्म क्रमांक
अवसरोत्तरणीय

उत्तीर्यक स्टेट सिविल सप्लायर्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड

‘हितवाद प्रस्तर’ अवति बिहार, तेलीबाघा, मुख्यालय रायपुर

बिलासपुर एवं सरगुजा संभाग हेतु ई-निविदा दस्तावेज

आयोडीनयुक्त नमक (51 स्टैण्डर्ड)

क्रय हेतु निविदा

वर्ष 2013-2014 एवं 2014-15
(जनवरी 2014 से दिसम्बर 2014)

निविदा दिनांक 13.12.2013

14/12

14/12

14/12

Ramesh Salt Traders
रमेश साहू ट्रेडर्स
Proprietor

26

[B]

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लिमिटेड
"हितवाद परिसर" अर्वादि विहार, वैलीबाघा, मुख्यालय रायपुर

// बिलासपुर एवं सरगुजा संग्रह हेतु आयोडीनयुक्त नमक क्रय निविदा
8^{वां} 2013-14 एवं 2014-15 //

छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर एवं सरगुजा संग्रह में स्थित निगम के गोदामों में आयोडीनयुक्त नमक (SI) स्टैड 24000 टन प्रदाय हेतु भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के उद्यम तथा प्रतिष्ठित निर्माताओं, जिनका नमक आयुक्त, भारत सरकार द्वारा जीवित सजीवन है, इसके नमक निर्माताओं से निविदा आमंत्रित किये जाये हेतु दस्तावेज।

Key-Dates

S.No.	NAN	Bids	Start		Expiry		Remarks
			Date	Time	Date	Time	
1	Release Tender		13.11.2013	17.30	23.11.2013	19.00	
2		Bid Download	23.11.2013	18.01	11.12.2013	13.00	
3		Submit Bid Hash on line Payment of bid submission fee	23.11.2013	19.01	11.12.2013	13.00	Envelope A and Envelope C
4	Close For Bidding (Super Hash)		11.12.2013	13.01	11.12.2013	13.25	Envelope A and Envelope C
5		Submit Bid on line (only with encryption by department pub. key)	11.12.2013	13.48	12.12.2013	11.00	Envelope A and Envelope C
6		(1) Physical Submission of EMD in Envelope A (by Person)	12.12.2013	11.01	12.12.2013	12.00	Submission of EMD Envelope "A" by personally Submit to PDR Section, CG ESCO LTD, Head Office, Raipur (Not by post or any courier)
7	Open Envelope A		12.12.2013	11.01	12.12.2013	16.00	Envelope A
8	Evaluation of Envelope A		12.12.2013	11.01	12.12.2013	16.00	
9	Open Price/financial bid Envelope C		13.12.2013	16.01	13.12.2013	17.30	Envelope C
10	Evaluation of price Envelope C and information to successful bidders in negotiation		13.12.2013	16.01	13.12.2013	17.30	
11		Fill Negotiate Rates (if required)	13.12.2013	17.31	12.12.2013	14.00	
12	View Rate Form		18.12.2013	14.01	12.12.2013	17.30	
13	Tender Award						

- टिप्पणी :-
1. निविदा खोलने के लिये निर्धारित तारीख को यदि अवकाश घोषित किया जाया है तो निविदा अवकाश के पश्चात् अगले कार्यकारी दिवस को खोली जायेगी लेकिन निविदा खोलने के उपरोक्त दशदिन गये समय में परिवर्तन नहीं होगा।
 2. यह निविदा फार्म अहस्ताक्षरणीय है।
 3. निविदा दस्तावेज की मूल प्रति में ही प्रस्ताव को जायेगी एवं इसके हर पृष्ठ पर निविदाकार के सीलयुक्त हस्ताक्षर होना अनिवार्य है।
 4. निविदा प्रपत्र वेबसाइट <https://nan.cgprocurement.gov.in> पर उपलब्ध है। निविदा प्रपत्र वेबसाइट से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जा सकता है। निविदा फार्म के लिए 5000 रुपये निविदा प्रोसेसिंग फीस एवं 4000 रुपये बीड सदस्यता फीस कुल राशि 9000 रुपये दिवस के एकादश में ऑनलाइन के माध्यम से जमा किया जाना होगा।
 5. प्रमाणित किया जाता है कि इस निविदा फार्म में पृष्ठ 01 से 30 तक संशोधित है।

निविदा फार्म जारी करने वाले
अधिकारी के हस्ताक्षर नाम एवं पदमुद्रा

Ramesh Sakt Traders
 23/11/2013, 23/11/2013
 Proprietor

// निविदा दस्तावेज के साथ संलग्न परिशिष्टों का विवरण //

निविदा दस्तावेज के साथ निम्नानुसार परिशिष्ट संलग्न हैं जिनके प्रत्येक पृष्ठ पर निविदाकार द्वारा हस्ताक्षर कर अपने सोल अंकित की जावेगी एवं समस्त परिशिष्ट निविदा दस्तावेज के अंगिन अंग माने जावेंगे।

परिशिष्ट - एक	इस परिशिष्ट पर आयोजनयुक्त नमक क्रय निविदा संबंधी प्रक्रिया एवं निविदा हेतु परिभाषाएं दर्शाते हैं।
परिशिष्ट - दो	इस परिशिष्ट पर प्रदाय किये जाने वाले आयोजनयुक्त नमक से संबंधित निविदा के नियम एवं शर्तें उल्लेखित हैं।
परिशिष्ट - तीन	इस परिशिष्ट पर आयोजनयुक्त नमक की गुणवत्ता एवं दायक गुणवत्ता की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है।
परिशिष्ट - चार	इस परिशिष्ट पर छत्तीसगढ़ स्थित प्रदाय केन्द्र/गोदान का विवरण, जहाँ आयोजनयुक्त नमक की पूर्ति किया जाना है, की जानकारी दी गई है।
परिशिष्ट - पांच	इस परिशिष्ट पर निविदाकार का परिचय एवं संक्षिप्त विवरण छाया गया है।
परिशिष्ट - छ	इस परिशिष्ट पर छत्तीसगढ़ स्थित विभिन्न प्रदाय केन्द्रों पर आयोजनयुक्त नमक की प्रदाय दर प्रति विक्टल की दर से (एफ.ओ.आर.) चाही गई है।
परिशिष्ट - सात	इस परिशिष्ट पर आयोजनयुक्त नमक क्रय संबंधी अनुबंध पत्रक का प्रारूप है जो कि सफल निविदाकारों द्वारा रुपये 100/- के नाम ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबंध निष्पादित किया जावेगा।
परिशिष्ट - आठ	इस परिशिष्ट में आयोजनयुक्त नमक क्रय के पैलीपक एवं एच डी ई पी बैग का प्रारूप दिये गये हैं।
परिशिष्ट - नौ	इस परिशिष्ट में आयोजनयुक्त नमक क्रय संबंधी निविदाओं में सत्यनिष्ठा संधि लागू करने संबंधी घोषणा पत्र दिये गये हैं।
परिशिष्ट - दस	इस परिशिष्ट में आयोजनयुक्त नमक क्रय ई-निविदा संबंधी जानकारी दिये गये हैं।
परिशिष्ट - ब्यारह	इस परिशिष्ट में टेक्नीकल बिड के दस्तावेजों की सूची की जानकारी दिये गये हैं।

समस्त निविदाकारों से अनुरोध है कि वे उक्त परिशिष्टों का गहन अध्ययन करने के उपरांत ही अपनी दरें प्रस्तुत करें ताकि उनके द्वारा प्रस्तुत की गई निविदा विधिवत रूप से प्रस्तुत हो सके।

प्रबन्ध संचालक
छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाय कार्पोरेशन लिमिटेड
भयपुर (छत्तीसगढ़)

Ramesh Salt Traders
23/07/2021
Proprietor

// निविदा दस्तावेज //
// आयोजनयुक्त नमक ISI स्टैंडर्ड ग्रुप की निविदा संबंधी प्रक्रिया //
(बिलासपुर एवं सरगुजा संभाग)

01. मुहरबंद निविदा :-

इच्छुक नमक निर्माताओं द्वारा प्रदाय किए जाने वाले नमक का प्रतिनिधि द्वारा सीलबंद लिफाफे में अमानत राशि डी0डी0 टेक्नीकल बिड खोलने के लिए निविदा दस्तावेज एवं समान में निम्न मुद्दाओं में प्रस्तुत करना अनिवार्य है। सीलबंद लिफाफे में अमानत राशि प्रस्तुत नहीं करने वाले पर निविदादाताओं की टेक्नीकल बिड पर विचार नहीं किया जाएगा एवं उनकी निविदा समान खोल दी जावेगी। निविदाकार द्वारा ऑनलाइन में निविदा प्रक्रिया पूर्ण करने के पर्याय यदि ई0एस0आई मुद्दाओं में जमा नहीं करता है तो निविदाकार के नाम 3 वर्षों के लिए कालाचूची में दर्ज किया जावेगा।

निविदाकर्ता निविदा के साथ ही वांछित दस्तावेज स्या अमानत राशि डी0डी0 की जायाप्रति, नमक आयुक्त द्वारा जारी फर्म का पंजीयन, नमक आयुक्त द्वारा जारी जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र, सिटिफिकेट राशि हेतु बैंक सहनति पत्र, इन्कम टैक्स रिटर्न एवं पेन (PAN) वर्ष 2011-12 अथवा 2012-13 का ऑरिजिनल बैलेंस सीट, (यदि निविदाकार आई.एस.आई. मार्का नमक उत्पादक है तो आई.एस.आई. प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा) टेक्नीकल बीड (TECHNICAL BID) परिशिष्ट-11 के अनुसार केवल ऑनलाइन के माध्यम से ही प्रस्तुत किया जाना होगा।

निविदाकारों जिनके द्वारा टेक्नीकल बीड में क्वालिफाई नहीं किया गया है उनकी ग्राहज बीड नहीं खोली जावेगी एवं निविदा को अमान्य कर दिया जावेगा।

02. अनेस्ट रानी एवं सुरक्षा निधि (EMD/SECURITY) :-

निविदाकार को रुपये 25.00 लाख की अमानत राशि का किसी राष्ट्रीयकृत/सेक्टर बैंक द्वारा जारी किंगडम इम्पट उन्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाय एंड ट्रांसपोर्ट लिमिटेड, रायपुर के पत्र में देय निम्न मुद्दाओं में निविदा में दिये गये की-डेट्स के तहत प्रत्येक 6 में दस्तखत करने एवं समान को अनुसार जमा करना होगा।

निविदाकार को निविदा के साथ किसी राष्ट्रीयकृत/सेक्टर बैंक द्वारा अमानत राशि रु 1.00 करोड़ के लिए बैंक गारंटी हेतु सहनति पत्र चलाना किया जाना अनिवार्य है।

03. निविदा में हस्ताक्षर :-

निविदा प्रपत्र में निविदाकार द्वारा हस्ताक्षर करने के उचित चसका पूरा नाम, पूरा पता एवं किताबें संपत्ति से जैसा कि स्थानीय भागीदार कंपनी सचिव प्रबंध संचालक, मुख्यालय या संचालक के रूप में हस्ताक्षर किया, चसका चलेख करना अनिवार्य है। निविदाकार की ओर से अधिकृत व्यक्ति द्वारा अगर निविदा प्रस्तुत की जाती है, तो इस संबंध में पावर ऑफ एटोर्नी दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। मूल पावर ऑफ एटोर्नी के अभाव में निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा। अगर कंपनी/समिति द्वारा पावर ऑफ एटोर्नी जारी किया जाता है, तो पावर ऑफ एटोर्नी दस्तावेज पर सभी भागीदारों के नाम सहित फर्म/कंपनी/समिति प्रमुख के हस्ताक्षर नम सील होना अनिवार्य है। भागीदारी फर्म होने की दशा में भागीदार के नाम, पता, फोटो, पेन कार्ड की प्रमाणित प्रति सहित दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। निविदा दस्तावेज मूल प्रति में ही प्रस्तुत किया जावेगा एवं इसके हर पृष्ठ पर निविदाकार के सील सहित हस्ताक्षर होना अनिवार्य है।

04. निविदा दर प्रस्तुत करने के संबंध में :-

निविदाकार निर्धारित निविदा दस्तावेज में संलग्न परिशिष्ट-04, जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर संभाग में स्थित विभिन्न जिलों के गोदामों बिलासपुर, सुर्गली, जाजगीर-बाण, कोरबा, रायगढ़, सरगुजा, सरगपुर, इन्द्रावतपुर, कोरिया, जशपुर स्थित स्थानीय गोदामों की जानकारी दी गई है। उपर्युक्त स्थानों के लिए आयोजनयुक्त नमक प्रदाय हेतु प्रति विंटल दर अंकों एवं शब्दों में लिखकर प्रस्तुत किया जाना होगा। निविदा दर प्रस्तुत करने के पूर्व छत्तीसगढ़ के रेल/सड़क मार्गों को देखते हुए दरें प्रस्तुत करने जो बाध में परिवर्तनीय नहीं होगा।

फैक्स, कोरियर अथवा किसी प्रकार के डाक के माध्यम से अथवा खुले (पिना सीलबंद लिफाफा) में प्राप्त निविदाएं विचार योग्य नहीं होंगी।

निविदा साफ एवं स्पष्ट रूप से नहीं जावे। निविदा दस्तावेज प्रपत्र में किसी तरह की ओवर राईटिंग मान्य नहीं किया जावेगा। कांट-घाट होने की स्थिति में उस पर निविदाकार का पूर्ण हस्ताक्षर होना अनिवार्य है।

Signature:

Ramesh Salt Traders
 22/02/2017
 Proprietor

निविदा प्रपत्र में निविदाकर्ता अपना पूर्ण हस्ताक्षर करें। निविदाकार को आयोजितयुक्त नमक उत्तीर्णगढ़ में प्रेषण के दौरान आवश्यक परमिट इत्यादि की व्यवस्था स्वयं करना होगा तथा इससे विभाग / संस्थान किसी प्रकार का सहयोग नहीं करेगा, और न ही किसी प्रकार के कर भुगतान या अन्य भुगतान हेतु उत्तरदायी होगा।

प्रस्तुत किये जाने वाले बांझित दस्तावेज को निविदाकार द्वारा स्वयं हस्ताक्षर करने उपरान्त मोटरों से सत्यापन करना अनिवार्य है।

05. जमानत राशि जमा करने के संबंध में :-

निविदा स्वीकृत होने की तारीख से 7 दिवस के भीतर किसी बचत/संचयन बैंक से राशि 1.00 करोड़ की जमानत राशि बैंक गारंटी के रूप में 15 माह की अवधि के लिये कॉर्पोरेशन के पक्ष में जमा कर अनुबंध निष्पादन करना होगा। तदोपरान्त EMD राशि वापसी होगी।

06. आयोजितयुक्त नमक क्रय की मात्रा :-

नमक की प्रतिमाह लगभग 8100 मेट्रिक टन की आवश्यकता होगी तथा नमक प्रदाय हेतु क्रमिक रूप से प्रति माह आवश्यकतानुसार 6500 मेट्रिक टन से 13000 मेट्रिक टन नमक प्रदाय के आदेश दिये जा सकते हैं जिसकी पूर्ति करने की बाध्यता अनुबंधित नमक निर्माता की रहेगी। इस प्रकार एक वर्ष में अनुमानित मात्रा 74000 मेट्रिक टन की पूर्ति करना होगा जो आबंटन अनुसार कम या अधिक हो सकती है। आवश्यकतानुसार प्रदाय मात्रा से 25 प्रतिशत तक वृद्धि की जा सकती है।

सविदा की अवधि के दौरान किसी निश्चित मात्रा में आयोजितयुक्त नमक प्रदाय आदेश देने की गारंटी नहीं दी जा सकती है। नियम मुख्यालय से लगभग अनुमानित साप्ताहिक/मासिक प्रदाय मात्रा की जानकारी यदि निर्माता बाहे तो प्राप्त कर सकता है किंतु वास्तविक मात्रा कम या अधिक हो सकती है। जब-जब आयोजितयुक्त नमक की आवश्यकता होगी वह यथा समझ प्रदाय हेतु आदेश निर्माता को सौंपा जायेगा। यदि कोई आयोजितयुक्त नमक क्रय आदेश अथवा नमक क्रय की मात्रा कम या अधिक रही, तो इसके लिए निर्माता कॉर्पोरेशन को या उसके विरुद्ध कोई दावा नहीं कर सकेगा एवं कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी। सविदा के पक्षकार नमक निर्माता एवं प्रबंधक (नमक) उत्तीर्णगढ़ स्टेट सिविल सप्लाइज कॉर्पोरेशन लिमिटेड है।

07. निविदा स्वीकार करने संबंधी :-

उत्तीर्णगढ़ स्टेट सिविल सप्लाइज कॉर्पोरेशन लिमिटेड को आयोजितयुक्त नमक प्रदाय निविदा हेतु किसी भी निविदा को बिना किसी कारण के मान्य/अमान्य/पूर्ण अथवा आंशिक रूप से मान्य करने का अधिकार निगम के प्रबंध संचालक के पास पूर्ण सुरक्षित है।

Ramesh Salt Traders
22nd Floor, M.I. 23, Mumbai.
Proprietor

// आयोडीनयुक्त नमक 151 स्टैंडर्ड निविदा हेतु परिभाषा //
(पिलासपुर एवं सरयुजा खंडा)

1. आयोडीनयुक्त नमक से तात्पर्य प्रदाय किया जाने वाला नमक पी.एफ.ए. एक्ट के अंतर्गत निर्धारित मानक स्तर का तथा पैकिंग के समय आयोडीन की मात्रा 30 पी.पी.एम. गुणवत्ता का होना चाहिए एवं 05 साल की अवधि तक 15 पी.पी.एम. होना अनिवार्य है। प्रदाय किया जाने वाला नमक 151 स्टैंडर्ड होना आवश्यक है।

नमक की परिभाषा

A 15.01-Iodized Salt means a crystalline solid, white or pale, pink or light grey in colour, free from contamination with clay, grit and other extraneous adulterants and impurities. It shall conform to the following standards, namely:-

Moisture	-	Not more than 5.0% by weight of the undried sample
Sodium Chloride (NaCl)	-	Not less than 96% by weight on dry basis
Matter insoluble in water	-	Not more than 1% by weight on dry basis
Matter soluble in water other than Sodium Chloride	-	Not more than 3% by weight on dry basis
Iodine Content at:-		
(a) Manufacturers level	-	Not less than 30 parts per million on dry weight basis
(b) Distribution channel including retail level	-	Not less than 15 parts per million on dry weight basis

2. निविदा दस्तावेज से तात्पर्य आयोडीनयुक्त नमक का निविदा हेतु जारी निविदा सूचना के संदर्भ में निविदाकार द्वारा रजिस्टर्ड किया गया दस्तावेज। (मूल प्रति)
3. संविदा से तात्पर्य है कि निविदा गुवत्ता, निविदा प्रक्रिया तथा निविदा से उत्पन्नित निदेश, निविदा संबंधी दस्तावेज, अनुबंध एवं शर्तपत्र के अंतर्गत स्वीकार करना एवं निविदा से संबंधित सामान्य एवं सभी शर्तें सम्मिलित हैं।
4. निगम शब्द का तात्पर्य होगा, छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाइज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर है।
5. प्रबंध संचालक का तात्पर्य यह होगा कि छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाइज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जैसा स्थापित है, जिसके प्रशासकीय नियंत्रण में कनरा, छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाइज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के व्यवसायिक निविदा संबंधी कार्य सम्पादित होना है।
6. प्रदायकर्ता शब्द से तात्पर्य यह है कि ऐसे निमाता जिसने इस निविदा में भाग लिया है या निविदा प्राप्त किया है।
7. निर्माता शब्द से तात्पर्य ऐसे आयोडीनयुक्त नमक निर्माता कंपनी जो नमक आयुक्त, भारत सरकार से पंजीकृत हो। इस तात्पर्य के अंतर्गत व्यक्ति, फर्म, कंपनी, संघ, संस्था की ओर से विधिवत अधिकृत व्यक्ति भी मान्य होंगे।
8. दर शब्द से तात्पर्य यह होगा कि दर जो निविदाकार द्वारा प्रस्तुत किया गया है तथा जो जिसे निगम द्वारा अंतिम या अंतिम रूप से मान्य किया गया है।
9. अनुबंध शब्द का अर्थ यह होगा कि आयोडीनयुक्त नमक का हेतु, निगम एवं नमक निर्माता के बीच सविदा करार।

Ramesh Salt Traders

27/01/2024 23/01/2024
Proprietor

निविदा की नियम शर्तें

परिशिष्ट - 2

1. निविदाकारों द्वारा प्रस्तुत निविदा दर निविदा दिनांक से 30 दिनों तक वैध रहेगी जिसे मानने हेतु निविदाकार बाध्य रहेगा।
2. प्रदायकता नमक का निर्माता ही हो प्रकृत नहीं।
3. निविदाकर्ता का यह दायित्व होगा कि वे निविदा भरने से पूर्व छत्तीसगढ़ स्थित प्रदायक केन्द्रों, लड्डूक/रेल मार्ग का भली-भाँति अवलोकन/परिक्षण करें। दूर करने से पूर्व सभी पहलुओं पर अपनी संतुष्टि कर लें। निविदा भरने या खुलने उपरान्त इनमें किसी प्रकार का स्वीकरण, मार्गदर्शन, विवाद मान्य नहीं होगा।
4. आयोजनयुक्त नमक का क्रय शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित नीति निर्देशों के अनुसार किया जायेगा। शासन की नीति अथवा आदेश होने पर निविदा स्वीकृति के बाद भी क्रय रोक जा सकता है। इससे अगर नमक निर्माता को किसी प्रकार की हानि होवे है, तो इसकी जवाबदारी निगम की नहीं होगी।
5. प्राप्त निविदाओं को स्वीकार या अस्वीकार करने का अंतिम अधिकार निगम के प्रबंध संचालक के पास पूर्णतः सुरक्षित रहेगा, तथा इस संबंध में किसी प्रकार का विवाद मान्य नहीं होगा। निविदाकार / नमक निर्माता की यह जिम्मेदारी होगी कि निविदा दरो में नमक प्रेषण करने हेतु समस्त प्रचलित लायसेंस, परमिट, अन्य वैधानिक दस्तावेजों की व्यवस्था स्वयं करें। इसमें निगम द्वारा किसी प्रकार का सहयोग नहीं किया जायेगा। दस्तावेज के अभाव में या गलत जानकारी प्रस्तुत करने से कोई विवाद उत्पन्न होता है तो इसकी संपूर्ण जवाबदारी नमक निर्माता की रहेगी। अन्यथा की स्थिति में अनुबंधित फर्म होता है तो इसकी संपूर्ण जवाबदारी नमक निर्माता की रहेगी। अन्यथा की स्थिति में अनुबंधित फर्म की जवाबदारी अनामत / जमानत राशि निगम के पास में राजस्वत कर नमकाली सूची में दर्ज की जायेगी।
6. निविदाकार को रुपये 25.00 लाख की जमानत राशि का किसी राष्ट्रीयकृत बैंक/सेक्टर बैंक से राशि 1.00 करोड़ की जमानत राशि बैंक गारंटी के रूप में 15 मिनट की अवधि के लिये कारपोरेशन के पास में जमा कर अनुबंध निष्पादन करना होगा। तदाउपरांत EMD राशि वापसी होगी।
7. निर्धारित अवधि में करार निष्पादित नहीं करने की स्थिति में निविदा फर्म के साथ जमा रखने की राशि (अर्नेस्ट मनी) यथास्थिति अनुसार कारपोरेशन के हित में जब्त कर ली जायेगी। इसके लिए आवश्यक नहीं होगा कि कारपोरेशन संयंत्रित को अलग से सुनवाई का अवसर प्रदान करें।
8. आयोजनयुक्त नमक क्रय हेतु निविदा खिलासपुर एवं सरगजा सेनांग के जिलों के बैसडिपो/गोदामों (परिशिष्ट 04 अनुसार) के स्थानीय गोदामों पर (एफ.ओ.आर) बहुधाकर स्टेकिंग करने तक की दर बांटी गई है। नमक की बोरेटों में ड्रक का प्रयोग पूर्णतः वर्जित रहेगा।
9. जमा सिक्योरिटी राशि पर किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।
10. निविदा भरते समय निविदाकार अपने तर्फ से किसी प्रकार की शर्त/टीप प्रस्तुत निविदा में उल्लेख नहीं करेगा। यदि निविदाकार के द्वारा ऐसा किया जाता है तो प्रस्तुत निविदा अवैध घोषित कर दी जायेगी।
11. वितरण आदेश (Delivery Schedule) साप्ताहिक या मासिक रेल या रोड परिवहन से करने हेतु दिया जायेगा। आवेक्षित मात्रा अनुसार निर्धारित समय में नमक उपलब्ध कराने हेतु प्रदायकता फर्म की बाध्यता रहेगी।
12. छपनछपनकर क्रय नियम 4.13 अंतर्गत प्रदायकता द्वारा निर्धारित अवधि के अंदर यदि नमक प्रदाय नहीं किया जाता है तो निगम द्वारा 2 प्रतिशत प्रतिमाह पेनाल्टी के साथ समयावधि में केवल एक बार ही सूटि की जा सकती है।
13. नमक निर्माता का कार्य स्थल, नमक आयुक्त से स्वीकृत/अनुमोदित तथा निर्धारित होना चाहिए।

Ramesh Salt Traders

27/02/2017 23/02/2017
Proprietor

14. सातक कलिलर से स्वीकृत/निविदाकार कार्य स्वतः के अन्तर्गत निर्माता को अन्य स्थान पर नमक तैयार करने की अनुमति नहीं रहेगी।
15. यदि अनुबंधित नमक निर्माता निम्न द्वारा दिये गये नमक प्रदाय आदेश के अनुसार नमक प्रदाय नहीं करता है तो निगम को यह अधिकार होगा कि वह निविदा को बिना रद्द किए स्वतंत्र रूप से निविदा में भाग लिये न्यूनता के क्रम में नमक निर्माता/सार्व सरकार अथवा राज्य सरकार के किसी संघ/संस्था से इस निविदा के अन्तर्गत अनुबंधित नमक निर्माता की जोखिम एवं खर्चों पर नमक प्रदाय आदेश देने के सात दिवस के बाद से आनुपातिक तौर पर नमक की पूर्ति करावे। इस स्थिति में कार्पोरेशन को इसे कति/हानि एवं खर्चों की स्वीकृत दर का 25% या वास्तविक जो अधिक हो, अदा करने का समस्त उत्तरदायित्व अनुबंधित नमक निर्माता का होगा।
16. जिस निविदाकार को निविदा स्वीकृत की जाती है उसे स्वीकृत दर पर वित्तीय वर्ष 2012-14 एवं 2014-15 के लिए अनुबंध करना होगा। निविदा 1 जनवरी 2014 से 01 वर्ष के लिए मान्य होगी जो आगामी 03 माह के आगंतुक अनुसार प्रदाय आदेश की रखा जा सकती है। जो अनुबंधित नमक निर्माता को मान्य करना अनिवार्य होगा।
17. निविदा नियमों एवं शर्तों का पालन नहीं किए जाने की दशा में जमा अमानत/जमानत राशि निगम के पक्ष में राजस्वत कर नाम काली सूची में दर्ज की जायेगी।
18. क्रय की अन्य शर्तें छत्तीसगढ़ नगर क्रय नियम 2002 के अनुसार हैं।
19. कार्पोरेशन को यह प्रदाय आदेश अहस्तांतरणीय है, जिसे निविदाकार को यह कार्य स्वीकृत किया जायेगा, उसे ही यह कार्य अपने नाम से करना होगा। सब कंट्रैक्ट के लिए अधिकार नहीं रहेगा। निविदाकार यह कार्य किसी अन्य व्यक्ति को आवंटित नहीं कर सकेगा। यदि अन्य व्यक्ति को निविदा (Contract) सौंपा जाता है तो संबंधित फर्म का निविदा निरस्त कर फर्म को काली सूची में डाल दिया जाएगा तथा निविदा निरस्त कर जमा अमानत/जमानत राशि निगम के पक्ष में राजस्वत कर ली जायेगी।
20. इस निविदा को बिना कारण बतलाये निरस्त करने पूर्व/आंशिक नान्य अथवा अमान्य करने का अधिकार प्रबंध संचालक के पास सुरक्षित रहेगा।
21. निविदाकार को वित्तीय वर्ष 2011-12 अथवा 2012-13 का साक्ष्य स्वरूप फर्म/कम्पनी की AUDITED बैलेंस शीट, लान-हानि खाता संलग्न करें (UNAUDITED मान्य नहीं होगा)।
22. सत्यनिष्ठा संधि का पालन करना अनिवार्य होगा।

Ramesh Salt Traders

23/07/2013

Proprietor

नमक की गुणवत्ता एवं दुरुपयोग को रोकना II
(विलासपुर एवं सरगजा संभाग)

1. प्रदाय किया जाने वाला नमक-साफ, सूखे, निर्धारित गुणवत्ता का होना चाहिए।
2. नमक के पैकिंग के समय आयोडीन 30 पीपीएम सांद्रता का होना चाहिए व 08 माह की समयवधि समाप्ति पर आयोडीन मात्रा 15 पीपीएम से कम नहीं होना चाहिए।
3. प्रदाय किये जाने वाला नमक मोस्कर एक्ट 1984 के अंतर्गत निर्धारित मानक स्तर, आईएसआई स्टैंडर्ड एवं निम्नलिखित स्पेसिफिकेशन का होना चाहिए जिसके लिए नमक प्रदाय के दौरान नमक आयुक्त का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

नमक की परिभाषा

A 15.01-Iodised Salt means a crystalline solid, white or pale, pink or light gray in colour, free from contamination with clay, grit and other extraneous adulterants and impurities. It shall conform to the following standards, namely:-

Moisture	-	Not more than 0.5% by weight of the undried sample.
Sodium Chloride (NaCl)	-	Not less than 96% by weight on dry basis.
Matter insoluble in water	-	Not more than 1% by weight on dry basis.
Matter soluble in water other than Sodium Chloride	-	Not more than 3% by weight on dry basis.
Iodine Content etc.		
(a) Manufacturers level	-	Not less than 30 parts per million on dry weight basis.
(b) Distribution channel including retail level	-	Not less than 15 parts per million on dry weight basis.

4. नमक 01 किलोग्राम नैट वजन, 50 माइक्रोन के पॉलीथेन में प्रदाय किया जाएगा। एक किलोग्राम के पॉलीथेन पर ब्रांडिंग का प्रारूप निम्न द्वारा किया जाएगा, जिसकी प्रिंटिंग नमक विक्रेता करायेंगा। अनूत नमक के ब्रांडिंग के प्रारूप की छायाप्रति निम्नलिखित मार्ग के साथ संलग्न है, जिसे तीन रंगों में छपाया जाना है पॉली क्लियर साफ, एक समान टेक्स्चर की ट्रान्स्पेरेंट, मजबूत, बिना किसी प्रकार के छेद की, प्यूनरान 50 माइक्रोन स्तर की होनी। नमक की पैकिंग से संबंधित नमूना निम्न द्वारा दो माह डिजाइन में प्रिंट करवाकर पैकिंग के पूर्व अनुमोदित कराना होगा व तत्पश्चात ही निम्न से सहमति मिलने पर वास्तविक आवश्यकता के अनुरूप ही इसकी छपाई अच्छी क्लियर की स्थाई से प्रदायकर्ता के द्वारा कराई जायेगी। घटिया क्लियर की स्थाई का प्रयोग न किया जाये। घटिया क्लियर की स्थाई प्रयोग करने पर नमक के मूल्य का 2 प्रतिशत राशि का कटौत किया जायेगा। विलासपुर एवं सरगजा संभाग के जिलों में नमक की आपूर्ति 'अनूत नमक' के नाम से आवश्यकतानुसार पॉलीथेन पर निर्धारित प्रारूप पर ब्रांडिंग कर की जायेगी। अनूत नमक का पॉलीथेन ट्रान्स्पेरेंट (TRANSPARENT) रहेगा।
5. निम्न में आयोजित नमक की दर (एफओआर) छत्तीसगढ़ राज्य के विलासपुर एवं सरगजा संभाग के जिलों में स्थित गोदामों पर रेल/सड़क माध्यम से परिवहन कर लेवियंग, अनलोडिंग एवं स्टैकिंग सहित प्राप्ति गई है। दरें समस्त करों सहित होंगी।
6. (अ) भारत सरकार द्वारा रेल मार्ग एवं अन्य करों में अग्रानुकूल उपस्थापित कमी/वृद्धि की जाती है वो दोनों स्थलों को सहमति से आवश्यक निर्णय लेने की बाध्यता रहेगी।
6. 01 किलोग्राम वजन के पॉलीथेन 50-50 किलो की संख्या में नये एचडीपीई बैग्स में पैक कर प्रदाय किया जायेगा जिसमें एक न सगे एवं एक को सख्ती से बंद करावे। आयोजित नमक परिवहन के साथ खाली पॉलीथेन भी रखी जायेगी, जो कटौत कटी थैलियों के स्थान पर काम आ सके तथा पाली बैक में पैकिंग इस प्रकार हो कि पैकेट का मुंह न खुले व नमक की क्षति न हो। नमक पाली बैक का अनुमानित वजन लगभग 3 से 3.50 ग्राम प्रति पाली बैग एवं 50 कि.ग्रा. भरती वाले एचडीपीई बैग का वजन 50 से 55 ग्राम होना चाहिए।

Ramesh Salt Traders

23/01/2021
 Proprietor

7. निगम को विक्रेता के कारखाने/गोदामों/आदि स्थानों पर नमक की रिपोर्ट, पैकिंग, किस्म, मात्रा आदि का निरीक्षण का अधिकार होगा। निरीक्षण के दौरान किसे प्रकार की कमी पाई जाती है तो आदेश निरस्त करने का अधिकार निगम को होगा।
8. निविदादाता/नमक निर्माता द्वारा आयोजनयुक्त नमक के प्रदाय संबंधी निर्देशों का पालन न करने पर निगम द्वारा अनुबंध समाप्त करने, अनुबंध के साथ जमा जमानत राशि अपने पक्ष में राजस्वत करने के लिए स्वतंत्र होगा।
9. यदि प्रदाय किया गया नमक एच.पी.एच. तथा पीकिंग नोटिफिकेशन पर छपाई की स्थायी उपयुक्त गुणवत्ता मानक स्तर का नहीं पाया जाता है तो निगम मुगदान अस्वीकृत करने के साथ-साथ अनुबंध एक पक्षीय रूप से समाप्त करवाए जामानत प्रति राजस्वत कर सकेगा।
10. अनुबंधित विक्रेता द्वारा नमक प्रदाय के साथ गुणवत्ता का प्रमाणीकरण साल्ट कमिशनर/या उनके अधिकृत सर्वेयर की रिपोर्ट तथा प्रदाय किया गया नमक आई.एस.आई. स्टैंडर्ड एवं पी.एफ.ए. एक्ट द्वारा निर्धारित मानक स्तर का होने संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इस हेतु समय-समय पर निगम से किसी अधिकारी/कर्मचारी को निर्माता के फ़ैक्ट्री में सैम्पल जांच कराने हेतु भेजा जा सकेगा। प्राप्तकर्ता जिला से नमक प्राप्ति की आगमनाद राबती, वेल प्रत्रक सहित निगम के सचिवालय स्थित मुख्यमन्त्री से प्रस्तुत करेगा। निगम को प्राप्त आयोजनयुक्त नमक से संबंधित 80% मुगदान, उक्त दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करने पर आवश्यकत पर सही पाये जाने पर मुगदान किया जायेगा और शेष 10% का मुगदान जिला प्रबंधक से नमक प्राप्ति की मात्रा व गुणवत्ता आदि की पुष्टि प्राप्त होने के बाद एवं अपने स्वतंत्रता से संतुष्ट होने के पश्चात किया जायेगा।
11. रैक से नमक परिवहन की दशा में आरक्षण क्रमांक, दिनांक तथा स्थान सहित नमक प्रेषित जिले का नाम, प्रदाय केंद्र का नाम, भेजी गई मात्रा, ऑनलाइन ट्रक चालान क्रमांक, दिनांक व ट्रक क्रमांक सहित विवरण देना होगा।
12. मुगदान वास्तविक रूप से प्रदाय किये गये नमक का मुगदान होगा। यह प्राप्ति स्थल पर सत-प्रतिशत तौलकर जमा कराया जायेगा।
13. कार्पोरेशन द्वारा स्वीकृत अनुबंधित नमक निर्माता के साथ अनुबंध के रहते हुए भी अनुबंधित नमक प्रदाय हेतु ऐसे अन्य उपाय/व्यवस्था को नियुक्त कर सकता है जो नमक प्रदाय आदेश को निर्बाध और गति पूर्ण से पूर्ण करने के लिए आवश्यक है, इस मामले में प्रबंधन को पूरे अधिकार होने कि वह नियुक्त अनुबंधित नमक निर्माता के साथ-साथ या स्वतंत्र रूप से ऐसी समाजित व्यवस्था से नमक की पूर्ति कराये। इसके अलावा भी प्रबंधन को सर्वाधिकार होंगे, क्या अनुबंधित नमक निर्माता की आपूर्ति व्यवस्था के लिए मान्य नहीं होगी। यदि कार्पोरेशन चाहे तो किसी भी अनुबंधित नमक प्रदायकर्ता को स्वीकृत पूर्ण अथवा आंशिक नमक प्रदाय के आदेश निविदा में साम लिये नमक निर्माता से कर सकता है। इससे नियुक्त नमक निर्माता की कोई आपूर्ति / क्षतिपूर्ति मान्य नहीं होगी।
14. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में प्रबंध संचालक, उन्नीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लायज कार्पोरेशन लिमिटेड, रामपुर का निर्णय अंतिम होगा।
15. यह कि निविदादाता/नमक निर्माता द्वारा प्रदाय किया जाने वाला नमक पी.एफ.ए. एक्ट के अंतर्गत मानक स्तर का 90 पी.पी.एम. रहा होगा। यदि इसमें कमी पाई जाती है तो निगम द्वारा निविदादाता/नमक निर्माता पर निम्न प्रकार के कटौत किये जायेंगे :-
 - (अ) पी.एफ.ए. एक्ट के अंतर्गत नमक की गुणवत्ता निर्धारित मानक स्तर से कम मानक स्तर का पाया जाता है तो ऐसे स्टॉक को अस्वीकृत कर दिया जायेगा तथा 1 गांव के भीतर प्रदायकर्ता फर्म द्वारा अनिवार्य रूप से छठा कर उसके स्थान पर सच्चे गुणवत्ता का नमक प्रदाय करना होगा।
 - (ब) प्रदाय किये जाने वाले नमक की क्वालिटी यदि पी.एफ.ए. एक्ट के तहत निर्धारित मानक स्तर से कम पाया जाता है तो उसे अस्वीकार करने का अधिकार निगम को होगा। इससे निविदादाता/नमक निर्माता की आपूर्ति मान्य नहीं होगी।
 - (स) यदि एक किलोग्राम पोलिपैक जिसमें नमक प्रदाय किया जाता है, इसका माइक्रोन 50 से कम पाया जाता है तो प्रदायकर्ता के हिस से नमक के मूल्य का 4% तक का कटौत किया जायेगा।

Ramesh Sait Traders

23/01/2021, 23/01/2021

Proprietor

- (र) प्रदाय किया गया नमक को निर्धारित मात्रा/गुणवत्ता मानक स्तर का नहीं पाये जाने पर प्रदायकर्ता को नमक मूलतः वापस की जा सकती है। ऐसे प्रदायकर्ता अपने खर्चों से उठायेगा तथा उसमें होने वाली हानियाँ/परिवहन/भंडारण आदि समस्त खर्चों की वसूली प्रदायकर्ता के देयक से की जाएगी।
- (स) निगम को देयक रकमा राशि की वसूली अस्तीसगढ़ न्यायपालिका के नियमों एवं प्रावधानों के तहत न्यायपालिका के आदेशों की जायेगी।
16. निविदा में प्रस्तावित 10 (दस) केन्द्रों के अतिरिक्त प्रदाय केन्द्र पर जिला प्रबंधक द्वारा प्रदायकर्ता से ही नमक परिवहन कराया जाने की दशा में निगम द्वारा जिले के संबंधित डेपुटि जिले की स्वीकृत एल.आर.टी. परिवहन दर के हिसाब से एफ.ओ.आर. डेस्टिनेशन के आधार पर 10 जिलों हेतु एफ.ओ.आर. निर्धारित अनुबंधित प्रदायकर्ता फर्म को ही नियमानुसार भुगतान किया जाएगा। एल.आर.टी. देयकों से शासन द्वारा लागू कर वसूली योग्य होगी तथा शासन के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। निविदाकार को ही एल.आर.टी. परिवहन का भुगतान किया जाएगा अन्य व्यक्ति अथवा अन्य परिवहनकर्ता को नहीं।
17. नमक प्रदायकर्ता जिला स्तर पर दिये गये दो जायेगी। जिला प्रबंधक द्वारा प्रदायकर्ता फर्म से अन्य स्थानों पर अतिरिक्त परिवहन कराया जाता है तो दूरी के हिसाब से एल.आर.टी. परिवहनकर्ता की स्वीकृत दर अनुसार प्रदायकर्ता फर्म को एल.आर.टी. का भुगतान किया जाएगा।
18. रैक हाउट से नमक खी डिलेवरी लेकर निगम द्वारा स्वयं अथवा अपने नियुक्त परिवहनकर्ता से परिवहन कराया जाने की दशा में स्थानीय परिवहन अनुबंधित हानियाँ एवं स्टैडिंग की राशि प्रति डिस्टल 50.00 रुपये कटौती कर प्रदायकर्ता को नमक का भुगतान किया जाएगा।
19. नमक प्रदायकर्ता द्वारा रैक आने पर पूर्व में दिये गये परिवहन आदेश अनुसार यदि निर्धारित गोदामों में भंडारण समता रिक्त नहीं रहती है, ऐसी स्थिति में नमक प्रदायकर्ता स्थानीय के अन्य गोदामों में भंडारण कर सकता है। ऐसी स्थिति में जिला प्रबंधक से तत्काल अनुमति लेवे।
20. किसी भी प्रकार के न्यायालयीन विवाद होने की दशा में न्यायालय का क्षेत्राधिकार रायपुर (अस्तीसगढ़) स्थित न्यायालय रहेगा।

Ramesh Salt Traders

श्रीमान श्री. रामेश

Proprietor

// बिलासपुर एवं सरगुजा संभाग के स्थित प्रदाय केंद्र/गौदान का विवरण, जहां
आयोजित नमक की पूर्ति किया जाता है //

क्र.	जिला/ब्लॉक सिपा का नाम	जिले में नमक की प्रतिमाह अनुमानित आवश्यकता (मि. टन में)	जिले में स्थित प्रदाय केंद्र/गौदान जहां आयोजित नमक की पूर्ति किया जाता है। (केन्द्रीय/राज्य प्रदाय केंद्र दिनांक)
01	00000000	1035.764	00000000
02	00000000	437.492	00000000
03	00000000 000000	997.412	00000000000000
04	000000	580.540	000000
05	000000	924.058	00000000
06	000000	521.824	00000000
07	00000000	431.908	00000000 (बिलासपुर)
08	00000000	334.160	00000000 (सरगुजा)
09	000000	378.216	00000000
10	000000	445.182	000000
योग :-		6086.556	

नोट : निर्धारित नमक की रकम डिपो में ही स्वीकृत की जायेगी।

-0-

Ramesh Sakt Traders

22/01/2021 मी. 23/01/2021

Proprietor



परिशिष्ट - पांच

// निविदाकार का परिचय एवं संबंधित विवरण //

प्रेषक

रमेश साकट ट्रेडर्स (नमक निर्यात का नाम)
स्थान रोड सुरेन्द्र नगर वनवद (एवं पूर्ण पता)
गुजरात

प्रति

प्रधान संचालक
एन. स्टेट सिविल सप्लाय कारपोरेशन लिमिटेड
रायपुर (छत्तीसगढ़)

प्रिय महोदय,

धन: स्टेट सिविल सप्लाय कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य स्थित विभिन्न प्रदाय केंद्रों / गोदामों में आयोजित नमक (आइएसआई स्टैंडर्ड) का निविदा प्रकाशित निविदा सूचना को पढ़कर हमने / मैंने निमन के मुख्यालय में निविदा दायर की है। हमने / मैंने निविदा के आनेक्रम में दिए गए निर्देशों/निविदा/सविदा नतीजों, नियमों तथा इसके परिशिष्टों में दिए गए विवरण को भली भांति पढ़ लिया है। उसको समझ लिया तथा हम/ मैंने उसके पालन के लिए सहमत हैं/हैं।

हम/ मैंने आयोजित नमक छत्तीसगढ़ राज्य स्थित विभिन्न प्रदाय केंद्रों में एक.ओ.आर. (लोडिंग, अनलोडिंग एवं स्टोकिंग सहित) (दो समस्त करों सहित) पहुंचाकर देने संबंधी प्रकाशित निविदा के तारतम्य में यह निविदा भर रहे हैं। हमारा / मेरा अन्य विवरण निम्नानुसार है-

- (01) निविदाकार का नाम तथा
रमेश साकट ट्रेडर्स
स्थान रोड सुरेन्द्र नगर वनवद गुजरात
02258-260048
- (02) हमारा पता कार्यालय
इन्दौर
02258-260048
- (03) निविदाकार की फर्म का स्वसूच (फर्म/ कंपनी/ स्वामित्व/ हिन्दू/ अविभाजित/ परिवार)
स्वामित्व
- (04) मुखिया (कंती) का नाम व पता
रमेश साकट ट्रेडर्स गुजरात
- (05) यदि भागीदारी फर्म है तो समस्त भागीदारी के नाम/पते (भागीदारी विवेक की प्रमाणात प्रति संलग्न करें)
N/A
- (06) फर्म की स्थापना, पंजीवन क्रमांक एवं दिनांक (सत्यप्रतिनिधि संलग्न करें)
31/08/2002, 24-12-1976
- (07) साल्ट कमिश्नर द्वारा पंजीकृत पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक (सत्यप्रतिनिधि संलग्न करें)
पंजीयन क्र. 0602002919
- (08) आयकर रिटर्न तथा पत्र की सत्यप्रति संलग्न करें।
7/9 IS/ 90/2039
Date- 18-12-2012
- (09) बैंक का नाम शाखा सहित (खाता क. लिखें)
KARNATAKA BANK, Hc No- 65920001000
- (10) वर्तमान में किस शासकीय/ अर्द्धशासकीय संस्था में नमक प्रदाय कार्य कर रहे हैं, विवरण दें।
Rajni Salt Suppliers Co. - 99803
16 Salt Association Ltd, Raipur

12/12/13 mgp205

12/12

12/12

Ramesh Salt Traders
2 मंजरी गुजरात मी. 23 गुजरात.
Proprietor

Ramesh Salt Traders
2 मंजरी गुजरात मी. 23 गुजरात.
Proprietor

[15]

(11) निर्धारित चंदा की गई जानकारी राशि का विवरण PAID THROUGH RGS

(12) इस दस्तावेज के साथ संलग्न अभिलेखों की सूची

1. List Enclosed
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

3. हमारी/मेरी निविदा फॉर्म में उल्लेखित की गई/दिए गए निविदा खुलने की तारीख से नब्बे दिन तक नया परिशिष्ट दो के अनुसार यह रहेगा, जिसे मानने के लिए हम/मैं बाध्य रहेंगे/रहूंगा/रहूंगी।
4. यदि नियम द्वारा हमें/मुझे आयोजित/युक्त वनक प्रदाय का कार्य सौंपा जाता है तो हम/मैं निर्धारित अवधि में नियमानुसार प्रविष्टि राशि जमा करके अनुबंध करने के लिए सहमत हैं/हूँ।
5. हम/मैं इसके द्वारा घोषित करते हैं / करता हूँ कि निविदा फॉर्म तथा उसके साथ संलग्न परिशिष्टों में की गई प्रविष्टियों मेरे पूर्ण विचार एवं ज्ञान में सही हैं।

दिनांक 12-12-2018

हस्ताक्षर _____

नाम रमेश सागर चौधरी

कर्म का नाम रमेश सागर देसाई

पता स्टेशनरी, सुरेंद्र नगर ब्लॉक गुजरात

हस्ताक्षर रमेश सागर

मुख्य _____

Ramesh Salt Traders
रमेश सागर चौधरी, सुरेंद्र नगर,
Proprietor

नोट : इसमें अपेक्षित विवरण स्पष्ट रूप से भरे एवं संपूर्ण कालन में प्रविष्टि अतिव्यापक है, अन्यथा अपेक्षित विवरण के अभाव में निविदा निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

निविदाकार के हस्ताक्षर _____

निविदाकार का नाम रमेश सागर देसाई

पता रमेश सागर देसाई

हस्ताक्षर रमेश सागर

मुख्य _____

हस्ताक्षर रमेश सागर

मुख्य _____

हस्ताक्षर रमेश सागर

मुख्य _____

हस्ताक्षर रमेश सागर

मुख्य _____

हस्ताक्षर रमेश सागर

मुख्य _____

हस्ताक्षर रमेश सागर

मुख्य _____

हस्ताक्षर रमेश सागर

मुख्य _____

हस्ताक्षर रमेश सागर

मुख्य _____

हस्ताक्षर रमेश सागर

मुख्य _____

हस्ताक्षर रमेश सागर

मुख्य _____

हस्ताक्षर रमेश सागर

मुख्य _____

हस्ताक्षर रमेश सागर

मुख्य _____

हस्ताक्षर रमेश सागर

मुख्य _____

हस्ताक्षर रमेश सागर

मुख्य _____

हस्ताक्षर रमेश सागर

मुख्य _____

हस्ताक्षर रमेश सागर

मुख्य _____

हस्ताक्षर रमेश सागर

मुख्य _____

हस्ताक्षर रमेश सागर

मुख्य _____

हस्ताक्षर रमेश सागर

मुख्य _____

हस्ताक्षर रमेश सागर

मुख्य _____

हस्ताक्षर रमेश सागर

मुख्य _____

हस्ताक्षर रमेश सागर

मुख्य _____

हस्ताक्षर रमेश सागर

मुख्य _____

Ramesh Salt Traders
रमेश सागर चौधरी, सुरेंद्र नगर,
Proprietor

परिशिष्ट - 8

62

// आयोजित नमक-साफ सफेद निर्धारित गुणवत्ता अनुसार (आईएसआई स्टैंडर्ड) प्रदाय की दर //

आयोजित नमक-साफ सफेद निर्धारित गुणवत्ता अनुसार (आईएसआई स्टैंडर्ड)
एफ.ओ.आर. वर्ष 2013-14 एवं 2014-15
(1 जनवरी 2014 से 31 दिसम्बर 2014 तक) में प्रदाय की दर :-

क्र.	विवरण	दर रुपये प्रति क्विंटल	
		अक्षर में	शब्दों में
01	आयोजित नमक-साफ सफेद निर्धारित गुणवत्ता अनुसार (आईएसआई स्टैंडर्ड) बिलासपुर, मुंगेली, जाजगीर-बापा, कोरवा, रायगढ़, सरगुजा, सरजपुर, दिग्गामपुर, बलरामपुर (समानुज्ज्वल) कोरिया, जशपुर स्थित स्थानीय गोदामों में स्टकिंग करते-वक की दर (दर समस्त करों सहित होगी)		

उपरोक्तानुसार दरें (एफ.ओ.आर. एवं समस्त करों सहित) नीचे // इनारे द्वारा भरी गई हैं।

नोट :- दरें केवल ऑनलाइन के माध्यम से ही भरा जाना होंगे।

दिनांक 10-12-2013

Ramesh Salt Traders
श्रीमान श्री. रमेश साहू
Proprietor

हस्ताक्षर _____
नाम रमेश साहू
फर्म का नाम रमेश साहू ट्रेडर्स
पूरा पता स्टेशन रोड, जैसलमेर
राजस्थान
हस्ताक्षर रमेश साहू
हस्ताक्षर रमेश साहू

उत्तर

Ramesh Salt Traders
श्रीमान श्री. रमेश साहू
Proprietor

6

[17]

परिशिष्ट - सात

करार
नमूना प्रति
(सौ संपत्ति मूल्य का मुद्रांक पत्र)

चुकि छग स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लिमिटेड मेरे / हमारे द्वारा दिनांक _____ को प्रेष्य संचालक, छग स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर को प्रस्तुत मुहसबद निविदा के प्रत्युत्तर में कार्पोरेशन के सभी 10 जिले में स्थित स्थानीय गोदामों में आगमन एवं आयातनयुक्त नमक स्टोकिंग करने तथा समस्त कसों सहित सब को दे देते निविदा स्वीकृत करने के लिए सहमत है। अतः मैं / हम (यहां निविदाकार के पूरे नाम और पते का उल्लेख करें) मेसर्स _____ जो कि एक मंजीयत निर्माता/भागीदारी फर्म / स्वामित्व (प्रोपराइटरशिप फर्म/कंपनी है और जिसके भागीदार / स्वामी) श्री _____ निवासी _____ एवं फर्म का पंजीकृत पता _____ निवासी _____ जिसे इसमें इसको आगे निविदाकार/नमक निर्माता कहा गया है एवं प्रेष्य संचालक, छग स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लिमिटेड रायपुर (जिसे इसमें इसको आगे कार्पोरेशन कहा गया है) के बीच आज दिनांक _____ को यह करार निमादित करता है / करते हैं और इसके द्वारा इन बातों की पुष्टि करता है/करते हैं कि मैंने / हमने उत्तीरगद स्थिति विहित निर्धारित प्रदाय केन्द्रों / गोदामों में आगमन एवं आयातनयुक्त नमक प्रदाय करने हेतु निविदाकार की नियुक्ति के संबंध में छग स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा आमंत्रित निविदा कमांक _____ दिनांक _____ तथा निविदा की सामान्य शर्तों और उसके अनुबंधों, निर्देशों तथा परिशिष्टों का परीक्षण कर लिया गया है और उन्हें समझ लिया है और उनसे आबद्ध रहने का करार करता है/करते हैं। मैं/हम, मेरे/हमारे द्वारा प्रेष्य संचालक, छग स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लिमिटेड रायपुर को प्रस्तुत निविदा के अनुमोदन के परिणामस्वरूप प्रस्ताव पत्र कमांक _____ दिनांक _____ में जो इस करार का एक भाग है, मैं/हम उक्त कार्पोरेशन को यह आश्वासन देता है / देते हैं कि मैं / हम उक्त कार्य को इस निविदा की अवधि पर्यन्त सभी अवस्थाओं पर मेरी/हमारी सर्वोत्तम योग्यता से करूंगा/करेंगे।

यह करार दिनांक _____ से _____ तक के लिए या उस दिनांक तक, जिस तक यह निविदा बढ़ाई जाए, लागू रहेगा।

(निविदाकार)
वह शहियत, जिसमें यह हस्ताक्षर कर रहा है

कार्पोरेशन की ओर से
अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

सहो -

सहो -

- (1) _____
- (2) _____

- (1) _____
- (2) _____

Ramesh Sakt Traders
23/01/2017
Proprietor



Ramesh Salt Traders
20/2000/...
Proprietor

“हितवाद परिसर” अर्थात् विहार, तेलीबांधा रायपुर

ਸੰਖਿਆ 30 X 24

बैंग का वजन— 50 ग्राम से 55 ग्राम

पीडीएस में वितरण हेतु
नमक

Ramesh Sak Traders

Ramesh Sakt Traders
2nd 21 4/12/2017 23 June 17
Proprietor

Proprietor

PRE-CONTRACT INTEGRITY PACT1. GENERAL

1.1 This pre-bid contract Agreement (herein after called the Integrity Pact) is made on day of the month 20..... between the Government of Chhattisgarh acting through Shri..... (Designation of the officer, Department) Government of Chhattisgarh (here in after called the "BUYER", which expression shall mean and include, unless the context otherwise requires, his successors in the office and assigns) and the First Party, proposes to procure (name of the Stores/Equipment/Work/Service) and M/s..... represented by Shri..... Chief Executive Officer (hereinafter called the "BIDDER/Seller," which expression shall mean and include, unless the context otherwise requires, his successors an permitted assigns) and the Second Party, is willing to offer/has offered.

1.2 WHEREAS the BIDDER is a Private Company/Public Company/Government Undertaking/Partnership/Registered Export Agency, constituted in accordance with the relevant law in the matter and the BUYER is a Ministry/Department of the Government, performing its function on behalf of the Government of Chhattisgarh.

2. OBJECTIVES

NOW, THEREFORE, the BUYER and the BIDDER agree to enter into this pre-contract agreement, hereinafter referred to as Integrity Pact, to avoid all forms of corruption by following a system that is fair, transparent and free from any influence prejudiced dealings prior to, during and subsequent to the Contract to be entered into with a view to:-

- 2.1 Enabling the BUYER to obtain the desired Stores/Equipment/Work/Service at a competitive price in conformity with the defined specifications by avoiding the high cost and the distortionary impact of corruption on public procurement and
- 2.2 Enabling BIDDERS to abstain from bribing or indulging in any corrupt practices in order to secure the contract by providing assurance to them that their competitors will also abstain from bribing any corrupt practices and the BUYER will commit to prevent corruption, in any form, by its official by following transparent procedures.

3. COMMITMENTS OF THE BUYER

The BUYER commits itself to the following:-

- 3.1 The BUYER undertakes that no official of the BUYER, connected directly or indirectly with the contract, will demand, take promise for or accept, directly or through intermediaries, any bribe, consideration, gift, reward, favour or any material or immaterial benefit or any other advantage from the BIDDER, either for themselves or for any person, organization or third party related to the contract in exchange for an advantage in the

Ramesh Salt Traders

27/2/2017 23/9/17

Proprietor

bidding process, bid evaluation, contracting or implementation process related to the contract.

3.2 The BUYER will, during the pre-contract stage, treat BIDDERS alike, and will provide to all BIDDERS the same information and will not provide any such information to any particular BIDDER which could afford an advantage to that particular BIDDER in comparison to the other BIDDERS.

3.3 All the officials of the BUYER will report the appropriate Government office any attempted or completed breaches of the above commitments as well as any substantial suspicion of such a breach.

In case any such preceding misconduct on the part of such official (s) is reported by the BIDDER to the BUYER with the full and verifiable facts and the same *prima facie* found to be correct by the BUYER, necessary disciplinary proceedings, or any other action as deemed fit, including criminal proceedings may be initiated by the BUYER and such a person shall be debarred from further dealings related to the contract process. In such a case while an enquiry is being conducted by the BUYER the proceedings under the contract would not be stalled.

4. COMMITMENTS OF BIDDERS

The BIDDER commits itself to take all measures necessary to prevent corrupt practices, unfair means and illegal activities during any stage of its bid or during any pre-contract or post-contract stage in order to secure the contract or in furtherance to secure it and in particular commit itself to the following:-

4.1 The BIDDER will not offer, directly or through intermediaries, any bribe, gift, consideration, reward, favour, any material or immaterial benefit or other advantage, commission, fees, brokerage or inducement to any official of the BUYER, connected directly or indirectly with the bidding process, or to any person, organization or third party related to the contract in exchange for any advantage in the bidding, evaluation, contracting and implementation of the contract.

4.2 The BIDDER further undertakes that it has not given, offered or promised to give, directly or indirectly any bribe, gift, consideration, reward, favour, any material or immaterial benefit or other advantage, commission, fees, brokerage, or inducement to any official of the BUYER or otherwise in procuring the Contract or forbearing to do or having done any act in relation to the obtaining or execution of the contract or any other contract with the Government for showing or forbearing to show favour or disfavour to any person in relation to the contract or any other contract with the Government.

4.3 The BIDDER, further confirms and declares to the BUYER that the BIDDER in the original Manufacture/Integrator/Authorized government sponsored export entity of the stores and has not engaged any individual or firm or company whether Indian or foreign to intercede, facilitate or in any way to recommend to the BUYER or any of its functionaries, whether officially or unofficially to the award of the contract to the BIDDER, nor has any amount been paid, promised or intended to be paid to any such individual, firm or company in respect of any such intercession, facilitation or recommendation.

Ramesh Salt Traders

27/2/2012 23/9/12

Proprietor

- 4.4 The BIDDER, either while presenting the bid or during pre-contract negotiations or before signing the contract, shall disclose any payment he has made, is committed to or intends to make to officials of the BUYER or their family members, agents, brokers or any other intermediaries in connection with the contract and the details of services agreed upon for such payments.
- 4.5 The BIDDER will not collude with other parties interested in the contract to impair the transparency, fairness and progress of the bidding process, bid evaluation, contracting and implementation of the contract.
- 4.6 The BIDDER will not accept any advantage in exchange for any corrupt practice, unfair means and illegal activities.
- 4.7 The BIDDER shall not use improperly, for purpose of competition or personal gain, or pass on to others, any information provided by the BUYER as part of the business relationship, regarding plans, technical proposal and business details, including information contained in any electronic data carrier. The BIDDER also undertakes to exercise due and adequate care lest any such information is divulged.
- 4.8 The BIDDER commits to refrain from giving any complaint directly or through any other manner without supporting it with full and verifiable facts.
- 4.9 The BIDDER shall not instigate or cause to instigate any third person to commit any of the acts mentioned above.

5. PREVIOUS TRANSGRESSION

- 5.1 The BIDDER declares that no previous transgression occurred in the last three years immediately before signing of this Integrity Pact with any other company in any country in respect of any corrupt practices envisaged hereunder or with any Public Sector Enterprise in India or any Government Department in India that could justify BIDDER's exclusion from the tender process.
- 5.2 If the BIDDER makes incorrect statement on this subject, BIDDER can be disqualified from the tender process or the contract, if already awarded, can be terminated for such reason.

6. EARNEST MONEY/SECURITY DEPOSIT

- 6.1 Every BIDDER while submitting commercial bid, shall deposit an amount as specified in RFP as Earnest Money/Security Deposit, with the BUYER through any of the following instruments:
- (i) Bank Draft or a Pay Order in favour of _____
 - (ii) A confirmed guarantee by an India Nationalised/Scheduled Bank, promising payment of the guaranteed sum to the _____ (BUYER) on demand within three working days without any demur whatsoever and without seeking any reasons whatsoever. The demand for payment by the BUYER shall be treated as conclusive proof of payment.
 - (iii) Any other mode or through any other instrument (to be specified in the RFP).

Ramesh Salt Traders

27/01/2017 M. 23/01/17

Proprietor

87

[25]

- 6.2 The Earnest Money/Security Deposit shall be valid upto a period of five years or the complete conclusion of the contractual obligations to the complete satisfaction of both the BIDDER and BUYER, including warranty period, whichever is later.
- 6.3 In the case of successful BIDDER, a clause would also be incorporated in the Article pertaining to Performance Bond in the Purchase Contract that the provisions of Sanctions for violation shall be applicable for forfeiture of performance Bond in case of a decision by the BUYER to forfeit the same without assigning any reason for imposing sanction for violation of this Pact.
- 6.4 No interest shall be payable by the BUYER to the BIDDER on Earnest Money/Security Deposit for the period of its currency.

7. SANCTIONS FOR VIOLATIONS

- 7.1 Any breach of the aforesaid provisions by the BIDDER or any one employed by it or acting on its behalf (whether with or without the knowledge of the BIDDER) shall entitle the BUYER to take all or any one of the following actions, wherever required :-
- (i) To immediately call off the pre-contract negotiations without assigning any reason or giving any compensation to the BIDDER. However, the proceedings with the other BIDDER(s) would continue.
 - (ii) To forfeit fully or partially the Earnest Money Deposit (in pre-contract stage) and/or Security Deposit/Performance Bond (after the contract is signed), as decided by the BUYER and the BUYER shall not be required to assign any reason therefor.
 - (iii) To immediately cancel the contract, if already signed, without giving any compensation to the BIDDER.
 - (iv) To recover all sums already paid by the BUYER, and in case of the Indian BIDDER with interest thereon at 2% higher than the prevailing Prime Lending Rate while in case of a BIDDER from a country other than India with interest there on at 2% higher than the LIBOR. If any outstanding payment is due to the BIDDER from the BUYER in connection with any other contract such outstanding payment could also utilized to recover the aforesaid sum and interest.
 - (v) To encash the advance bank guarantee and performance bond/warranty bond, if furnished by the BIDDER, in order to payment already made by the BUYER, along with interest.
 - (vi) To cancel all or any other contract with the BIDDER and the BIDDER shall be liable to pay compensation for any loss or damage to the BUYER resulting from such cancellation/rescission and the BUYER shall be entitled to deduct the amount so payable from the money(s) due to the BIDDER.
 - (vii) To debar the BIDDER from participating in future bidding processes of the Government of Chhattisgarh for a minimum period of five years, which may be further extended at the discretion of the BUYER.
 - (viii) To recover all sums paid in violation of this Pact by BIDDER(s) to any middlemen or agent or broker with a view to securing the contract.

Ramesh Salt Traders

27/2/2012 11:23 AM

Proprietor

- (xi) In cases where Irrevocable Letters of Credit have been received in respect of any contract signed by the BUYER with the BIDDER, the same shall not be opened.
- (x) If the BIDDER or any employee of the BIDDER or any person acting behalf of the BIDDER, either directly or indirectly, is closely related to any of the officers of the BUYER, or alternatively, if any close relative of an officer of the BUYER has financial interest/stake in the BIDDER's firm, the same shall be disclosed by the BIDDER at the time of filing of tender. Any failure to disclose the interest involved shall entitle the BUYER to rescind the contract without payment of any compensation to the BIDDER.

The term 'close relative' for this purpose would mean spouse whether residing with the Government servant or not, but not include a spouse separated from the Government servant by a decree or order of a competent court; son or daughter or step son or step daughter and wholly dependant upon Government servant, but does not include a child or step child who is no longer in any way dependent upon the Government servant or of whose custody the Government servant has been deprived of by or under any law; any other person related, whether by blood or marriage, to the Government servant or to the Government servant's wife or husband and wholly dependant upon Government servant.

- (xi) The BIDDER shall not lend to or borrow any money from or enter into any monetary dealings or transactions, directly or indirectly, with any employee of the BUYER, and if he does so, the BUYER shall be entitled forthwith to rescind the contract and all other contracts with the BIDDER. The BIDDER shall be liable to pay compensation for any loss or damage to the BUYER resulting from such rescission and the BUYER shall be entitled to deduct the amount so payable from the money(s) due to the BIDDER.

- 7.2 The decision of the BUYER to the effect that a breach of the provisions of this pact has been committed by the BIDDER shall be final and conclusive on the BIDDER. However, the BIDDER can approach the Monitor(s) appointed for the purposes of this Pact.

8. FALL CLAUSE

- 8.1 The BIDDER undertakes that if has not supplied/is not supplying similar product/systems or subsystems at a price lower than that offered in the present bid in respect of any other Department of the Government of Chhattisgarh or PSU and if it is found at any stage that similar product/systems or sub systems was supplied by the BIDDER to any other Department of the Government of Chhattisgarh or a PSU at a lower price, then that very price, with due allowance for elapsed time, will be applicable to the present case and the difference in the cost would be refunded by the BIDDER to the BUYER, if the contract has already been concluded.

Ramesh Salt Traders

27/07/2017, 23:00:17

Proprietor

9. INDEPENDENT MONITORS

- 9.1 The BUYER will appoint Independent Monitors (hereinafter referred to as Monitors) for this Pact.
- 9.2 The task of the Monitors shall be to review independently and objectively, whether and to what extent the parties comply with the obligations under this Pact.
- 9.3 The Monitors shall not be subject to instructions by the representatives of the parties and perform their functions neutrally and independently.
- 9.4 Both the parties accept that the Monitors have the right to access all the documents relating to the project/procurement, including minutes of meetings. The Monitor shall be under contractual obligation to treat the information and documents of the BIDDER/Subcontractor(s) with confidentiality.
- 9.5 As soon as the Monitor notices, or has reason to believe, a violation of this Pact, he will so inform the Authority designated by the BUYER.
- 9.6 The Monitor will submit a written report to the designated Authority of BUYER/Secretary in the Department within 8 to 10 weeks from the date of reference or intimation to him by the BUYER/BIDDER and, should the occasion arise, submit proposals for correcting problematic situations.

10. FACILITATION OF INVESTIGATION

In case of any allegation of violation of any provisions of this Pact or payment of commission, the BUYER or its agencies shall be entitled to examine all the documents including the Books of Accounts of the BIDDER and the BIDDER shall provide necessary information to the relevant documents and shall extend all possible help for the purpose of such examination.

11. LAW AND PLACE OF JURISDICTION

This Pact is subject to Indian Law, the place of performance and jurisdiction shall be the seat of the BUYER.

12. OTHER LEGAL ACTION

This actions stipulated in this Integrity Pact are without prejudice to any other legal action that may follow in accordance with the provisions of the any other law in force relating to any civil or criminal proceedings.

13. VALIDITY

- 13.1 The validity of this Integrity Pact shall be from the date of its signing and extend up to 5 years or the complete execution of the contract to the satisfaction of both the BUYER and the BIDDER/Seller whichever is later. In case BIDDER is unsuccessful, this Integrity Pact shall expire after six months from the date of the signing of the contract.
- 13.2 If one or several provisions of this Pact turn out to be invalid, the remainder of this Pact shall remain valid. In such case, the parties will strive to come to an agreement to their original intentions.

Ramesh Sakt Traders
27/12/2017
Proprietor

INFORMATION & INSTRUCTIONS TO THE BIDDERS OF CHHATTISGARH STATE
CIVIL SUPPLIES CORPORATION LIMITED.
FOR e-PROCUREMENT SYSTEM (<http://cgeprocurement.gov.in>) Through Sub Portal
(<http://nan.cgeprocurement.gov.in>) of Chhattisgarh State Civil Supplies Corporation Limited.
Special conditions and Instructions for e-Procurement System as given in the subsequent pages
will over-ride the conditions stated in the Tender document wherever relevant and applicable.

1. Enrollment/Registration & Empanelment of the Contractors/Bidders on Government of
Chhattisgarh's e-Procurement Portal.

In order to participate in the tenders floated using the e-Procurement System, all
contractors/bidders are required to get enrolled on the e-Procurement portal
(<http://cgeprocurement.gov.in>) and the get empanelled (if required by the Department) on the sub-
portal of Chhattisgarh State Civil Supplies Corporation Limited, Chhattisgarh at
<http://nan.cgeprocurement.gov.in>.

Only after concerned officer approves the empanelment of the contractor/bidder online, the
contractor/bidder shall be allowed to participate in the tenders floated by the Department using
the e-Procurement System.

2. Set-up of Machine:

In order to operate on the e-Procurement System, setting of User's Machine is required. For
which the User has to install some utilities in his machine as per the instructions in Help Manual
for Machine Setup (Available for download on the e-Procurement Portal). The copy of the same
may be obtained from Service Provider of the e-Procurement system: "Wipro Limited in
consortium with the M/s Nextenders (India) Pvt. Ltd."

3. Obtaining a Digital Certificate:

The bids submitted online should be signed electronically with a Digital Certificate to establish
the identity of the bidder bidding online. These Digital Certificates are issued by an approved
certifying authority, authorized by the Controller of Certifying Authorities, Government of India.

A Digital Certificate is issued upon receipt of mandatory identity proofs and verification letters
attested by Gazetted Officer. Only upon the receipt of the required documents, a digital
certificate can be issued.

The registered contractors may obtain information required to issuance of a class II Digital
Signature Certificate from the Controller of Certifying Authorities (www.cga.gov.in) or the
Service Provider of e-Procurement system of Government of Chhattisgarh.

Wipro Limited in Consortium with Nextenders (India) Pvt. Ltd.

E-31 "saker"

Opp. Gulab Industries,

Shalendra Nagar,

Raipur.

Tel. No. 0771-4079400, 4221020, Fax No. 0771-4221023

E-mail: raipur@nextenders.com

Important Note: Submission of Bids for a particular tender shall be done only using the digital
certificate. In case, during the process of a particular tender, the user loses his Digital
Certificate (i.e. due to virus attack, hardware problem, operating system problem etc.) he may

Ramesh Salt Traders

27/07/2017, 23/07/2017

Proprietor

82

14. The parties hereby sign this Integrity Pact at _____ on _____

BUYER

BIDDER

Name of the Officer

CHIEF EXECUTIVE OFFICER

Designation

Department/PSU

Witness

Witness

1. _____
2. _____

1. _____
2. _____

Ramesh Salt Traders
2721 07112 M. 239111
Proprietor

not be able to submit the bid online. Hence the users are advised to back up the certificate and keep the copies at safe places under proper security to be used in case of emergencies.

In case of online tendering, the digital certificate issued to the authorized user of a firm and used for electronic tendering will be considered equivalent to no-objection certificate/power of attorney to that user. The firm has to authorize a specific individual via an authorization certificate signed by all partners to use the digital certificate as per Indian IT Act 2000. Unless the certificate is revoked, it shall be assumed to represent adequate authority of the user to bid on behalf of the firm for the Chhattisgarh State Civil Supplies Corporation Limited tenders as per Information Technology Act 2000. The digital signature of this authorized user will be binding on the firm. It shall be the responsibility of management/partners of the registered firm to inform the Certifying Authority or Sub-Certifying Authority, if the authorized user changes, and apply for a fresh digital certificate and issue a fresh 'authorization certificate' for the new user.

The same procedure holds true for the authorized users in a Private/Public company. In this case, the authorization certificate will have to be signed by the directors of the company.

4. Opening of an Electronic Payment Account:

For submitting the bids online, the contractors/bidders are required to make online payment using the electronic payments gateway service as mentioned in the NIT.

Arrangements have been made for Contractors/Bidders to make payments online via Credit Card/Cash Cards/Internet Banking. The different modes of electronic payments accepted on the e-Procurement System is available and can be viewed online on the e-Procurement Website (<http://ceprocurement.gov.in>).

5. Payments for submission of bids online:

The Tender Documents may be downloaded free of cost from online GOC e-Procurement Portal by eligible Contractors/Bidders. The Contractors/Bidders are required to make the payment for bid hash submission through online payment modes mentioned in Point No. 4 above. In Online Tendering, the "Application Form" for the issue of Tender Documents shall not be required.

The suppliers shall submit the bids by making online payment of Bid Hash Submission fees using the service of the secure electronic payments gateway, and print out the system generated receipt of their reference which can be produced whenever required.

The secure electronic payments gateway is an online interface between Contractors/ Bidders and Credit Card/Online payment authorization network.

Submission of Bids, EMD and other Documents will be governed by the time schedules given under "Key Dates" on the online e-Procurement System Portal for the particular tender.

(Please refer to the Help Manual for viewing of New Tenders online on the e-Procurement Portal)

6. Tender Download: Eligible/Interested Bidders can download the Tender Document online.

7. Submission of Bid Seal (Hash): The online submission of bids will be preceded by submission of the "digitally signed bid seal (hash)" as stated in the tender time schedule (Key Dates) published in the NIT. The contractors cannot change any bid data after the generation of bid seal (Hash).

8. Generation of Super-Hash: After the time of submission of Bid Seal (Hash) by the Contractors/Bidders has lapsed, the bid round will be closed and a "digitally signed tender

Ramesh Sakt Traders

27/2/2017 11:23 AM

Proprietor

Super-Hash" which will be prepared by concerned Chhattisgarh State Civil Supplies Corporation Limited Department Official. This is equivalent to sealing the tender box.

9. **Submission of Actual Online Bids:** Suppliers have to submit and sign their encrypted bids (by their user Public-Key) online using their digital certificate after the generation of Super-Hash within the date and time as stated in the tender schedule (Key Dates). The electronic bids of only those suppliers who have submitted their bid seals (hashes) within the stipulated time, as per the tender time schedule (Key Dates), shall be accepted by the system. A supplier who does not submit his bid seal (hash) within the stipulated time shall not be allowed to submit his bid.
10. **Submission of Earnest Money Deposit:** The Suppliers will also submit their Earnest Money Deposit as usual in a sealed physical "Cover-A" (Technical Bid) and the same should reach the stipulated time to Chhattisgarh State Civil Supplies Corporation Limited office as stated in the Tender Document, by personally along with all required documents. The Supplier shall also upload scanned copy of EMD instrument along with other details during online bidding.
11. **Opening of Tender Documents:** The authority receiving the tenders or his duly authorized officer shall first open the "Envelope A" (Technical Bid) of all the contractors/Bidders and check for the validity of EMD and documents submitted in the "Envelope-A", as required by Chhattisgarh State Civil Supplies Corporation Limited. In case, the requirements are incomplete, the Technical Bid of the concerned supplier received shall not be opened. The authority shall then open the bids submitted by the suppliers online through the e-Procurement website. The official shall match the hash of each bid with the hash submitted by the contractors prior to bid submission.
12. **Fill Negotiated Rates:** The Successful bidder may have to fill in Negotiated Rates if so required during this process. In case of no negotiation or no change in rates successful bidders need to complete the Fill Negotiated Rates Stage.
13. **Key Dates:** The suppliers are strictly advised to follow the tender schedule (Key Dates) for their side of tasks and responsibilities to submit their bids, as the system is time and date locked.

Ramesh Sakt Traders

27/01/2017 11:25 AM

Proprietor

प्रति,

प्रमुख संचालक,
छठगोस्टेट सिविल सप्लाय कार्पोरेशन,
मुख्यालय, रायपुर

विषय :-

निविदा हेतु आवश्यक दस्तावेजों के संबंध में।

विषयान्तर्गत निम्नानुसार दस्तावेज संलग्न हैं :-

क्र.	विवरण	पेज क्र.
01	निविदा दस्तावेज में समस्त पृष्ठ पर सील सहित हस्ताक्षर कर संलग्न किया जाये।	
02	फर्म की स्थापना, पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक।	ENCLOSURE
03	साल्ट कमिशनर द्वारा पंजीकृत पंजीयन प्रति।	ENCLOSURE
04	साल्ट कमिशनर द्वारा फर्म का जीवित प्रमाण पत्र।	
05	आयकर रिटर्न की प्रति एवं पैन कार्ड की प्रति।	
06	मालीदार/कम्पनी विलख।	
07	हस्ताक्षरकर्ता के फर्म में पावर ऑफ एटोर्ना।	
08	जमा की गई अनानत राशि बैंडो को छायाप्रति।	Formed by R/S
09	बैंक द्वारा अनानत राशि हेतु रुकने पर पत्र।	Original Order
10	किसी शासकीय/अधशासकीय संस्था में नमक प्रदाय कर रहे हों तो विवरण प्रति।	NEE
11	वित्तीय वर्ष 2011-12 अथवा 2012-13 का AUDITED प्लेस सीट, लाभ-हानि खाता संलग्न करें (UNAUDITED मान्य नहीं होगी)।	ENCLOSURE

नोट - उपरोक्त दर्शित बिन्दु क्रमांक 01 से 11 तक सीरियल के अनुसार ही दस्तावेज (नोटरी द्वारा सत्यापित प्रति) निविदा के साथ संलग्न करें।

Ramesh Salt Traders
श्री. रामेश म. त्रिपाठी
Proprietor

निविदाकार के हस्ताक्षर सील सहित
मोबाईल नंबर 9825229800

Ramesh Salt Traders

श्री. रामेश म. त्रिपाठी
Proprietor